



DISTRICT DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY  
OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE BULANDSHAHR

**Email Id: ddmabul@gmail.com**



लू (हीट वेव कार्ययोजना)  
वर्ष-2025



जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण  
जनपद-बुलन्दशहर उ०प्र०।

श्री अभिषेक कुमार सिंह  
अपर जिलाधिकारी (वि/रा०), बुलन्दशहर।

श्रीमति श्रुति, IAS  
जिलाधिकारी, बुलन्दशहर।

## संदेश

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2025 में 'लू-प्रबंधन' के लिये विभिन्न विभागों के समन्वय से कार्ययोजना तैयार की गयी है। जैसे कि हम जानते हैं पृथ्वी का तापमान पिछले दशकों से बढ़ता जा रहा है। भारत का औसत तापमान 1901-2018 के मध्य  $0.7^{\circ}\text{C}$  बढ़ा है। तापमान बढ़ने का असर हमारे जलवाये परिवर्तन पर स्पष्ट दिखाई देता है। बुलन्दशहर जनपद में वर्ष -2022 में अप्रैल, मई, जून और जुलाई माह में से 15 मई का तापमान  $44.5^{\circ}\text{C}$  सबसे अधिकतम रहा।



पिछले 30 वर्षों (1986-2015) में अधिक तापमान वाले गर्म दिन व अधिक ठंड वाली रातों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है जोकि चिंता का विषय है। जनपद में मौसम विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा समय-समय पर जारी चेतावनी के क्रम में जनपद बुलन्दशहर में अप्रैल, मई, जून, जुलाई माह में हीट वेव (लू) का अलर्ट जारी किया गया। तापमान बढ़ने से, पिछले कुछ वर्षों में गर्मी की लहरें घातक रूप से विनाशकारी बन गई है। हमें गर्मी से संबंधित उभरते खतरों से निपटने के लिये, पिछले अनुभवों से सबक लेते हुये अपने तंत्र को लगातार उन्नत करने की आवश्यकता है। मुझे यकीन है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तैयार 'लू-प्रबंधन' कार्य योजना जनपद बुलन्दशहर की अल्प कालिक राहत और प्रतिक्रिया उपायों के साथ-साथ दीर्घकालिक लू-जोखिम को कम करने की रणनीतियों को निर्धारित करती है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह कार्ययोजना जागरूकता पैदा करने के साथ-साथ इमरजेंसी सर्पोट फंक्शनरी के मध्य बेहतर सामंजस्य स्थापित करेगी और भविष्य में लू-प्रकोप को नियंत्रण करने में प्रभावी सिद्ध होगी।

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,  
बुलन्दशहर।

## 1.1 परिचय (Introduction)

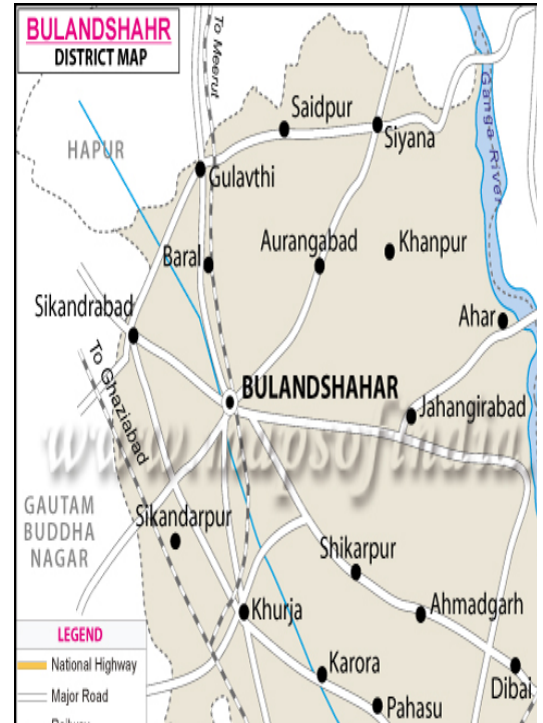
जलवायु परिवर्तन एवं वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण पूरे विश्व में गर्मी की तीव्रता लगातार बढ़ रही है। यह मनुष्य द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के अधिक उत्सर्जन का भी प्रभाव है। हाल के वर्षों में हीटवेव (लू) भारत में भी एक जलवायु सम्बंधी खतरों के रूप में उभरी है। प्रत्येक वर्ष मार्च से जून माह के दौरान जनपद में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है जिससे जनपद के अधिकांश भागों में लोग हीटवेव (लू) से प्रभावित होते हैं।

हीट वेव (लू) असामान्य रूप से उच्चतम तापमान की वह अवधि है जब तापमान सामान्य तापमान से अधिक दर्ज किया जाता है। यह सामान्य तौर पर मार्च से जून माह के बीच होता है पर कुछ दुर्लभ परिस्थितियों में यह जुलाई तक भी बना रहता है। उच्च अर्द्रता तथा वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण उच्च तापमान इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। जिसके कारण शरीर में पानी की कमी (डीहाइड्रेशन) व ऐंठन की शिकायत आती है और कभी-कभी इसके कारण लोगों की मौत भी हो जाती है। हीटवेव (लू) को प्राकृतिक आपदाओं के अन्तर्गत जल एवं जलवायु सम्बन्धी (हाइड्रो-मेट्रोलॉजिकल) आपदा की श्रेणी में 'साइलेंट किलर' के रूप में भी जाना जाता है हीटवेव (लू) से वृद्ध, बच्चे, गर्भवती महिलायें बीमार मजदूर झोपड़ पट्टी में रहने वाले गरीब, दुर्बल एवं निराश्रित लोग अधिक प्रभावित होते हैं। इसके अतिरिक्त हीटवेव (लू) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों, जंगलों, जल संसाधनों, कृषि एवं पशुपालन, स्वास्थ्य तथा विद्युत आपूर्ति आदिका भी प्रभावित करता है। लू के कारण तापमान और वर्षा के पैटर्न में होने वाले परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप बाढ़, चक्रवात, सूखा, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि जैसे खतरों की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ती है, जिसके कारण मानव एवं पशुधन की क्षति के साथ-साथ समुदायों की आजीविका, फसलों तथा ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था को व्यापक क्षति पहुंचती है।

लू (हीट-वेव) के कारण भारत में वर्ष 2013 में 1216, वर्ष 2014 में 1677, तथा वर्ष 2015 सर्वाधिक 2422 व्यक्ति हताहत हुए हैं। जनपद में वर्ष -2022 जनपद बुलन्दशहर में अप्रैल, मई, जून, माह में तेरह बार हीट वेव (लू) का अलर्ट जारी किया गया।

## 1.2 जिलाप्रोफाइल (District profile)

बुलन्दशहर भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के ठीक पश्चिम में स्थित है। पूर्व में गंगा नदी व पश्चिम में यमुना नदी इसकी सीमा बनती है। बुलन्दशहर के उत्तर में मेरठ तथा दक्षिण में अलीगढ़ जिले हैं। पश्चिम में राजस्थान राज्य पड़ता है। इसका क्षेत्रफल वर्ग 4353 वर्ग कि०मी० है। यहाँ की भूमि उर्वर एवं समतल है। गंगा की नहर से सिंचाई और यातायात दोनों का काम लिया जाता है। निम्न गंगा नहर का प्रधान कार्यालय नरौरा स्थान पर है। वर्षा का वार्षिक औसत 26 इंच रहता है। पूर्व की ओर पश्चिम से अधिक वर्षा होती है। बुलन्दशहर, अनुपशहर, बुगरासी, औरंगाबाद, खुर्जा, पहासू, स्याना, खानपुर, डिबाई, सिकंदराबाद, जहांगीराबाद, व शिकारपुर इसके प्रमुख नगर हैं व बुलन्दशहर नगर इस जनपद का मुख्यालय है।



यह शहर मुख्यतः सड़को से मेरठ, अलीगढ़, खैर, बदायूं, गौतम बुद्ध नगर व गाजियाबाद से जुड़ा हुआ है। बुलन्दशहर जनपद के नरौरा में गंगा के किनारे भारत वर्ष में विद्यमान परमाणु विद्युत संयंत्र में से एक विद्युत ताप गृह स्थापित व सुचारु रूप से प्रयोग में है।

जनपद बुलन्दशहर में 07 तहसील (शिकारपुर, अनुपशहर, बुलन्दशहर, खुर्जा, सदर, स्याना, डिबाई), 16 ब्लाक, (बुलन्दशहर, अनुपशहर, औरंगाबाद, खुर्जा, पहासू, स्याना, डिबाई, सिकंदराबाद, जहांगीराबाद, व शिकारपुर, लखवटी, गुलावटी, दानपुर, ऊचागाँव, बी०बी०नगर, अगौता, अरनिया), 09 नगरपालिका पालिका परिषद् (बुलन्दशहर, अनुपशहर, शिकारपुर, गुलावटी, डिबाई, जहांगीराबाद, स्याना, सिकंदराबाद, खुर्जा) 08 नगर पंचायत (औरंगाबाद, छतारी, पहासू, नरौरा, ककोड, बुगरासी, बी०बी०नगर) है।

### 1.3 हीटवेव (लू) की परिभाषा एवं मौसम विभाग द्वारा परिभाषित संबंधित मानदण्ड

#### Definition of Heatwave and related criteria defined by Meteorological Department

हीटवेव (लू) वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि की वह स्थिति है, जिसमें शारीरिक क्रियाओं में तनाव उत्पन्न होता है जो कभी-कभी जानलेवा हो सकता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने हीटवेव (लू) को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया है, जिसमें दैनिक अधिकतम तापमान लगातार पांच दिनों अथवा उससे अधिक दिनों तक सामान्य तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रहता हो। यदि किसी स्थान का अधिकतम तापमान लगातार दू दिनो तक 45 डिग्री सेल्सियस तक बना रहे, तो उसे हीटवेव (लू) की स्थिति कहा जाता है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार यदि किसी स्थान का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक मैदानी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक पहाड़ी क्षेत्रों में होतो उसे हीटवेव (लू) की स्थिति माना जाता है। यदि पर्यावरण का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस पर बना रहता है तो इससे मानव शरीर को कोई नुकसान नहीं है, परन्तु जब पर्यावरण का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ता है, तबमानव शरीर वायुमण्डल से गर्मी को अवशोषित करना शुरू कर देता है। यदि आर्द्रता अधिक होती है, तोभी व्यक्ति 37 डिग्री सेल्सियस या 38 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्मी के तनाव विकारों से पीड़ित होसकता है।

### 1.4 विभिन्न क्षेत्रों पर हीटवेव (लू) का प्रभाव

#### Impact of heat wave on different sector

##### स्वास्थ्य पर प्रभाव:

मानव ताप नियमन (थर्मोरेगुलेटरी) प्रणाली की सीमाएँ हैं हमारी मांसपेशियां ऊष्मा उत्पन्न करती हैं, जो हमारे शरीर के मुख्य तापमान को 36 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखने के लिए इसे पर्यावरण में मुक्त करती है। पसीने का वाष्पीकरण मानव शरीर के गर्म होने पर ठंडा रखने में मदद करता है, लेकिन जब अत्यधिक पसीना आता है तो यह शरीर के आंतरिक तापमान में वृद्धि के साथ निर्जलीकरण की ओर जाता है जो अधिक घातक है।

उत्तर प्रदेश की अधिकांश आबादी गर्मी और उमस के हिसाब से अपने आपको ढाल लेती है, लेकिन गर्मी सहन करने की एक सीमा होती है, ऊष्मा का त्वरण केवल सीमित सुरक्षा प्रदान कर सकता है जब तापमान सहन शक्ति की सीमा से परे हो जाता है, तो एहतियाती उपाय जैसे तेज धूप में शारीरिक परिश्रम करने से बचना, शरीर में पानी की कमी न होने पाये इसके लिये तरल पदार्थ का सेवन करना और ठंडी जगह पर आराम करना जैसे सुझाव दिए जाते हैं।

लू (हीट-वेव) के स्वास्थ्य प्रभावों में आम तौर पर हीट क्रैम्प, हीट थकावट और/यह हीट स्ट्रोक शामिल होते हैं। संकेत और लक्षण इस प्रकार होते हैं—:

- 1 **हीट क्रैम्प**—आमतौर पर बुखार के साथ सूजन और बेहोशी।
- 2 **हीट थकावट**—थकान, कमजोरी, चक्कर आना, सिरदर्द, मतली, उल्टी, मासपेशियों में ऐठन और पसीना।
- 3 **हीट स्ट्रोक**—शरीर का तापमान 40 डिग्री यानी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे अधिक यह एक सम्भावित घातक स्थिति है।
- 4 उच्च तापमान से शरीर के आन्तरिक अंगों विशेष रूप से मस्तिष्क को नुकसान पहुंचने से शरीर में उच्च रक्त चाप उत्पन्न करता है।
- 5 मुनश्य के हृदय के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- 6 जो लोग एक या दो घंटे से अधिक समय तक 40 डिग्री सेल्सियस (104 डिग्री) या अधिक तापमान अथवा गर्म हवाओं में रहते हैं तो इनके मस्तिष्क में क्षति होने की सम्भावना प्रबल हो जाती है।

#### कृषि पर प्रभाव:

मानव जीवन को प्रभावित करने के अलावा, हीटवेव (लू) फसल उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता दोनों को अत्यधिक प्रभावित करती है। फसल क्षति का मुख्य कारण मुख्य रूप से फूलों का गिरना और नए पौधों का मुरझा जाना है। रबी और जायद की फसलें हीटवेव (लू) से अधिक प्रभावित होती हैं। तापमान में किसी भी प्रकार का अत्यधिक परिवर्तन उत्पादकता को प्रभावित करता है।

#### आजीविका पर प्रभाव:

गंभीर चुनौतियां तब पैदा होती हैं जब हीटवेव (लू) की स्थिति अत्यधिक लंबे समय तक बनी रहती है। असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों को या तो घर के अंदर रहकर अपनी आय के स्रोत से समझौता करना पड़ता है या कामजारी रखने पर हीटवेव (लू) से संबंधित बीमारी से ग्रस्त होने का जोखिम उठाना पड़ता है।

#### 1.5 विगत 05 वर्षों में सर्वाधिक तापमान तथा हीटवेव (लू) दिवस की संख्या

##### **Highest temperature and number of heatwave days during last 05 years**

| Year | Maximum Temperature Recorded |       |     |      |      | Number of Heat Wave days |
|------|------------------------------|-------|-----|------|------|--------------------------|
|      | March                        | April | May | June | July |                          |
| 2018 | -                            | -     | -   | -    | -    | -                        |
| 2019 | -                            | -     | -   | -    | -    | -                        |
| 2020 | -                            | -     | -   | -    | -    | -                        |
| 2021 | -                            | -     | -   | -    | -    | -                        |
| 2022 | 01                           | 06    | 04  | 05   | -    | 16                       |

**Heat Wave Advisory - District Agro- Meteorology Unit (DAMU), Krishi Vigyan Kendra & District Disaster Management Authority**

वर्ष 2022 की हीट वेव अलर्ट की जारी सूचना का दिनांक व जिस दिन हीट वेव की सम्भावना व्यक्त की गई उस दिन का अधिकतम व न्यूनतम तापमान डिग्री सेन्टीग्रेड व दोपहर के समय सापेक्षिक आर्द्रता प्रतिशत में कितनी रही कि सूची—

| अलर्ट जारी दिनांक | हीट वेव रहने की संभावित दिनांक | अधिकतम तापमान °C | न्यूनतम तापमान °C | दोपहर के समय सापेक्षिक आर्द्रता % | रहने की सम्भावना                     |
|-------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 29.03.2022        | 30.03.2022                     | 40.8             | 19.2              | 12                                | हीटवेव                               |
| 05.04.2022        | 10.04.2022                     | 41.1             | 22.6              | 10                                | हीटवेव                               |
| 22.04.2022        | 23.04.2022                     | 39.5             | 19.9              | 12                                | लू चलने की सम्भावना व्यक्त की गयी थी |
|                   | 24.04.2022                     | 39.0             | 24.2              | 12                                |                                      |
|                   | 25.04.2022                     | 39.8             | 23.6              | 10                                |                                      |
|                   | 26.04.2022                     | 40.3             | 24.9              | 14                                |                                      |
|                   | 27.04.2022                     | 40.9             | 23.7              | 10                                | हीट वेव                              |
| 26.04.2022        | 27.04.2023                     | 40.9             | 23.7              | 10                                | हीट वेव                              |
|                   | 28.04.2022                     | 42.7             | 23.0              | 12                                | हीट वेव                              |
| 29.04.2022        | 30.04.2022                     | 43.6             | 26.6              | 9                                 | हीट वेव                              |
| 06.05.2022        | 09.05.2022                     | 37.5             | 26.1              | 34                                | हीट वेव                              |
|                   | 10.05.2022                     | 37.4             | 26.7              | 34                                | हीट वेव                              |
| 13.05.2022        | 14.05.2022                     | 43.6             | 28.4              | 12                                | हीट वेव                              |
|                   | 15.05.2022                     | 44.5             | 25.4              | 19                                | हीट वेव                              |
| 07.06.2022        | 08.06.2022                     | 42.9             | 30.9              | 13                                | हीट वेव                              |
|                   | 09.06.2022                     | 44.0             | 28.4              | 14                                | हीट वेव                              |
| 10.06.2022        | 11.06.2022                     | 43.1             | 26.1              | 18                                | हीट वेव                              |
|                   | 12.06.2022                     | 42.8             | 26.5              | 20                                | हीट वेव                              |
|                   | 13.06.2022                     | 42.5             | 29.7              | 24                                | हीट वेव                              |

**नोट:** जिला कृषि मौसम इकाई बुलन्दशहर से सप्ताह में दो दिन प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को भेजी जाती है। अखबार के माध्यम से मोबाइल ऐप से व्हाट्सप अप ग्रुप से टीवी चैनल के माध्यम से और अन्य स्रोतों से व नाउ कास्टिंग के तहत भी अलर्ट जारी की जाती है। पिछले साल **13 बार** अलर्ट हीट वेव की जारी की गई है।



## **HEAT WAVE DECLARATION Criteria**

IMD Declare heat waves need not be considered till maximum temperature of a station reaches at least 40° for plains.

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 40° जब तामपान पहुँचता है तब उष्ण लहर (तापलहर) होता है।

- When normal Maximum temperature of a station is less than or equal to 40°C (जब किसी स्टेशन का सामान्य अधिकतम तापमान 40° से कम या उसके बराबर हो )
  - + **Heat Wave**- Departure from normal is 5°C to 6°C
  - + **sever Heat Wave**- Departure from normal is 7°C or more
- When normal maximum temperature of a station is more than 40°C
  - + **Heat Wave**- Departure from normal is 4°C to 5°C
  - + **sever Heat Wave** Departure from normal is 6°C or more
- When actual maximum temperature remains 45°C or more irrespective of normal maximum temperature heat waves should be declared.

## **HEAT WAVE characteristics**

- **Frequency:** The number of heat wave that occur every year
- **Intensity :** increase in temperature along with wind speed, humidity.
- **Duration:** The length pf individual heat wave id days.

| Table-1 Temperature/ Humidity Index |               |         |    |    |    |    |        |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |
|-------------------------------------|---------------|---------|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|----------------|----|----|----|----|----|
| Relative Humidity%                  | Temperature C |         |    |    |    |    |        |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |
|                                     | 27            | 28      | 29 | 30 | 31 | 32 | 33     | 34 | 35 | 36 | 37 | 38             | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 40                                  | 27            | 28      | 29 | 30 | 31 | 32 | 34     | 35 | 37 | 39 | 41 | 43             | 46 | 48 | 51 | 54 | 57 |
| 45                                  | 27            | 28      | 29 | 30 | 32 | 33 | 35     | 37 | 39 | 41 | 43 | 46             | 49 | 51 | 54 | 57 |    |
| 50                                  | 27            | 28      | 30 | 31 | 33 | 35 | 36     | 38 | 41 | 43 | 46 | 49             | 52 | 55 | 58 |    |    |
| 55                                  | 28            | 29      | 30 | 32 | 34 | 36 | 38     | 40 | 43 | 46 | 48 | 52             | 54 | 58 |    |    |    |
| 60                                  | 28            | 29      | 31 | 33 | 35 | 37 | 40     | 42 | 45 | 48 | 51 | 55             | 59 |    |    |    |    |
| 65                                  | 28            | 30      | 32 | 34 | 36 | 39 | 41     | 44 | 48 | 51 | 55 | 59             |    |    |    |    |    |
| 70                                  | 29            | 31      | 33 | 35 | 38 | 40 | 43     | 47 | 50 | 54 | 58 |                |    |    |    |    |    |
| 75                                  | 29            | 31      | 34 | 36 | 39 | 42 | 46     | 49 | 53 | 58 |    |                |    |    |    |    |    |
| 80                                  | 30            | 32      | 35 | 38 | 41 | 44 | 48     | 52 | 57 |    |    |                |    |    |    |    |    |
| 85                                  | 30            | 33      | 36 | 39 | 43 | 47 | 51     | 55 |    |    |    |                |    |    |    |    |    |
| 90                                  | 31            | 34      | 37 | 41 | 45 | 49 | 54     |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |
| 95                                  | 31            | 35      | 38 | 42 | 47 | 51 | 57     |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |
| 100                                 | 32            | 36      | 40 | 44 | 49 | 56 |        |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |
|                                     |               | Caution |    |    |    |    | Danger |    |    |    |    | Extreme Danger |    |    |    |    |    |

## 2.0 हीटवेव (लू) प्रबंधनकार्य-योजना का सूत्रण

### Formulation of Heatwave Management Action Plan

#### 2.1 हीटवेव (लू) प्रबंधनकार्य-योजना की आवश्यकता

##### Need for Heatwave Management Action Plan

हीट वेव से भारत के कई राज्य प्रभावित होते हैं। विगत वर्षों में, दैनिक अधिकतम तापमान, औसत अधिकतम तापमान से 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक अधिक हो गया है। जिसके कारण जिले स्तर पर हीटवेव (लू) प्रबंधन हेतु एक समन्वित बहु-एजेंसी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हीटवेव कार्ययोजना के सफल कियान्वयन हेतु विभिन्न हितधारकों और विभागों के बीच समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है। अत्यधिक गर्मी की घटना के पूर्वानुमान के बाद यह योजना सक्रिय रूप से लागू हो जायेगी।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हीटवेव (लू) स्थिति को नियंत्रित करने के लिए की गई वर्तमान पहलों या गतिविधियों को मैप करना, हीटवेव से संबंधित रोगियों की संख्या और मृत्यु दर के प्रभाव एवं परिणाम का आंकलन करना, हीटवेव (लू) के पैटर्न और रुझानों की जांच करना, स्थानीय जलवायु परिस्थितियों के सन्दर्भ में तापमान और आर्द्रता की महत्वपूर्ण सीमा (थ्रेसहोल्ड) का पहचानना जो लू से संबंधित रोगों की संख्या और मृत्यु दर का कारण बनते हैं, हीटवेव (लू) कार्य योजना (एचएपी), आदि का वार्षिक मूल्यांकन और निगरानी करना इत्यादि है।

## 2.2 हीटवेव (लू) प्रबंधन कार्य योजना का उद्देश्य

### **Objective of the Heatwave Management Action Plan**

- प्रारंभिक चेतावनी/लू अलर्ट जारी करना।
- प्रभावी रणनीति विकसित करना।
- हित धारकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियाँ निर्धारित करना।
- संवेदनशील स्थानों और संवेदनशील आबादी की पहचान करना।
- प्रलेखन और रिपोर्टिंग करना।

### **2.3 जनपद में लू के प्रति जोखिम का आंकलन (कमजोर वर्ग एवं क्षेत्र की पहचान करना)**

#### **Assessment of vulnerability to heat in the district (Identifying vulnerable areas and population)**

- 05 वर्ष से कम आयु के बच्चे व 65 वर्ष से ज्यादा के व्यक्ति।
- गर्भवती महिलायें।
- कोमोरबिडिटी (एक से अधिक रोगों से पीड़ित) समूह (हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, एड्स, अस्थमा, फेफड़ों की बीमारी, हार्टसंबंधी रोग और पेट के गंभीर रोग) को चिन्हित कर लेना चाहिए।
- ऐसे व्यक्ति जोकी सैन्य, कृषि, निर्माण और औद्योगिक व्यवसाय में श्रमिक, मजदूर, खिलाड़ी, खनिक आदि हों।
- शारीरिक तौर पर कमजोर व्यक्ति एवं मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति।
- त्वचा संबंधित रोग जैसे:-सोरायसिस, पायोडर्मा आदि से प्रभावित व्यक्ति।
- पर्यावरण बदलने के कारण गर्मी के अनुकूलनता का अभाव।
- अनिद्रा से ग्रस्त।
- शराब का उपयोग।

## 2.4 हीटवेव (लू) कार्ययोजना की प्रमुख रणनीतियाँ

### Key Strategies of the Heatwave Action Plan

हीट वेव कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति एवं समुदाय को एकजुट करना है जिससे वे खुद को एवं अपने पड़ोसियों, मित्रों एवं सगे-सम्बंधियों को गर्म मौसम से उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याओं से बचा सकें। यह कार्ययोजना विभिन्न हितभागियों को लू के संभावित हानि से निपटने तथा इससे बचाव करने में मदद करेगी। इस कार्य योजना का उपयोग प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा अलर्ट जारी करने वाली एजेंसियां भी कर सकती हैं। गंभीर और विस्तारित हीटवेव (लू) सामान्य रूप से सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में व्यवधान पैदा कर सकती हैं। इस कारण स्थानीय स्तर पर हीट-वेव (लू) की तैयारी एवं प्रतिक्रिया में सरकारी एजेंसी, स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के समन्वय में दीर्घकालीन रणनीतिक योजना बनाकर कार्य करना महत्वपूर्ण हो जाता है। हीटवेव (लू) हेतु कार्य योजना का लक्ष्य चार मुख्य रणनीतियों को क्रियान्वित करना है—

- पूर्व चेतावनी प्रणाली एवं इंटर एजेंसी समन्वय तन्त्र विकसित करना जिससे पूर्वानुमानित अधिकतम और तीव्र तापमान के आधार पर स्थानीय निवासियों को चेतावनी जारी कर सतर्क किया जा सके। कौन क्या करेगा, कब करेगा, और कैसे करेगा इसकी स्पष्टता व्यक्तिगत एवं विभागों के स्तर पर सुनिश्चित करना भी कार्ययोजना की रणनीति का एक मुख्य घटक है।
- क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण कार्यक्रम: हीट-वेव (लू) से संबंधित बीमारियों को पहचानने और प्रतिक्रिया करने के लिए स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य कर्मियों एवं पेशेवरों के लिए क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना अतिमहत्वपूर्ण है, विशेष रूप से अत्यधिक हीट-वेव (लू) के दौरान यह प्रशिक्षण कार्यक्रम चिकित्सा अधिकारियों, पैरामेडिकल स्टाफ और सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारियों को ध्यान में रख कर आयोजित किया जाना चाहिये जिससे वे प्रभावी तौर पर हीट-वेव (लू) से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं की रोकथाम एवं प्रबंधन कर रोगियों की संख्या एवं मृत्युदर में कमी ला सकें।
- समुदाय स्तर पर जन-जागरूकता: प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, आईईसी सामग्री जैसे— पर्चे, पोस्टर इत्यादि के माध्यम से लू से बचाव सम्बंधी जन-जागरूकता संदेशों, क्या करें, क्या न करें लू सम्बंधी बीमारियों की रोकथाम एवं उपचार के बारे में प्रचार-प्रसार करना। लू से बचाव हेतु जन-जागरूकता कार्यक्रम का संचालन करना।
- गैर-सरकारी संगठनों और नागरिक समाज के साथ सहयोग: गैर-सरकारी संगठनों और नागरिक समाज संगठनों के सहयोग एवं सहभागिता से जहां भी आवश्यक हो वहां अस्थायी आश्रय स्थलों का

निर्माण,सार्वजनिक स्थानों पर जल वितरण प्रणाली में सुधार और हीट-वेव की स्थिति से निपटने के लिए अन्य नवीन उपायों को अमल में लाना।

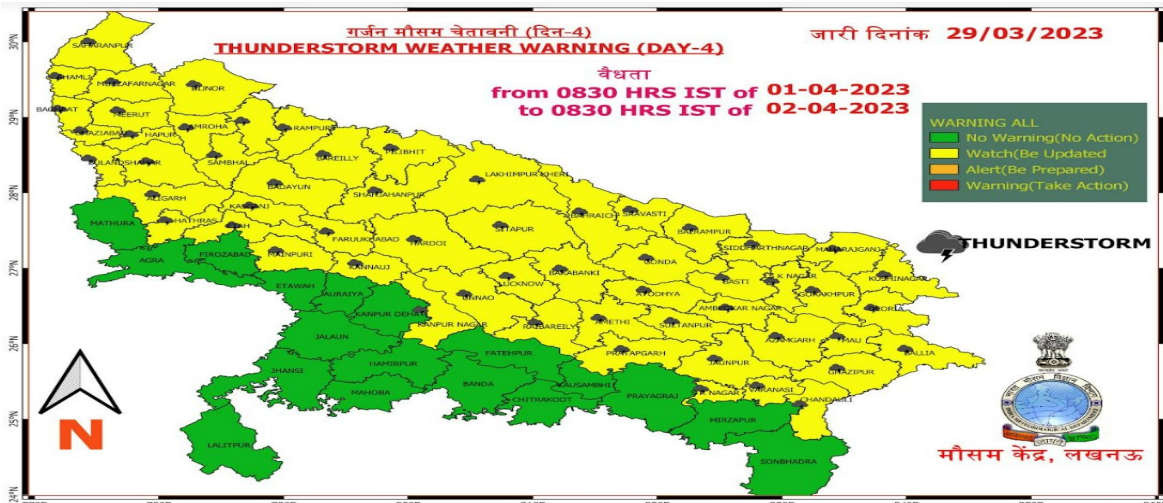
### मानक परिचालन प्रक्रिया का सक्रिय करण



## 2.5 हीट वेव पूर्व चेतावनी प्रसार तंत्र

### Heat wave Early Warning Communication system

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) भारत सरकार, वर्तमान और पूर्वानुमान मौसम की जानकारी प्रदान करने के साथ साथ मौसम सम्बंधी सभी खतरों की पूर्व चेतावनी जारी करने के लिए नोडल विभाग है। यह मौसमी घटनाओं जिसमें हीटवेव (लू) भी शामिल है के सम्बंध में चेतावनी देता है। यह क्षेत्रीय मौसम केन्द्र तथा हवाई अड्डों पर स्थित रडार और उपग्रहों के माध्यम से डेटा प्राप्त करता है तथा उनका विश्लेषण के आधार पर मौसमी पूर्वानुमान व हीटवेव (लू) चेतावनी जारी करता है। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय मौसम केंद्र अमौसी एयरपोर्ट स्थित भारत मौसम विज्ञान विभाग केंद्र से संचालित किया जाता है।

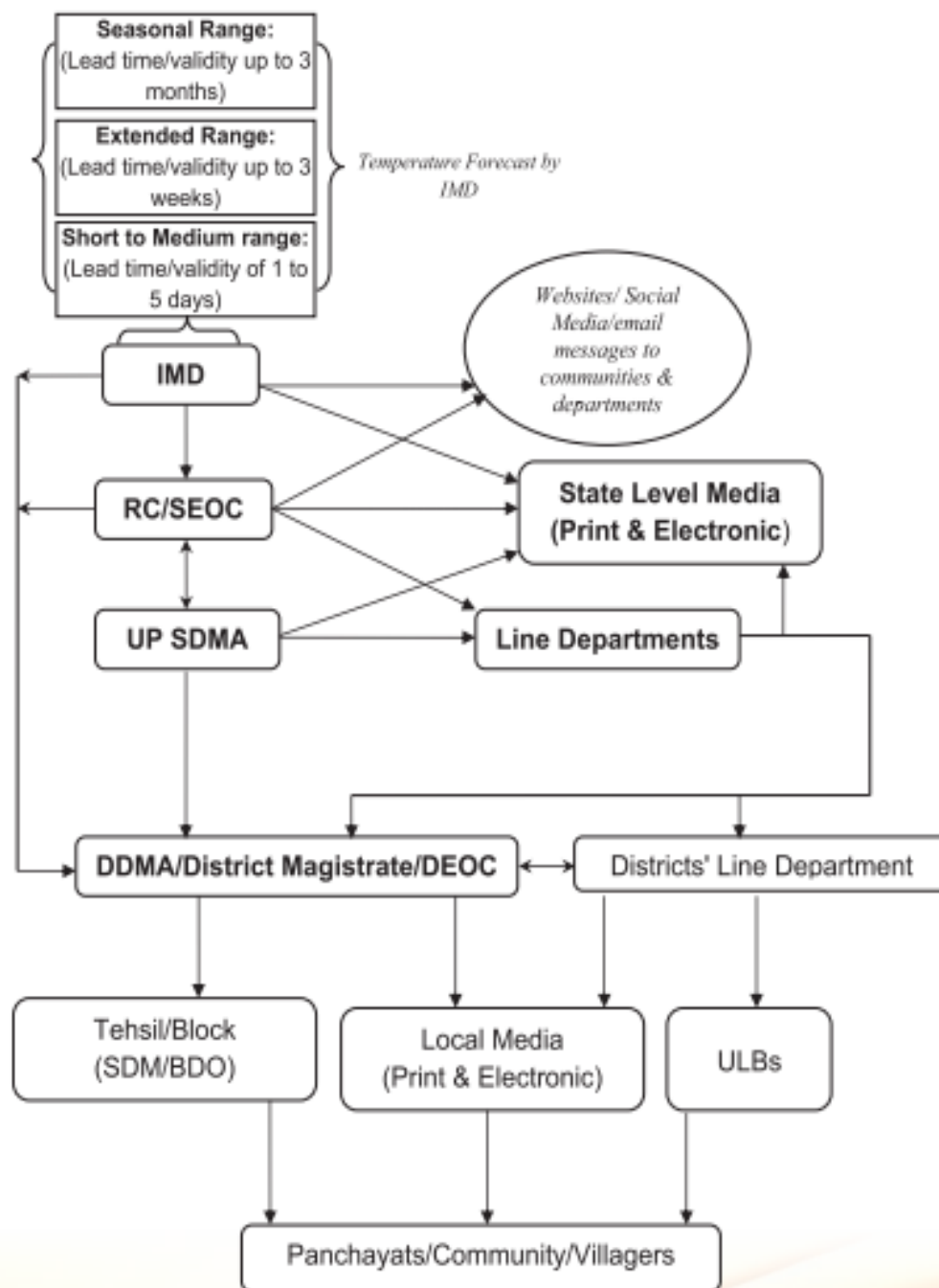


आईएमडी द्वारा प्रदत्त सटीक और समय बद्ध चेतावनी मानव जनहानि तथा स्वास्थ्य सम्बंधित रुग्णता को कम करने में प्रभावी होती है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग हीट इंडेक्स (तापमान और आर्द्रता के आधार पर) के आधार पर चेतावनी प्रदान करता है। यह ईमेल द्वारा राहत आयुक्त, जिला अधिकारियों, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो (AIR) सहित अन्य सभी संबंधित अधिकारियों को सूचना प्रसारित करता है। इस तरह की चेतावनी मिलने के तुरंत बाद, जिला आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र के सभी रूपों के माध्यम से चेतावनी के प्रचार-प्रसार के लिए आवश्यक व्यवस्था करते हैं।

## Heat wave Early Warning Communication system

### प्रारम्भिक चेतावनी प्रसार-तंत्र



Heat Wave Early Warning Communication System

**हीटवेव (लू) घोषणा का विश्लेषण:** भारत मौसम विज्ञान विभाग वर्तमान समय में पूरे देश के लिये चेतावनी जारी करने की रंग संकेत एकल प्रणाली (Color Code Signal System) का अनुसरण करता है। यह प्रणाली अपेक्षित गर्मी के खतरे की गंभीरता के सम्बंध में सलाह देती है।

**लू (हीट-वेव) एलर्ट(चेतावनी) चिन्हांकन**

|                                  |                                     |                                                                                                                                      |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| हरा चेतावनी (कोई कार्यवाही नहीं) | सामान्य दिन                         | अधिकतम तापमान सामान्य के निकट है।                                                                                                    |
| पीला चेतावनी (अद्यतन किया जाना)  | गर्मी चेतावनी                       | जिला स्तर पर गर्मी की लहर की स्थिति 2 दिन के लिए जारी।                                                                               |
| ऑरेंज रंग चेतावनी (तैयार रहो)    | गंभीर गर्मी वाले दिन के लिए चेतावनी | गंभीर गर्मी की लहर की स्थिति 2 दिन के लिए जारी, विविध तीव्रता के साथ गर्मी की लहर की संभावना है 4 दिन या उससे अधिक के लिए बनी रहेगी। |
| लाल चेतावनी (कार्यवाही करें)     | अत्यधिक गर्मी वाले दिन              | गंभीर गर्मी की लहर 2 से अधिक दिनों के लिए बनी रह सकती है। गंभीर गर्मी की लहर 6 दिन से अधिक होने की संभावना है।                       |

3. विभिन्न विभागों/ एजेन्सी के चरणवार उत्तरदायित्व  
**(Phase wise Roles and Responsibilities of  
various Departments/Agencies)**

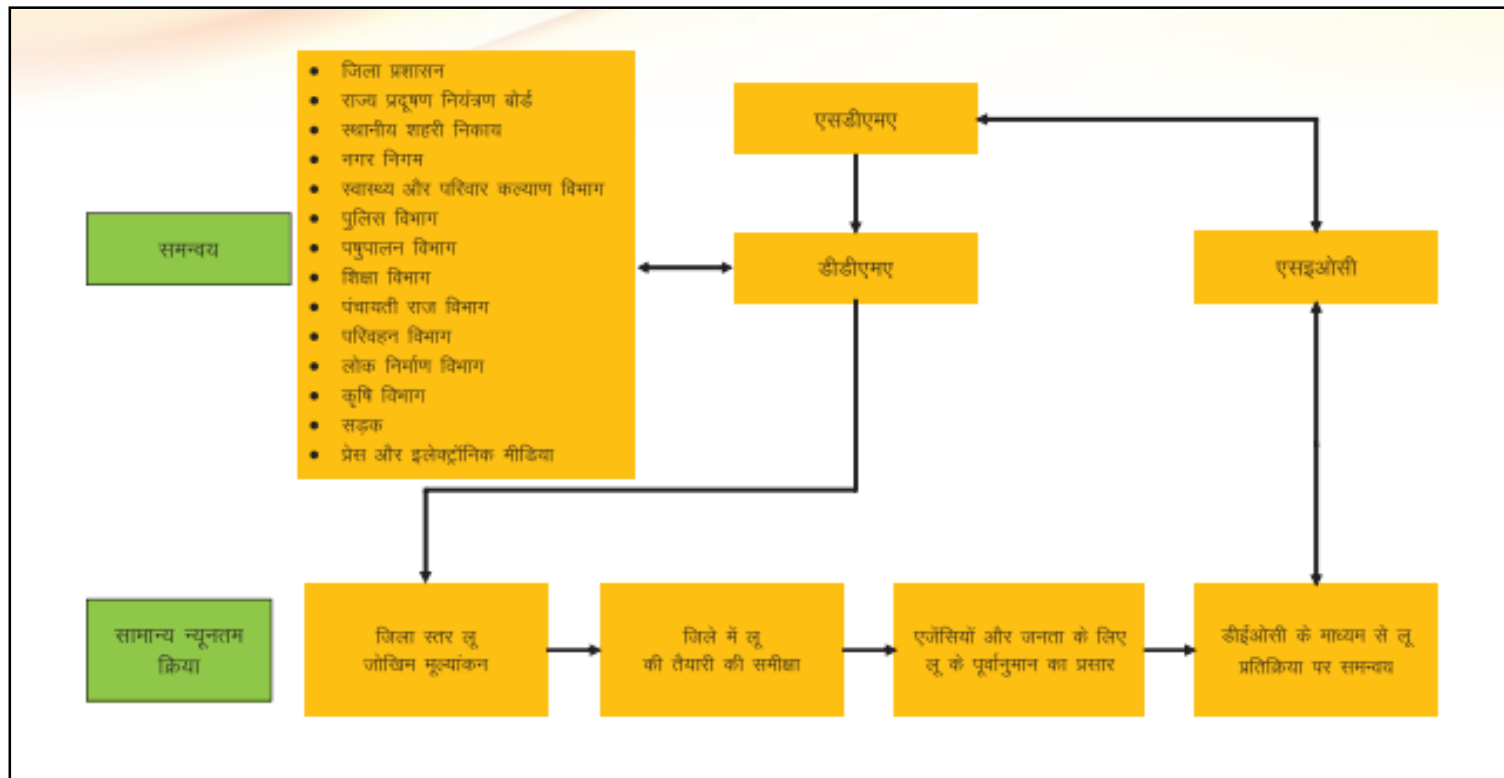
## 1. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण: भूमिका और जिम्मेदारियाँ

| क्र. सं. | कार्य                                                          | परिचालनप्रक्रिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | समन्वयकारी एजेंसिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | सन्दर्भ (विधान/मानक/दिशा निर्देश)                                                                                                                         |
|----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | लू से बचाव संबंधित उपायों के विषय में जन जागरूकता अभियान चलाना | <p>1. गर्म हवाएं/लू (हीट वेव) के समय क्या करें और क्या न करें के बारे में जनता को बताने और शिक्षित करने के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाना।</p> <p>2. कोविड-19 आपदा से बचाव हेतु जरूरी सुरक्षा उपाय जैसे-शारीरिकदूरी, मॉस्क का प्रयोग, साबुन एवं पानी की उपलब्धता और सैनीटाइजेशन का अनुपालन सुनिश्चित करतेहुए लू से बचाव की जानाकारी भी विभिन्न प्रचार माध्यमों से देना।</p> <p>3. हीटवेब/लू से होने वाली मौतों को रोकने हेतु सभी जरूरी उपाय अमल मेंलाना।</p> <p>4. हीटवेब/लू सम्बंधित बीमारियों के जोखिम और खतरों के विषय में नियमित प्रेस कांफ्रेंस करना, मंदिरों, सार्वजनिक भवनों, मॉल आदि जगहों को शीतल रखने की व्यवस्था करना, हीटवेव लू की स्थिति में गैर सरकारी संगठनों, सामुदायिक समूहों और व्यक्तियोंको सार्वजनिक स्थानों पर पेय जल/शीतल पेय पदार्थ कियोस्क खोलने के लिए प्रेरित करना।</p> <p>5. महत्वपूर्ण स्थानों, यथा-हॉस्पिटल, प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने हेतु विद्युत कम्पनियों से आग्रह करना।</p> | <p>1.राजस्व विभाग</p> <p>2. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग</p> <p>3. पुलिसविभाग</p> <p>4.भारत मौसम विज्ञान विभाग</p> <p>5. विद्युतविभाग</p> <p>6.समाज कल्याण विभाग</p> <p>7. दिव्यांग जनसशक्तीकरण विभाग</p> <p>8. श्रम विभाग</p> <p>9. आवास एवं शहरी विकास विभाग</p> <p>10. जल निगम</p> <p>11. स्थानीय शहरीनिकाय</p> <p>12. परिवहनविभाग</p> <p>13. पशुपालनविभाग</p> <p>14. शिक्षा विभाग</p> <p>15. पंचायती राज विभाग</p> <p>16. यूएन, एनजीओ, सीएसआर</p> | 1.राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली भारतसरकार द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2022 को निर्गत हीट वेव 2022 की एडवाइजरी का सुनिश्चित अनुपालन कराया जाये। |

|    |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | जिला स्तर पर लू जोखिम का आंकलन करना एवं लू हाट स्पॉट क्षेत्रोंकोचिन्हितकरना | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. भारत मौसम विज्ञान विभाग व अन्य स्रोतों से पिछले आंकड़ों के आधार पर जिले में लू की घटना की संभावना और लू की घटना की संभावना में वृद्धि का आंकलन।</li> <li>2. लू के पिछले मामलों के सन्दर्भ एवं सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल, आवास, कमजोर व्यवसाय पैटर्न, पुरानी बीमारी और जनसंख्या के आंकड़ों के विशेष संदर्भ के साथ जिले की संवदेनशीलता का आंकलन।</li> <li>3. अर्बन हीट आइलैंड (UHI) के विशेष संदर्भ में शहरी हीटवे (लू) का मूल्यांकन।</li> <li>4. हीटवे (लू) के प्रभाव का प्रबंधनकरने के लिए मौजूदा क्षमता का आंकलन।</li> </ol>          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. राजस्वविभाग</li> <li>2. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग</li> <li>3. पुलिस विभाग</li> <li>4. भारत मौसम विज्ञान विभाग</li> <li>5. अग्निशमन विभाग</li> <li>6. समाज कल्याण विभाग</li> <li>7. दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग</li> <li>8. श्रम विभाग</li> <li>9. आवास एवं शहरी विकास विभाग</li> <li>10. विश्वविद्यालय / शैक्षणिक संस्थान</li> <li>11. यूएन, एनजीओ, सीएसआर</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 (2)(3) द्वारा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला स्तरीय विभागोंको जिले में आपदाओं के जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करने, आपदाओं निवारण करने के आपदाओं के प्रभावों को कम करने के उपाय सुनिश्चित करने हेतु अधिकृत करता है।</li> <li>2. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा जारी की गयी लू कार्य योजना 2019 के बिंदु संख्या 2.3 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार</li> </ol> |
| 3. | सम्बंधित एजेंसियों और जनसमुदाय को लू पूर्वानुमान सम्बंधी चेतावनी जारी करना  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. भारत मौसम विज्ञान विभाग या राज्य स्तर से दैनिक और 4-दिवसीय लू पूर्वा नुमान प्राप्त करना।</li> <li>2. लू पूर्वानुमान के तहत आनेवाले ब्लॉक और स्थानीय शहरी निकायों को चिन्हित करना।</li> <li>3. ब्लॉक और स्थानीय शहरी निकायों (ULB) के लिए लूपूर्वानुमान के आधार पर चेतावनी जारी करना।</li> <li>4. जिला स्तर पर लाइन डिपार्ट मेंटों और अन्य संस्थानों को लू पूर्वानुमान के आधार पर चेतावनी जारी करना।</li> <li>5. लू पूर्वानुमान के तहत आने वाले ब्लॉक और ग्राम पंचायतों के लिए लू पूर्वानुमान के आधारपर चेतावनी जारी करना।</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ब्लॉकप्रशासन</li> <li>2. स्थानीय शहरीनिकाय (ULB)</li> <li>3. स्वास्थ्य एवंपरिवारकल्याणविभाग</li> <li>4. पुलिसविभाग</li> <li>5. समाज कल्याण विभाग</li> <li>6. श्रम विभाग</li> <li>7. पशुपालनविभाग</li> <li>8. शिक्षा विभाग</li> <li>9. पंचायती राज विभाग</li> <li>10. जल शक्तिविभाग</li> <li>11. परिवहनविभाग</li> <li>12. नागरिकसमाजसंगठन,</li> </ol>                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. राष्ट्रीय आपदाप्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 (2) (14–XiV) द्वारा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को प्रारंभिक चेतावनी तंत्र की स्थापना, रख रखाव, समीक्षा, उन्नयन और जनता को उचित जानकारी के प्रसार करने के लिये अधिकृत किया गया है।</li> <li>2. भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिया गया 4-दिन का पूर्वानुमान जो प्रत्येक दिन 16:00 बजे जारी किया जाता है।</li> </ol>                                                                              |

|    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                              | <p>6. लू पूर्वानुमान के आधार पर स्थानीय निकायों/वार्डों को चेतावनी के साथ क्या करें और क्या न करें के दिशा निर्देश जारी करना।</p> <p>7. सोशल मीडिया, स्थानीय केबल टीवी नेटवर्क, एफ एम, सामुदायिक रेडियो के माध्यम से जनता के लिए लू पूर्वानुमान का प्रचार-प्रसार करना।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>चौरिटेबल ट्रस्ट</p> <p>13. स्थानीय केबल टीवी नेटवर्क, एफएम, सामुदायिक रेडियो</p>                                                                   |                                                                                                                                                             |
| 4. | <p>हीटवे/ लू प्रतिक्रिया के समन्वय हेतु इमरजेंसी आपरेशन सेंटर नियंत्रण कक्ष स्थापित करना</p> | <p>1. लू प्रतिक्रिया के समन्वय के लिए इमरजेंसी आपरेशन सेंटर/ नियंत्रण कक्ष को स्थापित कर सक्रिय करना:</p> <p>1.1 जिला स्तर पर</p> <p>1.1.1 लाइन डिपार्टमेंट</p> <p>1.1.2 प्रत्येक नियंत्रण कक्ष में बैंक अप के साथ कम से कम एक कर्मचारी व एक समर्पित संपर्क नंबर होना चाहिये।</p> <p>2 लू हॉटस्पॉट के अंतर्गत आनेवाले ब्लॉक एवं स्थानीय शहरी निकाय (ULB) पर इमरजेंसी आपरेशन सेंटर नियंत्रण कक्ष को स्थापित कर सक्रिय करना:</p> <p>2.1 लू की स्थिति में ब्लॉक और लाइन डिपार्टमेंट के प्रमुख फोकलपॉइंट की सूची तैयार करना, इमरजेंसी आपरेशन सेंटर नियंत्रण कक्ष में दैनिक लू पूर्वानुमान का विवरण, हीटवेवलू से सम्बंधित दैनिक स्थितिरिपोर्ट के साथ जनता के लिए शिकायत अनुरोध दर्ज करने की सुविधा होनी चाहिये।</p> <p>3. अग्निदुर्घटना से सम्बंधित मामलों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और अग्निशमन सेवाओं के साथ समन्वय से रिपोर्ट तैयार करना:</p> <p>3.1 रिपोर्ट संकलन में महत्वपूर्ण बिन्दुओं को शामिल करना।</p> | <p>1. ब्लॉक प्रशासन</p> <p>2. स्थानीय शहरी निकाय (ULB)</p> <p>3. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग</p> <p>4. अग्निशमन विभाग</p> <p>5. पुलिस विभाग</p> | <p>1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा जारी की गयी लू कार्ययोजना 2019 के अनुलग्नक-7 /प्रारूप-ए उल्लिखित में दिशानिर्देशों के अनुसार।</p> |

|    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                           | <p>3.2 प्रतिक्रिया उपायों को शामिल करना।</p> <p>4. स्टेट ईओसी को स्टेटस रिपोर्ट भेजना।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |
| 5. | जिले स्तर पर लू प्रतिक्रिया के लिए तैयारी की समीक्षा करना | <p>1. जिले की लू की तैयारी हेतु लू से पूर्व विशेष 1. स्व रूप से मार्च माह में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक का आयोजन करना।</p> <p>2. बैठक हेतु लाइन डिपार्टमेंट, स्थानीय शहरी निकाय और ब्लॉक प्रशासन को आमंत्रित करना।</p> <p>3. जिलालू योजना के अनुसार लू से संबंधित प्रारंभिक चेतावनी, तैयारियों और न्यूनीकरण क्रियाओं की समीक्षा करना।</p> <p>4. लू प्रतिक्रिया के लिए लाइन डिपार्टमेंट, ब्लॉक प्रशासन, स्थानीय शहरी निकाय (ULB) से फोकल पॉइंट को अपडेट/चिन्हित करना।</p> <p>5. लू प्रतिक्रिया के लिए राहत सामग्री के स्टॉक की समीक्षा करना एवं राहत सामग्री को स्टोर करना।</p> <p>6. लू प्रतिक्रिया के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, जल शक्ति विभाग, पशुपालन विभाग, अग्निशमन विभाग, विद्युत विभाग, श्रम विभाग, शिक्षा विभाग, स्थानीय शहरी निकाय, ब्लॉक प्रशासन की तैयारी की समीक्षा करना।</p> <p>7. जिलालू प्रतिक्रिया योजना की समीक्षा करना एवं उन्हें अपडेट करना।</p> <p>8. जिले में लू की तैयारियों की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करना और किये जानेवाले कार्यों को चिन्हित करना।</p> | <p>1. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग</p> <p>2. पंचायती राज विभाग</p> <p>3. जल शक्ति विभाग</p> <p>4. अग्निशमन विभाग</p> <p>5. पशुपालन विभाग</p> <p>6. श्रम विभाग न</p> <p>7. विद्युत विभाग</p> <p>8. शिक्षा विभाग</p> <p>9. अन्य लाइन डिपार्टमेंट</p> <p>10. ब्लॉक प्रशासन</p> <p>11. स्थानीय शहरी निकाय (ULB)</p> | <p>1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 (2) (7-vii) द्वारा जनपद स्तर पर राज्य सरकार के विभागों द्वारा तैयार की गयी आपदा प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करने हेतु प्रावधान है।</p> |
|    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |



चित्र 1 : डीडीएमए द्वारा लू प्रबंधन के लिए सामान्य न्यूनतम क्रियाएं और समन्वय

## 2. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग: भूमिका और जिम्मेदारियाँ

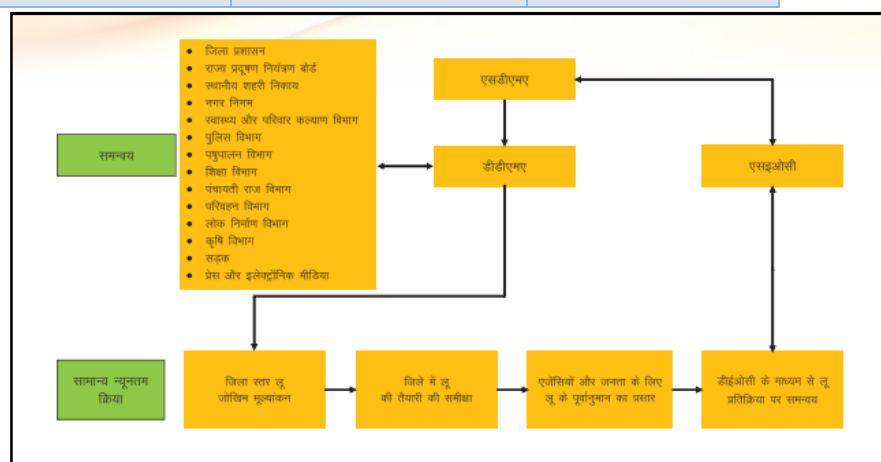
| क्र.सं. | कार्य                                                      | परिचालनप्रक्रिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | समन्वयकारी एजेंसिया                                                                                                                                                                                       | सन्दर्भ<br>(विधान/मानक/दिशा<br>निर्देश)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | हीट वेव/लू चिकित्सा तैयारी एवं प्रतिक्रिया की समीक्षा करना | <p>1. हीट वेव/लू की चिकित्सा तैयारी और प्रतिक्रिया की समीक्षा करने के लिए जिला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की बैठक मार्च माह में आयोजितकरना ।</p> <p>1.1 बैठक के दौरान निम्नलिखित की समीक्षा करना:</p> <p>1.1.1 प्रत्येक ब्लॉक और स्थानीय शहरी निकाय (ULB) लू प्रतिक्रिया के लिए फोकल प्वाइंट का निर्धारण ।</p> <p>1.1.2 हीट वेव/लू प्रतिक्रिया मामलों के लिए स्वास्थ्य सुविधा, क्षमताओं का आंकलन करना, हीट स्ट्रोक उपचार के लिये वार्ड, कूलिंग रूम की मैपिंग इत्यादि ।</p> <p>1.1.3 स्वास्थ्य सुविधाओं में पावर बैक अप की व्यवस्था ।</p> | <p>1.ब्लॉक प्रशासन</p> <p>2.स्थानीय शहरी निकाय (ULB)</p> <p>3. समाज कल्याण विभाग</p> <p>4.दिव्यांग जन सशक्तीकरण विभाग</p> <p>5.पंचायती राज विभाग</p> <p>6.एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स</p> | <p>राष्ट्रीय प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 41 (1) (ए-2) द्वारा राज्य सरकार का प्रत्येक विभाग, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप योजना बनाएगा-आपदा की रोकथाम के लिए रणनीतियों का एकीकरण या इसके प्रभावों का शमन या विभाग द्वारा विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ</p> |

|    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    |                                                                                                 | <p>1.1.4 एंबुलेंस की व्यवस्था ।</p> <p>1.1.5 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में नियंत्रण कक्ष की स्थापना</p> <p>1.1.6 दवाओं का स्टॉक और पूर्व स्थिति का आंकलन व स्टोरेज ।</p> <p>1.1.7, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) कोलू के मामलों की रिपोर्टिंग ।</p> <p>1.1.8 हीटवे/हीटस्ट्रोक के मामलों में वृद्धि के मामले में निजी स्वास्थ्य सुविधाओं के साथसमन्वय ।</p> <p>2. लू प्रतिक्रिया के लिए जिला स्वास्थ्य क्षेत्र की तैयारियों पर स्थिति रिपोर्ट तैयार करना ।</p> <p>3. लू के लिए चिकित्सा प्रतिक्रिया एवं तैयारी योजना की समीक्षा / अपडेट करना ।</p> |                                                                                                                                                    | एकीकृत करेगा । |
| 2. | लूप्रतिक्रिया के समन्वय के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के नियंत्रण कक्ष को सक्रिय करना | <p>1. मई माह से लू प्रतिक्रिया के लिए जिला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में नियंत्रण कक्ष को स्थापित कर सक्रिय करना ।</p> <p>2. नियंत्रण कक्ष में निम्नलिखित को सुनिश्चित करना:</p> <p>2.1 स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति के</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>1-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र /प्राथमिकस्वास्थ्य केन्द्र/जिलाचिकित्सालय</p> <p>2. स्थानीय शहरीनिकाय (यूएलबी) के अन्तर्गत स्वास्थ्य सुविधाएं</p> |                |

|    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                   | <p>साथ लू हेतु स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता पर एक डेटा बेस तैयार के उपचार करना एवं उन्हें लू के मामलों के आधार पर दैनिक अद्यतन करना।</p> <p>2.2 हीटवे/हीट स्ट्रोक से सम्बंधित आने वाली फोन कॉल का जवाब देने के लिए स्पष्ट प्रक्रिया तैयार करना ।</p> <p>2.3 हीटवे/लू के मामलों और मौतों को संकलित कर विवरण रिपोर्ट तैयार करना और जिला आपदा नियंत्रण कक्ष के साथ साझा करना।</p> <p>2.4 हीट स्ट्रोक के मामलों और रुझानों का विश्लेषण करना।</p> | 3. निजी स्वास्थ्य चिकित्सालय                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |
| 3. | ऊष्माघात हीट स्ट्रोक के मामलों के लिए चिकित्सा प्रतिक्रिया तैयारी | <p>1.ऊष्माघात/हीटस्ट्रोक के मामलों में के प्राप्त करने से लेकर उपचार तक स्पष्ट प्रोटोकॉल को ड्राफ्ट करना।</p> <p>2. स्वास्थ्य सुविधाओं के कम में निम्नलिखित सुनिश्चित करना:</p> <p>2.1 ओआरएस, आईवी तरल पदार्थ, जीवन रक्षक दवाइयां, आइसपैक की पहले से व्यवस्था करना।</p> <p>2.2 हीट स्ट्रोक वार्ड/बेड में कुलिंग की सुविधा (एसी/ कूलर्स)</p> <p>3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से उच्च</p>                                                       | <p>1-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिलाचिकित्सालय</p> <p>2. स्थानीय शहरी निकाय (यूएलबी) के अन्तर्गत स्वास्थ्य सुविधाएं</p> <p>3. निजीस्वास्थ्य चिकित्सालय</p> | 1.राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण, प्रबंधन भारत सरकार द्वारा जारी की गयी लू कार्य योजना 2019 के बिन्दु संख्या 4.2 में दिये गये दिशानिर्देशों के अनुसार |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <p>स्वास्थ्य सुविधा के लिए रोगियों को संदर्भित करने पर ड्राफ्ट प्रोटोकॉल जो पर्याप्त स्थिरीकरण और बुनियादी निश्चित देखभाल (शीतलन और जलयोजन) के बाद ही किया जाना चाहिए।</p> <p>4. रैपिड रिस्पांस टीम का गठन करना जो अस्पताल के बाहर चिकित्सा मुहैया कराना सुनिश्चित करे।</p> <p>5. ऊष्माघात/हीटस्ट्रोक के मामलों और मौतों की दैनिक रिपोर्ट तैयार कर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के कंट्रोल रूम को भेजना।</p> |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

**चित्र 2 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा लू प्रबंधन के लिए सामान्य न्यूनतम क्रियाएं और समन्वय**



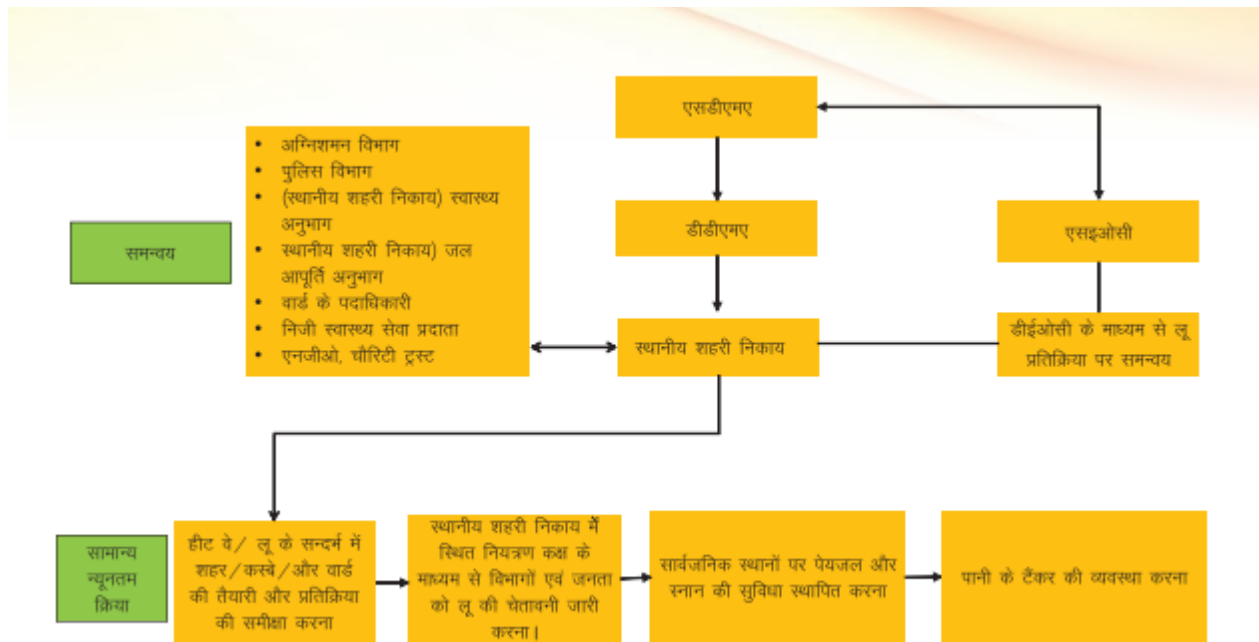
### 3. नगर निगम / नगरपालिका / नगर पंचायत: भूमिका और जिम्मेदारियाँ

| क्र. सं. | कार्य                                                                                  | परिचालनप्रक्रिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | समन्वयकारी एजेंसिया                                                                                                                                                                                                                                                                                     | सन्दर्भ<br>(विधान/मानक/दिशा निर्देश)                                                                                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | हीटवेब/लू/ के सन्दर्भ में शहर/ कस्बे और वार्ड की तैयारी और प्रतिक्रिया की समीक्षा करना | <p>1. शहर/वार्ड स्तर पर लू के सन्दर्भ में तैयारी और प्रतिक्रिया की समीक्षा करने के लिए स्थानीय शहरी निकाय की बैठक मार्च माह में आयोजित करना।</p> <p>1.1 बैठक के दौरान निम्नलिखित की समीक्षा करना:</p> <p>1.1.1 लू प्रतिक्रिया के दौरान आपात कालीन कार्यों जैसे स्वास्थ्य, बिजली, पानी की आपूर्ति, फोकल प्वाइंट का निर्धारण।</p> <p>1.1.2 वार्ड स्तर पर फोकल प्वाइंट का निर्धारण।</p> <p>1.1.3 वार्ड स्तर पर लू प्रतिक्रिया के लिए स्वयं सेवकों का चिन्हांकन।</p> <p>1.1.4 प्रत्येक वार्ड में लू प्रतिक्रिया के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की क्षमता का आंकलन करना, हीट स्ट्रोक उपचार के लिए वार्ड,</p> | <p>1. अग्निशमनविभाग</p> <p>2. पुलिसविभाग</p> <p>3. स्थानीय शहरीनिकाय (ULB) का स्वास्थ्य अनुभाग</p> <p>4. स्थानीय शहरीनिकाय (ULB) का जल आपूर्तिविभाग</p> <p>5. स्थानीय शहरीनिकाय (ULB)</p> <p>6. विद्युतविभाग</p> <p>7. वार्ड पदाधिकारी</p> <p>8. निजी स्वास्थ्य सेवाप्रदाता</p> <p>9. एनजीओ, चौरिटी</p> | <p>1. राष्ट्रीय आपदाप्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 41 (2) (ए-2) द्वारा स्थानीय प्राधिकरण आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक उपाय कर सकेगा।</p> |

|    |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                                                                                                      | <p>कूलिंग रूम की मैपिंग इत्यादि ।</p> <p>1.1.5 स्वास्थ्य सुविधाओं में पावर बैकअप की व्यवस्था ।</p> <p>1.1.6 एंबुलेंस की व्यवस्था ।</p> <p>1.1.7 स्थानीय शहरीनिकाय (ULB) में नियंत्रण कक्ष की स्थापना ।</p> <p>1.1.8 दवाओं का स्टॉक और पूर्वस्थिति का आंकलन एवं स्टोरेज ।</p> <p>1.1.9 लूचेतावनी का प्रचार-प्रसार ।</p> <p>1.1.10 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) को लू के मामलों की रिपोर्टिंग ।</p> <p>1.1.11 लू के कारण काम के घंटों का पुनर्निर्धारण । 1.1.12 हीटस्ट्रोक के मामलों में वृद्धि के मामलों में निजी स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ समन्वय ।</p> <p>2. लू प्रतिक्रिया के लिए शहरी स्थानीय निकाय (न्स्ट) की तैयारियों पर स्थिति रिपोर्ट तैयार करना ।</p> | ट्रस्ट                                                                                 |  |
| 2. | स्थानीय शहरीनिकाय में स्थित नियंत्रण कक्ष के माध्यम से विभागों एवं जनता को लू की चेतावनी जारी करना । | <p>1. संबंधित वार्डों और प्रतिक्रिया पदाधिकारियों को लू अलर्ट का प्रचार व प्रसार करना ।</p> <p>2. आम जनमानस को लू अलर्ट की चेतावनी के</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>1. वार्ड पदाधिकारी</p> <p>2. वार्ड स्तर के स्वयंसेवक</p> <p>3. सार्वजनिक परिवहन</p> |  |

|    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                |  |
|----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                                                          | <p>प्रचार व प्रसार हेतु:</p> <p>2.1 स्थानीय केबल ऑपरेटर, सोशल मीडिया, एफएम और स्थानीय समाचार पत्र का उपयोग करना।</p> <p>2.2 रियल एस्टेट, ठेकेदार संघ के साथ समन्वय करबचने के लिये निर्देशितकरना। 11 बजे से 3 बजेतक खुले क्षेत्रों में श्रम कार्यकरने से</p> <p>2.3 शहर के सार्वजनिक परिवहन स्थलों पर लू अलर्ट की चेतावनी का प्रचार व प्रसार ।</p> <p>2.4 हाटस्पॉट औरसंवदेनशील समूहों की देखभाल के लियेस्वयं सेवकों की पहचानकरना।</p> <p>3. वालंटियर्स कोलू के दौरान क्या करे क्या न करें और हीट स्ट्रोक से रोगग्रस्त व्यक्तियों की बुनियादी देखभाल व प्राथमिक उपचार प्रदान करने पर प्रशिक्षित करना।</p> | <p>विभाग</p> <p>4. रियल एस्टेट एसोसिएशन</p> <p>5.स्थानीय केबल टीवी ऑपरेटर, एफएम रेडियो और स्थानीय समाचारपत्र</p>               |  |
| 3. | सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल औरस्नान की सुविध स्थापित करना | <p>1. सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल सुविधा बनाने के लिए जल शक्ति, स्थानीय शहरी निकाय (ULB) की जल आपूर्ति अनुभाग, गैर सरकारी संगठनों और धर्मार्थ ट्रस्ट के साथ समन्वय करना।</p> <p>3. सुनिश्चित करना कि पेयजल के स्रोत सुव्यवस्थित औ रस्वच्छहैं।</p> <p>4. बेघरों के लिए आश्रय स्थलपरस्नान की</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>1.जल शक्तिविभाग 2. स्थानीय शहरी निकाय (ULB) की जल आपूर्ति अनुभाग 3. एनजीओ, चौरिटी ट्रस्ट</p> <p>4. रियल एस्टेट एसोसिएशन</p> |  |

|    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                   | सुविधा का निर्माण करना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |
| 4. | पानी के टैंकर की कीव्यवस्थाकरना   | <p>1. पानी की आपूर्ति के लिए उपलब्ध पानी के टैंकरों का डेटाबेस बनाना।</p> <p>2. निजी पानी के टैंकरों को सूचीबद्ध करना।</p> <p>3. स्थानीय शहरी निकाय के नियंत्रण कक्ष पर जनता द्वारा पानी की मांग पर पानी के टैंकर के माध्यम से जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना।</p> <p>4. पेयजल की उच्च मांग और सीमित आपूर्ति के संवेदनशीलता मामले में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के साथसमन्वय करना।</p> <p>5. पेयजल की आपूर्ति पूर्ण होनेपर नियंत्रण कक्ष द्वारा दर्ज मामले को बंद करना।</p> | <p>1. स्थानीय शहरी निकाय (ULB) की आपूर्ति जल अनुभाग</p> <p>2. पुलिसविभाग</p> <p>3. जल शक्तिविभाग</p> <p>4. निजीपानी के टैंकर</p> |                                                                                                                                                         |
| 5. | प्रतिक्रिया उपायों का कार्यान्वयन | <p>1.चरम गर्मी/लू की अवधि के दौरान सार्वजनिक पार्क और सार्वजनिक उद्यान को खोलना।</p> <p>2.सड़कों पर पानी का छिड़कावकरना ।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. वाड 'पदाधिकारी                                                                                                                | <p>1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा जारी की गयी लू कार्ययोजना 2019 के बिन्दु संख्या 4. 3 में दिये गये दिशानिर्देशों के अनुसार</p> |



चित्र 3: शहरीस्थानीय निकायों द्वारा लू प्रबंधन के लिए सामान्य न्यूनतम क्रियाएं और समन्वय

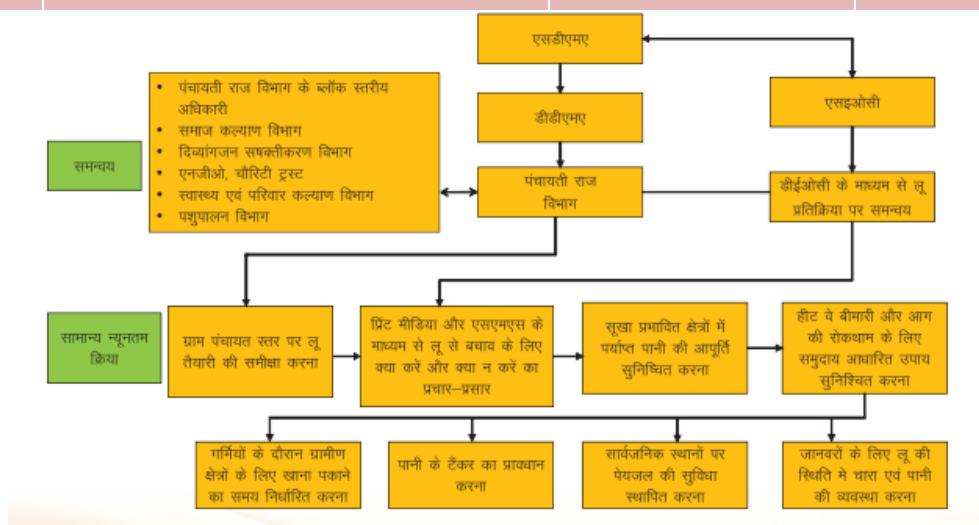
#### 4. पंचायती राज विभाग: भूमिका और जिम्मेदारियाँ:

| क्र.सं. | कार्य                                                            | परिचालनप्रक्रिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | समन्वयकारी एजेंसिया                                                                                                                                                                                                     | सन्दर्भ (विधान/मानक/दिशा निर्देश)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-      | पंचायती राज विभाग की लू की तैयारी और प्रतिक्रिया की समीक्षा करना | <p>1. लू के सन्दर्भ में तैयारी और प्रतिक्रिया की समीक्षा करने के लिए पंचायती राज विभाग की बैठक मार्च माह में आयोजित करना। बैठक के दौरान निम्नलिखित की समीक्षा की जानी चाहिये:</p> <p>1.1 लू प्रतिक्रिया मामलों के लिए गांव स्तर पर फोकल प्वाइंट का निर्धारण।</p> <p>1.2 लू प्रतिक्रिया मामलों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की क्षमता: हीट स्ट्रोक उपचार वार्ड, कूलिंग रूम, आदि।</p> <p>1.3 स्वास्थ्य सुविधाओं में पावर बैक अप</p> <p>1.4 कार्यात्मक एम्बुलेंस की संख्या</p> <p>1.5 लू प्रतिक्रिया के लिए समन्वयक व्यवस्था</p> <p>1.6 दवाओं का स्टॉक और पूर्व स्थिति का आंकलन एवं स्टोरेज।</p> <p>1.7 शहर में सुपर स्पेशलिटी की आवश्यकता वाले मामले को स्थानांतरित करने के लिए प्रोटोकॉल</p> | <p>1. पंचायती राज विभाग के ब्लॉक स्तर के अधिकारी</p> <p>2. समाज कल्याण विभाग</p> <p>3. दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग</p> <p>4. एनजीओ, चौरिटी ट्रस्ट</p> <p>5. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग</p> <p>6. पशुपालन विभाग</p> | <p>1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 41 (1) (1) द्वारा राज्य सरकार का प्रत्येक विभाग, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप योजना बनाएगा आपदा की रोकथाम एवं न्यूनीकरण के लिए सरकारी योजनाओं या विभाग द्वारा चलायी जा रही विकास परक योजनाओं और कार्यक्रमों में समावेशित करेगा।</p> |

|           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
|           |                                                                               | <p>1.8 चारा प्रबंधन</p> <p>1.9 पशुपालन देखभाल</p> <p>1.10 लू प्रतिक्रिया के लिए ग्राम स्वयं सेवक का चिन्हीकरण।</p> <p>2. लू प्रतिक्रिया के लिए पंचायती राज विभाग की तैयारियों पर स्थिति रिपोर्ट तैयार करना</p>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |  |
| <b>2-</b> | गर्मियों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खानापकाने के समय को निर्धारित करना | <p>1. आग के खतरों को कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में खानापकाने के समय को निर्धारित करने एवं निगरानी के लिये ग्राम पंचायतों को निर्देश जारी करना।</p> <p>2. ग्राम पंचायत मई से पहले ग्राम सभा की बैठक का आयोजन कर खानापकाने के विशिष्ट समय के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती है।</p> <p>3. हीटवे/ लू से बचाव के लिए क्या करें और क्या न करें को ग्राम सभा में साझा करना।</p> <p>4. ग्राम पंचायत खाना पकाने के समय का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करायेगी।</p> | 1. ग्राम पंचायत                                |  |
| <b>3-</b> | पानी के टैंकर का प्रावधान करना                                                | 1. जिले के विभिन्न विकास खण्डों में जलापूर्ति के लिए उपलब्ध पानी के टैंकरों का डेटा बेस बनाना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>1. जल शक्ति विभाग</p> <p>2. पुलिस विभाग</p> |  |

|    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                    | <p>2. पंचायती राज विभाग द्वारा निजी पानी के टैंकों को सूचीबद्ध करना।</p> <p>3. पंचायती राज विभाग द्वारा चलाये जा रहे नियंत्रण कक्ष पर ग्रामीणों द्वारा किए गए अनुरोध पर पानी के टैंक के माध्यम से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कराना।</p> <p>4. पेयजल की उच्च मांग और सीमित आपूर्ति के संवेदनशीलता मामले में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के साथ समन्वय करना।</p> <p>5. पेयजल की आपूर्ति पूर्ण होने पर नियंत्रण कक्ष द्वारा दर्ज मामले को बंद करना।</p> | 3. निजी पानी के टैंक                                    |                                                                                                                                                          |
| 4- | सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल की सुविधा स्थापित करना। | <p>1. सार्वजनिक स्थानों विशेषकर बस स्टैंड, बाजार, तीर्थ स्थल, मनरेगा साइटों सहित सार्वजनिक स्थानों पर पेय जल सुविधा बनाने के लिये जल शक्ति विभाग, गैर सरकारी संगठनों और धर्मार्थ ट्रस्ट के साथ समन्वय बैठक आयोजित करना।</p> <p>2. सुनिश्चित करना कि पेयजल के स्रोत सुव्यवस्थित और स्वच्छ हों।</p>                                                                                                                                                           | <p>1. जल शक्ति विभाग</p> <p>2. एनजीओ, चौरिटी ट्रस्ट</p> | <p>1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा जारी की गयी लू कार्य योजना 2019 के बिन्दु संख्या 4.3 में दिये गये दिशानिर्देशों के अनुसार।</p> |
| 5- | जानवरों के लिए लू की तैयारी करना                   | <p>1. सूखे/लू की स्थिति को ध्यान में रखकर चारे और पानी की आवश्यकता वाले ब्लॉकों और गांवों को</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>1. राजस्व विभाग</p> <p>2. जल शक्ति विभाग</p>         |                                                                                                                                                          |

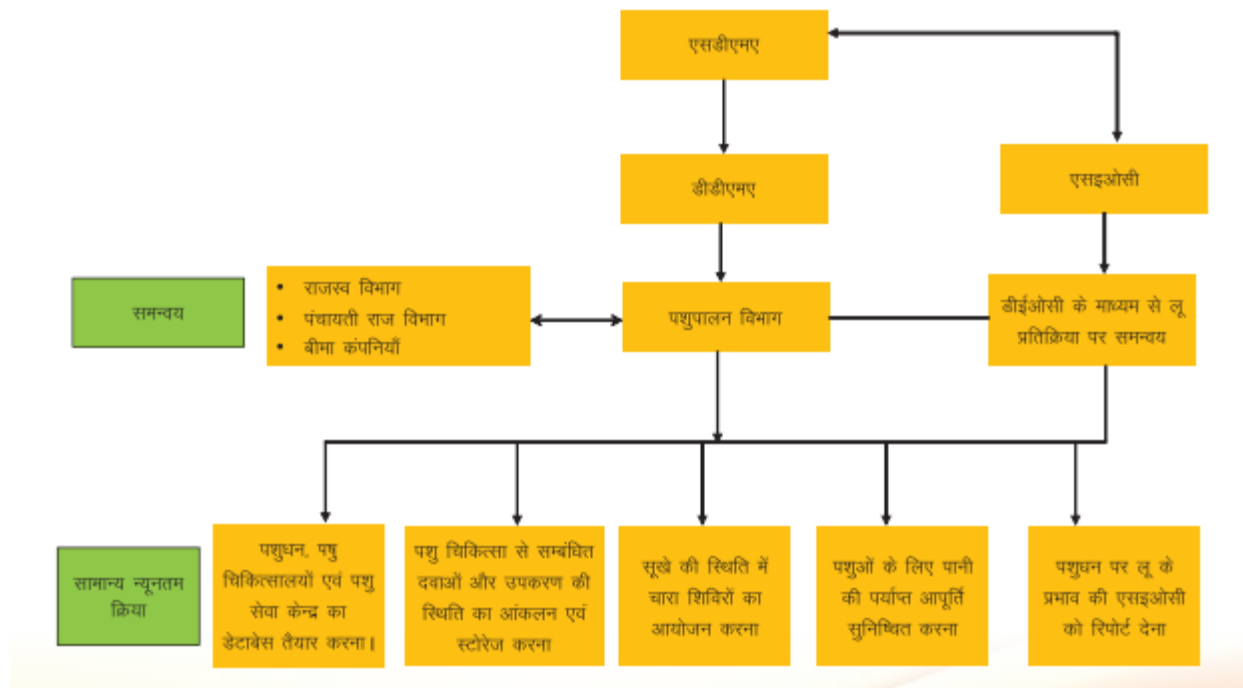
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <p>चिन्हितकरना।</p> <p>2. पशुओं के लिए चारे और पानी की आवश्यकताओं का ग्राम पंचायतवार आंकलन करना।</p> <p>3. सूखे की स्थिति में चारा शिविर का आयोजन करना।</p> <p>4. पशुओं के लिए पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना।</p> <p>5. लू से बचाव के लिए छुट्टा व आवारा जानवरों के लिए छायादार शेड बनाना।</p> | <p>3. एनजीओ, चौरिटी ट्रस्ट</p> <p>4. पशुपालन विभाग</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|



चित्र 4: पंचायती राज विभाग द्वारा लू प्रबंधन के लिए सामान्य न्यूनतम क्रियाएं और समन्वय

## 5. पशुपालन विभाग: भूमिका और जिम्मेदारियाँ

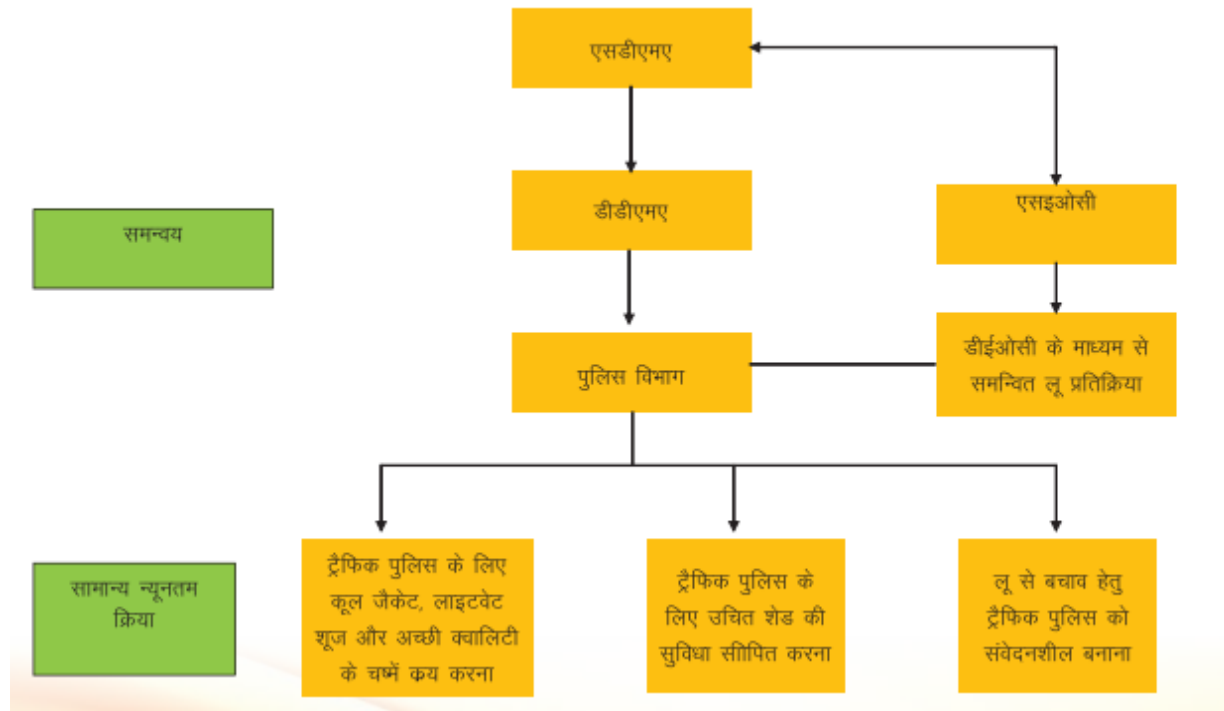
| क्र.सं. | कार्य                           | परिचालनप्रक्रिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | समन्वयकारी एजेंसिया                                                      | सन्दर्भ (विधान/मानक/दिशा निर्देश)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | जानवरों के लिए लू की तैयारीकरना | <p>1.जिले में पशु धन, पशु चिकित्सालयों एवं पशुसेवा केन्द्र का डेटा बेस तैयार करना।</p> <p>2. पशुचिकित्सा से सम्बंधित दवाओ और उपकरण की स्थिति का आंकलन एवं स्टोरज।</p> <p>3. लू से बचाव के लिए जानवरों के लिए पशुआश्रय/शेड का निर्माण।</p> <p>4. सूखे की स्थिति मेंचारा शिविर का आयोजन।</p> <p>5. पशुओं के लिए पानी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना।</p> <p>6. जानवरों में लू संबंधित मामलों का विश्लेषण करना और निष्कर्षों को अगले वर्ष की प्रतिक्रिया योजनामें शामिल करते हुए अपडेट करना।</p> <p>7. पशुओं पर लू के प्रभाव की सूचना जिला इमरजेंसी नियंत्रण कक्ष को देना।</p> | <p>1.राजस्व विभाग</p> <p>2.पंचायती राज विभाग</p> <p>3. बीमा कंपनियाँ</p> | <p>1.राष्ट्रीय आपदाप्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 41 (1) (II) द्वाराराज्य सरकार का प्रत्येक विभाग, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप योजना बनाएगा आपदा की रोकथाम एवं न्यूनीकरण के लिए सरकारी योजनाओं या विभाग द्वारा चलायी जा रही विकास परक योजनाओं और कार्यक्रमों में समावेशितकरेगा।</p> <p>2.राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा जारी की गयी लू कार्ययोजना 2019 के बिन्दु संख्या 4.3 मेंदिये गये दिशानिर्देशों के अनुसार।</p> |



चित्र 5: पशु पालन विभाग द्वारा सू प्रबंधन के लिए सामान्य न्यूनतम क्रियाएं और समन्वय

## 6. पुलिस विभाग: भूमिका और जिम्मेदारियां

| क्र.सं. | कार्य                                           | परिचालनप्रक्रिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | समन्वयकारी एजेंसिया                                                                        | सन्दर्भ (विधान/मानक/दिशा निर्देश)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | ट्रैफिक पुलिस के लिए लू प्रतिक्रिया योजना बनाना | <p>1-यातायात पुलिस के लिए शरीर को ठंडा रखने वाले जैकेट, हल्के जूते और अच्छे क्वालिटी के चश्मे खरीदना। यह 3 से 4 घंटे के लिए शरीर के तापमान को 6-12 डिग्री तक कम कर सकता है।</p> <p>2-यातायात पुलिस को उपर्युक्त वस्तुओं का आवंटन करना।</p> <p>3- ट्रैफिक पुलिस के लिए उचित शेड या छाता शेड की व्यवस्थाकरना।</p> <p>4- ट्रैफिक पुलिस को हीटवे/लू से बचाव एवं देखभालपरसंवेदनशील बनाना।</p> | <p>1- स्थानीय शहरीनिकाय (ULB)</p> <p>2- लोकनिर्माणविभाग</p> <p>3- एनजीओ, चौरिटी ट्रस्ट</p> | 1-राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 41 (1)a(ii)द्वारा राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप योजना बनाएगा आपदा की रोकथाम न्यूनीकरण के लिए सरकारी योजनाओं या विभाग द्वारा चलायी जा रही विकासपरक योजनाओं और कार्यक्रमों में समावेशितकरेगा। |



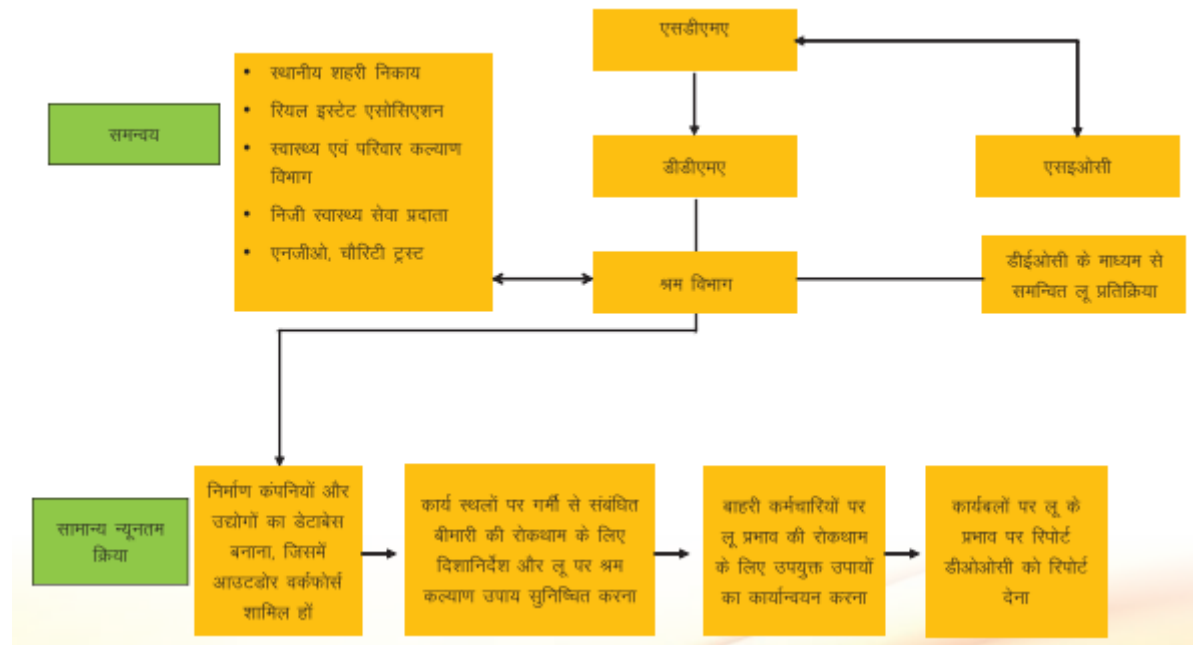
चित्र 6: पुलिस विभाग द्वारा लू प्रबंधन के लिए सामान्य न्यूनतम क्रियाएं और समन्वय

## 7. श्रम विभाग: भूमिका और जिम्मेदारियाँ

| क्र. सं. | कार्य                                    | परिचालनप्रक्रिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | समन्वयकारी एजेंसिया                                                                                                                                                        | सन्दर्भ (विधान/मानक/दिशा निर्देश)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | मजदूरों के लिए लूप्रतिक्रिया योजना बनाना | <p>1-निर्माण कंपनियों और उद्योगों का डेटाबेस बनाएं, जिसमें बाहरी गतिविधियों और कार्य क्षेत्र में कामगार शामिल हों।</p> <p>2- लू के दौरान विशेष रूप से खुले में मै नुवलीकाम करने वाले श्रमिकों के लिए काम के घंटे को पुनर्निर्धारित करने या लचीला बनाने हेतुनिर्देश जारी करना।</p> <p>3- श्रमिकों को उनके शरीर की सुरक्षा के लिए लम्बीबाजू की शर्ट और टोपी व कान और गर्दन को कपड़े से ढकने के निर्देश जारी करना।</p> <p>4- श्रमिकों के लिए छायादार स्थान पर विश्राम क्षेत्र के निर्माण के लिए नियोक्ताओं को निर्देशित करना।</p> <p>5-नियोक्ताओं द्वारा निर्माण/कार्यस्थल पर प्राथमिक चिकित्साकिट, आइसपैक, पीने के</p> | <p>1-स्थानीय शहरी निकाय (ULB)</p> <p>2- रियल एस्टेट एसोसिएशन</p> <p>3- स्वास्थ्य औरपरिवारकल्याणविभाग</p> <p>4- निजीस्वास्थ्य सेवाप्रदाता</p> <p>5- एनजीओ, चौरिटीट्रस्ट</p> | <p>1- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा41 (1) a(II) द्वारा राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग, प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप योजना बनाएगा आपदा की रोकथाम एवंन्यूनीकरण के लिए सरकारी योजनाओं या विभाग द्वारा चलायी जा रही विकास परक योजनाओं औरकार्यक्रमों में समावेशितकरेगा।</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <p>पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करना।</p> <p><b>6-</b> निर्माण स्थल पर निकटतमस्वास्थ्य सुविधा और एम्बुलेंस के संपर्क विवरण को प्रदर्शित करने के लिए निर्माण प्रबंधकों को निर्देशित करना।</p> <p><b>7-</b> निर्माण स्थल पर आपात स्थिति में स्वास्थ्य सुविधा हेतु श्रमिकों को स्थानान्तरित करने के लिये परिवहन सुविधा का प्रावधान करने हेतु निर्माण प्रबंधकों को निर्देशित करना।</p> <p><b>8-</b> हीटस्ट्रोक के मामले में सूचना जिला इमरजेंसी नियंत्रण कक्ष को देना।</p> |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

चित्र 7: श्रम विभाग द्वारा लू प्रबंधन के लिए सामान्य न्यूनतम क्रियाएं और समन्वय



चित्र 7: श्रम विभाग द्वारा लू प्रबंधन के लिए सामान्य न्यूनतम क्रियाएं और समन्वय

#### 4. हीटवेव (लू) से संबंधित बीमारियों का प्रबंधन

##### 4.1 हीटवेव (लू) से संबंधित बीमारी की रोकथाम

गर्मियों के मौसम में लू चलना आम बात है। लू लगना गर्मी के मौसम की बीमारी है। लू लगने का प्रमुख कारण शरीर में नमक और पानी की कमी होना है। पसीने के रूप में नमक और पानी का बड़ा हिस्सा शरीर से निकलकर खून की गर्मी को बढ़ा देता है। सिर में भारी पन मालूम होने लगता है, नाड़ी की गति बढ़ने लगती है, खून की गति भी तेज़ हो जाती है। सांस की गति भी ठीक नहीं रहती तथा शरीर में ऐंठन सी लगती है। बुखार काफी बढ़ जाता है। हाथ और पैरों के तालुआ में जलन सी होती रहती है। आँखें भी जलती हैं। इससे अचानक बेहोशी व अंततः रोगी की मौत भी हो सकती है।

##### 4.2 हीट वेव रोगों/विकारों के लक्षण एवं प्रथमोपचार।

| हीट सम्बन्धित रोग | लक्षण                                                               | प्रथमोपचार                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सनबर्न            | त्वचा में लालीमा तथा दर्द, सूजन, फफोले, बुखार तथा सरदर्द            | साबुन का उपयोग करते हुये शावर आदि में स्नान कराना ताकि तेल से बन्द रंध्र खुल जाए और शरीर प्राकृतिक रूप से शीतल हो सके। यदि फफोले पाये जाते हैं तो सूखे विसंक्रमक ड्रेसिंग का उपयोग करें तथा चिकित्सकीय सलाह लें। |
| हीट क्रैम्प्स     | उदरीय मांसपेशियों तथा हाथ, पैर की तकलीफ देह ऐंठन; ज्यादा पसीना आना। | पीड़ित व्यक्ति को ठण्डे तथा छायादार स्थान पर ले जाए, क्रैम्पिंग मांसपेशियों पर दबाव डालें तथा ऐंठन से आराम हेतु हल्की मालिश करें। पानी की बूंदबूंद पिलायें। यदि जी मचले तो पानी देना बन्द कर दें।                |

|                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| हीट एक्जाशन             | अत्यधिक पसीना आना, कमजोरी; त्वचा ठण्डी पीली तथा चिप-चिपी, सरदर्द। सामान्य तापमान संभव, बेहोशी, उल्टी।                               | ठण्डे स्थान में मरीज को लेटायें। वस्त्र को ढीला करें। ठण्डे कमरे का उपयोग करें, मरीज को पंखा करें या वातानुकूलित स्थान में ले जाए। पानी की बूंदबूंद करके पिलायें; यदि जी मचले तो इसे देना बन्द कर दें। यदि उल्टी होती है तो 108 या 102 नम्बर की एम्बुलेंस द्वारा चिकित्सालय में भर्ती करायें। |
| हीटस्ट्रोक (सन स्ट्रोक) | उच्च शारीरिक तापमान (106 डिग्री फा0 या अधिक) गर्म शुष्क त्वचा। तेज जोरदार नाड़ी (पल्स); बेहोशी आना तथा मरीज को पसीना आना बंद होजाए। | हीट स्ट्रोक गंभीर चिकित्सकीय स्थिति। 108 तथा 102 नम्बर पर एम्बुलेंस को चिकित्सा सेवा हेतु तत्काल कॉल करना चाहिए, या मरीज को तुरन्त अस्पताल ले जाना चाहिए। विलम्ब प्राण घातक साबित हो सकता है। मरीज को तत्काल ठण्डे वातावरण में ले जाना चाहिए या बर्फीले पानी की स्पंजिंग करते रहना चाहिए।     |

#### 4.3 हीटवेव (लू) से प्रभावित मृतकों की पहचान करना तथा आंकड़ों का संग्रहण।

हीटवेव से हाने वाले मृतकों एवं परिवार को सरकार द्वारा आर्थिक राहत दी जाती है। अतः मृत्यु के कारण की पहचान किया जाना आवश्यक है।

हीटवेव प्रभावितों की पहचान करना तथा इनसे हुई मृत्यु को दर्ज करना:—हीटवेव प्रभावितों की पहचान करना तथा इनसे हुई मृत्यु/मृतकों को दर्ज करना महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही पूर्व के अनुभवों से यह भी स्पष्ट होता है कि गलत रिपोर्टिंग को सत्यापित किया जाए, जिसके लिए निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं:—

- विशेष स्थान तथा समय के अधिकतम तापमान को दर्ज किया जाए।

- रोगसंबंधी घटनाओं (डिजीज इंसीडेन्स), पंचनामा तथा दूसरें गवाहों या प्रमाणों या वर्बल ऑटोप्सी दर्जकरना।
- कारणों सहित पोस्टमार्टम, चिकित्सीय जॉच की रिपोर्ट।
- स्थानीय अधिकारी या स्थानीय निकाय द्वारा पूछताछ/सत्यापन रिपोर्ट।

प्रारूप-हीटस्ट्रोक के मामलों और मौतों की दैनिक रिपोर्ट (राज्य सरकार को जनपद से प्रेषित)

| क्र०सं० | ग्राम | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | ब्लॉक / शहर | नाम व पिता/पति का नाम | ग्रामीण/ शहरी क्षेत्र | बी०पी० एल० हॉ/ना | आयु/ लिंग | लू आघात होने का दिनांक | कोई पूर्वगामी बीमारी | मृत्यु का कारण | एम०ओ० व एम० आर०ओ० द्वारा कुल मृत्यु की पुष्टि |
|---------|-------|----------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------|------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------------------|
|         |       |                            |             |                       |                       |                  |           |                        |                      |                |                                               |
|         |       |                            |             |                       |                       |                  |           |                        |                      |                |                                               |
|         |       |                            |             |                       |                       |                  |           |                        |                      |                |                                               |
|         |       |                            |             |                       |                       |                  |           |                        |                      |                |                                               |

#### 4.4 हीटवेव (लू) से संबंधित बीमारियों के प्रबंधन के लिये जनस्वास्थ्य सुविधाओं की पूर्वतैयारी

- इस हेतु आई०ई०सी० के माध्यम से जन-जागरूकता अभियान चलाना प्रभावकारी होगा। ए०एन०एम०व आशा के माध्यम से सामान्य जनता को लू/हीटवेव से बचाव तथा त्वरित उपचार हेतु जागृत किया जायें।
- हीट वेव रोग मे प्रभावी निरोधात्मक एवं प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड ट्रीटमेन्ट की जानकारी चिकित्सकों द्वारा फार्मासिस्ट हेतु आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है। सभी चिकित्सालयों मे लू/हीट प्रभावित रोगियों के परीक्षण व उपचार की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जायें। तथा ओ०आर०एस० व आई०वी०फ्लूड का पर्याप्त स्टॉक रखा जायें।
- भीड़ भाड़ वाले जगहों पर चिकित्सा चौकी स्थापित करना।
- चूँकि हीट संबंधी रूग्णता/रोगपरिहार्य/परिवर्तनीय है, इसलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि ससेप्टिबल/संवेदनशील व्यक्तियों द्वारा उपयुक्त निरोधात्मकरण नीति अपनायी जाए।
- ग्राम स्तर के कर्मचारीयों सहित सभी कर्मचारीयों को लू/हीटवेव के प्रभाव पर शमनात्मक व निरोधात्मक कार्यवाही हेतु प्रशिक्षित किया जायें।

## 4.5 हीटवेव की स्थिति में क्या करे क्या न करे।

### क्या करे।

#### ➤ सभी के लिए चाहिए की : (must for all)

- स्थानीय मौसम समाचार के साथ लगातार जिला कृषि मौसम इकाई बुलन्दशहर के सम्पर्क में रहे मौसम ग्रुप पर संदेश देखते रहे तथा मौसम सम्बन्धी जानकारी मोबाइल ऐप पर भी देखें। (मेघदूत मौसम एव या अन्य)
- पर्याप्त पानी पीना भले ही प्यास न लगे (Drink Sufficient water even if not thirsty)
- व्यक्ति जो तरल प्रतिबंधित आहार पर है या द्रव प्रतिधारण के साथ समस्या है तरल सेवन बढ़ाने से पहले डाक्टर से परामर्श करना चाहिए। (Person who are on fluid restricted diets or have a problem with fluid retention should consult a doctor before increasing liquid intake)
- हल्के वजन, हल्के रंग के ढीले, सूती कपड़े पहनें (Wear light weight, Light coloured, loose cotton clothes)
- बुर्जगों, बच्चों बीमार या अधिक वजन वाले लोगों का विशेष ध्यान रखें क्योंकि वे अत्यधिक गर्मी के पिकार होने की संभावना रखते हैं। (Take special care for the elderly, children, sick or over weight as they are more likely to become victims of excessive heat)
- सीधी धूप से बचने के लिए सावधानी बरतें। (caution workers to avoid direct sunlight)
- जितना हो सके घर के अन्दर रहे। (Stay indoors as much as possible)
- सूखी पत्तियों कृषि अवशेषों और कचरे को न जलायें (Don't burn dry leaves agriculture residue and garbage.)
- 24 डिग्री या अधिक पर ऐसी तापमान बनाए रखें। आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा। (Maintain AC temperature at 24 degrees or higher make your health better.)
- यदि बाहर है तो अपना सिर ढके कपड़े टोपी या छाता का उपयोग करें। अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए धूप के चश्मे का प्रयोग करें और अपनी त्वचा की सुरक्षा के लिए सनस्क्रीन का प्रयोग करें। (If outside, cover your head; use a cloth hat or umbrella. use sunglasses to protect your eyes and sunscreen to protect your skin)

#### ➤ नियोक्ता एवं श्रमिकों के लिए

- कार्यस्थल के पास ठण्डा पेयजल उपलब्ध करायें।
- श्रमिकों/कर्मचारियों को सीधे धूप से बचने को कहें।
- अत्यधिक परिश्रम वाले कार्य हेतु दोपहर के स्थान पर सुबह एवं शाम का समय निर्धारित करें।
- बाहरी कार्यों को करने के दौरान समय-समय पर छायादार स्थान पर रुकें।

- गर्भवती महिला एवं वृद्ध श्रमिकों से यथासम्भव कार्य न ले, अथवा आवश्यकता पड़ने पर उचित आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये।
- अन्य सावधानियाँ
- जितना हो सके अपने घर के अन्दर रहे।
- अपने घर को ठण्डा रखें।
- धूप को रोकने के लिए परदे सटर आदि का प्रयोग करे एवं हवा के आने जाने के लिए खिड़कियों को खुला रखे।
- घर की निचली मंजिलो में रहने का प्रयास करें।
- पंखे का प्रयोग करे एवं ठण्डे पानी से स्नान करें।
- चक्कर या कमजोरी महसूस होने पर तुरन्त डाक्टर को दिखाये।
- पशुओं को छाया में रखें और उन्हें पीने के लिए भरपूर पानी दे।

#### ➤ क्या न करे।

- धूप में विशेष तौर रूप से दोपहर 12 बजे से 3 बजे बाहर जाने से बचे।
- दोहपार में बाहर जाने पर कठोर परिश्रम वाले कार्य को करने से बचे।
- नंगे पाँव न रहे। धूप में खुले सिर न रहे।
- दिन में जब तापमान अधिक होता है तो इस दौरान खाना पकाने से बचें।
- खाना पकाने के लिए दरवाजे खिड़कियों वाले हवादार क्षेत्र को चूनें।
- शराब चाहे काफी और कार्बोनेटेड शीतल पेय पदार्थों के सेवन से बचे, जो शरीर को निजीलीकृत करता है।
- उच्च प्रोटीन वाले भोजन से बचे।
- बासी भोजन न करे।
- पार्किंग में खड़े किये वाहनों में बच्चों या पालतू जानवरों को न छोड़े क्योंकि वे लू से प्रभावित हो सकते हैं।

#### ➤ हीटवेव एक मेडिकल इमरजेन्सी है।

- खतरे के बारे में जागरूक रहे और यदि आप पालन करते हैं तो तत्काल चिकित्सा की तलाश करे।

#### ➤ व्यस्को

- भटकाव, भ्रम, और आंदोलन चिडचिडापन।
- गतिभंग, कोमा के दौर के साथ व परिवर्तित मानसिक संवेदना।
- गर्मलाल और शुष्क त्वाचामुख शरीर का तापमान।
- 40 डिग्री से0 या 104 डिग्री0 फारेनहाईट बहुत तेज सिर दर्द ।
- चिन्ता, चक्कर आना, बेहोसी और हल्का सिर चक्कर आना।
- दर्द मांसपेशियों में कमजोरी या ऐठन ।

- मच्छी और उल्टी
- तेजी से गर्मी की धड़कन/तेज उठली सांस लेना।

➤ **बच्चों—**

- खेलने से इंकान
- अधिक चिड़चिड़ापन,
- मूत्र उत्पादन में कमी,
- सूक्ष्म मौखिक श्लेष्मा, और आस/धड़ी हुई आखों की अनपस्थि,
- सुस्ती/परिवर्तित सैसरियम,बामदगी,
- किसी जगह भी से खून बहना।

किसी भी सहायता के लिए निम्न नम्बरो पर सम्पर्क कर सकते है।

- एम्बुलेंस 108
- पुलिस –100/112
- राहत आयुक्त कार्यालय 1070
- जिलाधिकारी आवास— 0548–2220240, 2221240
- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, (डी0डी0एम0ए0—)/जिला इमरजेन्सी आपरेशन सेन्टर (ई0ओ0सी0), गाजीपुर। 05732–2282828, 9045098278, 9045098175, 9045098303, 9045098242, 7906208730
- दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी, स्वयं सुरक्षित रहें, दूसरो को सुरक्षित करें।

➤ **पशुपालन के लिए क्या करें (Animal Husbandry)**

- जानवरों को छाया में रखें और उन्हें पीने के लिए पर्याप्त स्वच्छ और ठंडा पानी दें। (Keep animals in shade and give them plenty of clean and cold water to drink.)
- पशुओं से सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच काम ना ले। (Do not make them work between 11 am to 4 pm.)
- तापमान कम करने के लिए शेड की छत को पुआल से ढक दें इसे सफेद रंग दे या गोबर मिट्टी से प्लास्टर कर दें। (cover the shed roof with straw, point it white or plaster with dung mud to reduce temperature)
- शेड में पंखे वाटर स्प्रे और फागर्स का प्रयोग करें। (Use fans, water spray and foggers in the shed.)
- अत्यधिक गर्मी के दौरान पानी का छिड़काव करें और मवेशियों को ठंडा होने के लिए एक जल निकाय में ले जाए। (During extreme heat, spray water and take cattle to a water body to cool off.)

- उन्हें हरी घास, प्रोटीन फैट वाईपास पूरक, खनिज मिश्रण और नमक दें। ठंड घंटों के दौरान उन्हें चरने दें। (Give them green grass, protein fat bypass supplement mineral mixture and salt. make them graze during cooler hours.)
- दोपहर के दौरान मवेशियों को चराने/खिलाने से बचे। (Avoid grazing/ feeding of cattle during noon hours.)

### 5.1 हीटवेव से संबंधित बीमारियों के प्रबंधन के लिये अभिनव कार्य/ बेस्ट प्रेक्टिसेज, उपाय (सामुदायिक जागरूकता, स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्व तैयारी, कमजोर वर्ग के लिये सुरक्षात्मक उपाय, आंकड़ों का संग्रह एवं प्रतिवेदन तथा अन्य कार्य

संबंधित विभागों/संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि वर्ष **2025** में लू प्रकोप से बचाव हेतु जो कार्य किये जा रहे हैं, उनका दस्तावेजीकरण, स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों का रख-रखाव उपयुक्त प्रकार से करें, जिसके आधार पर आगामी वर्षों में बेहतर कार्य किये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित किया जा सके। सभी विभागों द्वारा हीटवेव/ लू प्रबंधन हेतु नोडल अधिकारी को नामित कर दिया गया है।

### 5.2 क्षमता वर्धन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा।

प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, आई0ई0सी0 सामग्रियां जैसे-पैम्पलेट, पोस्टर, विज्ञापन, टेलीविजन के माध्यम से इलाज के उपाय, बीमारी से रोकथाम, गर्महवा से बचाव हेतु जागरूकता कार्यक्रम चलाना। चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े निम्न लोगों के लिए स्थानीय स्तर पर गर्मी से उत्पन्न बीमारियों को पहचानने एवं उसका इलाज करने सम्बन्धी प्रशिक्षण/जानकारियां देकर मृत्युदर कम किया जा सके।

- मेडिकल ऑफिसर
- पैरामेडिकल स्टॉफ
- सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी
- गैरसरकारी संस्थाएं

### 5.3 दीर्घ कालिक हीटवेव (लू) से सुरक्षा के उपाय।

**जलवायु अनुकूलन (एक्लीमेटाईजेशन):-**

तुलनात्मक रूप से ठण्डी जलवायु वाले देश/प्रदेश से आने वाले लोगों को कम से कम एक सप्ताह तक घर से बाहर खुल में न घुमने हेतु बताया जाए ताकि नये गर्म जलवायु में उनके अन्दर रहने की योग्यता उत्पन्न हो जाए। साथ ही प्रचुर मात्रा में पानी पीने हेतु बताया जाना चाहिए। नये (ऊष्ण) वातावरण में वातावरण का सामना करने से जलवायु अनुकूलन धीरे-धीरे हो जाता है।

**आकड़े प्राप्त करना तथा इनका विश्लेषण:-**

राष्ट्रीय स्तर पर हीटवेव (लू) नोटीफाइड आपदा में शामिल नहीं है, इसलिए हीटवेव से सम्बन्धित रोगी तथा मृतकों की सही सूचना तथा आंकड़ें उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी स्थिति में स्थिति से निपटने तथा शमनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु यह अतिआवश्यक है कि हीट वेव से मरने वाले व्यक्तियों की

आयुर्वर्ग, लिंग, व्यवसाय सम्बन्धित आंकड़े एकत्र किये जाए। इसके अतिरिक्त मृत्यु घर में या बाहर हुई एवं आर्थिक स्थिति के भी आंकड़े एकत्र करना आवश्यक है।

#### 5.4 सीखे

यह देखा गया है कि हीट वेव दिनों की आवृत्ति साल दर साल बढ़ती जा रही है, इसके कारण हीट वेव का प्रभाव साल दर साल बहु क्षेत्रीय रूप से बढ़ रहा है। गर्मी न केवल मानव शरीर के सामान्य काम काज को प्रभावित करती हैं बल्कि एक सामान्य इंसान की कार्य क्षमता को भी प्रभावित करती हैं जिसके परिणामस्वरूप एक दैनिक औसत की आय का नुकसान होता है। इसलिए शून्य हताहतों के उद्देश्य से लू के प्रतिकूल प्रभावों को कम करनेव एक कुशल रूपरेखा प्रदान करने के लिए सुनियोजित हीटवेव कार्य योजना बनाई जाए। सिविल संरचनाओं पर गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए कूल रूफ तकनीक और अन्य हीट वेव उपायों को अपनाना भी आवश्यक है।

#### 5.5 हीटवेव (लू) से संबंधित मामलों का अध्ययन

जनपद में अभी तक हीट वेव से संबन्धित मामला प्रकाश में नहीं आया है। अगर हीटवेव से संबन्धित कोई जनहानि आदि कि घटना होती है तो उस मामले का अध्ययन और विश्लेषण के आधार पर मिटिगेशन मेजर्स को अपनाया जाएगा।

## 5.6 वित्तीय प्रावधान

उत्तर प्रदेश शासन  
राजस्व अनुभाग-11  
संख्या-303 / 1-11-2016-4(जी)/16  
लखनऊ: दिनांक: 27 जून, 2016

### अधिसूचना

भारत सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि और राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि (2015-20) से व्यय के सम्बन्ध में मानक एवं दरों को निर्धारित करते हुये पत्र संख्या-32-7/2014- एन0डी0एम0-1, दिनांक 08.04.2015 के बिन्दु संख्या-13 में निम्न व्यवस्था दी गयी है:-

|     |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. | State specific disaster within the local context in the State, which are not included in the notified list of disaster eligible for assistance from SDRF/NDRF, can be met from SDRF within the limit of 10% of the annual funds allocation of the SDRF. | <ul style="list-style-type: none"><li>Expenditure is to be incurred from SDRF only (and not from NDRF), as assessed by the State Executive Committee (SEC).</li><li>The norm for various items will be the same as applicable to other notified natural disaster, as listed above. or</li><li>In these cases, the scale of relief assistance against each item for 'local disaster' should not exceed the norms of SDRF.</li><li>The Flexibility is to be applicable only after the State has formally listed the disaster for inclusion and notified transparent norms and guidelines with a clear procedure for identification of the beneficiaries for disaster relief for such local disaster; with the approval of SEC.</li></ul> |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- राज्य में बेमौसम भारी बारिश, आंधी/तूफान, आकाशीय बिजली एवं लू-प्रकोप से प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में जन-धन की हानि होती है। अतः भारत सरकार द्वारा दी गयी उक्त व्यवस्था के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-249/1-11-2015-4(जी)/2015, दिनांक 15.04.2015 (यथा संशोधित दिनांक 16.04.2015) को निरस्त करते हुये श्री राज्यपाल महोदय बेमौसम भारी बारिश, आंधी/तूफान, आकाशीय बिजली एवं लू-प्रकोप को राज्य आपदा घोषित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
- उक्त राज्य आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को भारत सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि के लिये निर्धारित मानक एवं दरों के अनुसार राहत प्रदान की जायेगी।
- उक्त राज्य आपदाओं के सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से व्यय-09-राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" से वहन किया जायेगा।
- प्रदेश सरकार द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(सुरेश चन्द्रा)  
प्रमुख सचिव।

### संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0
- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0

(अनिल कुमार)  
सचिव एवं राहत आयुक्त।

U.O. 2016 //Pg72

## वर्ष 2025 में जनपद बुलन्दशहर में विभागवार तैयार की गयी कार्ययोजना का सारांश

### (1) स्वास्थ्य विभाग कार्ययोजना

#### जनपद स्तरीय हीट वेव नियंत्रण समन्वय समिति

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. जिलाधिकारी                                              | — अध्यक्ष   |
| 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी                                  | — उपाध्यक्ष |
| 3. अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी/संक्रामक रोग नोडल अधिकारी    | — संयोजक    |
| 4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, बु0शहर         | — सदस्य     |
| 5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, बु0शहर | — सदस्य     |
| 6. जिला पंचायत राज अधिकारी, बु0शहर                         | — सदस्य     |
| 7. जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास                       | — सदस्य     |
| 8. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम                               | — सदस्य     |
| 9. समस्त अधिशासी अधिकारी/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत       | — सदस्य     |
| 10. समस्त नगर स्वास्थ्य अधिकारी                            | — सदस्य     |
| 11. जिला मलेरिया अधिकारी                                   | — सदस्य     |
| 12. जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी                | — सदस्य     |
| 13. समस्त अपर/उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी                    | — सदस्य     |
| 14. समस्त अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी                 | — सदस्य     |
| 15. डेजिनेटिड आफिसर फूड सेफ्टी एंड्रि0                     | — सदस्य     |
| 16. फूड सेफ्टी आफिसर                                       | — सदस्य     |

#### हीट वेव/लू की परिभाषा :-

भारतीय व अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के निम्नानुसार है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब किसी जगह का स्थानीय तापमान लगातार 03 दिन तक वहां के सामान्य तापमान से 03 डिग्री0 से0 या अधिक बना रहे तो उसे लू या हीट वेव कहते हैं। विश्व मौसम संघ के अनुसार यदि किसी स्थान का तापमान लगातार 05 दिन तक सामान्य स्थानीय तापमान से 5 डिग्री0 से0 अधिक बना रहे अथवा लगातार दो दिन तक 45 डिग्री से 0 से ऊपर बढ़ता है तो हमारा शरीर वातावरणीय गर्मी को शोषित कर शरीर के तापमान को प्रभावित करने लगता है। अधिक नमी वाले स्थानों पर 37 डिग्री0 से0 पर भी शरीर पर दुष्प्रभाव होने लगता है, जो कि वायु मण्डल में नमी की मात्रा के साथ-साथ बढ़ने लगता है और अधिक नमी के वातावरण में कम तापमान भी घातक प्रभाव डाल सकता है, जैसा कि नीचे दिये गये तापमान/आर्द्रता सारणी से स्पष्ट है। इसका आशय यह है कि अधिक नमी वाले क्षेत्रों यथा-जंगलों व तराई इलाकों में कम तापमान पर भी हीट स्ट्रोक से बचने के उपाय किये जाने चाहिए।

## **Criteria For Heat Wave** **(As defined by Indian Metrological Department)**

Heat Wave Need not be considered till maximum temperature of a station reaches atleast 40°C for plains and at least 30°C for hilly regions.

When normal Maximum temperature of a station less than or equal to 40°C

- Heat Wave Departure from normal is 5 C to
- Severe Heat Wave Departure From normal is 7 C or more

When normal maximum temperature a station is more then 40C

- heat Wave Departure from normal is 6 cor more

When actual maximum temperature remain 45 C or more irrespective or normal maximum temperature, heat wave should declared.

Source : Indian Meteorological Department, <http://www.imd.gov.in>

### **हीट वेव का मानव जीवन पर प्रभाव :-**

मनुष्य के पास तापमान नियंत्रण करने के उपाय सीमित है। मानव शरीर की मासपेशियों में गर्मी पैदा होती है जिसे शरीर को बाहरी तापमान के सापेक्ष 36.7<sup>0</sup>ब बनाये रखना होता है। जब शरीर गर्म होता है तो पसीना निकलने से शरीर ठण्डा होता है परंतु जब ज्यादा पसीना निकलता है तो शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है। साथ ही शरीर का आंतरिक तापमान बढ़ जाता है जो कि घातक होता है।

उ0प्र0 की जनसंख्या उच्च ताप एवं आर्द्रता के लिये अनुकूलित हो सकती है लेकिन बड़े हुये तापमान की आर्द्रता की सहनशीलता की सीमा सीमित है और जलवायु अनुकूलन केवल सीमित सुरक्षा प्रदान करता है। जब तापमान सहनशीलता की दर से अधिक हो जाता है तो केवल बचाव ही इसका उपाय है। जैसे खुली धूप में शारीरिक श्रम से बचे, पर्याप्त पानी पीये, ठण्डी जगह में विश्राम करें आदि

### **5. हीट वेव चेतावनी प्रणाली :-**

हीट वेव की चेतावनी प्रणाली डिजीजन मेकर्स की मौसम की स्थिति से पिटने की तैयारी और तत्परता की क्षमता बढ़ा सकती है। यह चेतावनी प्रणाली वैज्ञानिक तथ्यों एवं तकनीकी ज्ञान पर आधारित है।

हीट वेव से संबंधित चेतावनी प्रणाली (हीट अलर्ट वार्निंग सिस्टम) विकसित करने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग आई0एम0डी0 के सहयोग से चेतावनी जारी की जाती है एवं होने वाले जोखिम एवं कार्यवाही का स्तर निर्धारित किया जाता है।

## हीट अलर्ट कलर सिग्नल :-

| <u>Colour Code</u>            | <u>Alert</u>                 | <u>Warning</u>                                                                                                           | <u>Impact</u>                                                                                                                                                                                                                              | <u>Suggested Action</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Green<br>(No Action)          | Normal Day                   | Maximum temperatures are near normal                                                                                     | Comfortable temperature. No Cautionary action required.                                                                                                                                                                                    | Normal activity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Yellow<br>Alert (Be uplodged) | Heat Alert                   | Heat wave condition at isolated pockets persists for 2 daus                                                              | Moderate temperature Heat is Tolerable for the genera public but moderate health concern for vulnerable people e.g. infants,elderly,People with chronic diseases                                                                           | (a) Avoid heat exposure. (b) Wear lightweight,light-coloured,loose,cotton clothes. (c) Cover your head                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Orange<br>Alert (Be prepared) | Sever Heat Alert for the day | (i) Server heat wave condition persists for 2 days<br>(ii) Through not server, but heat wave persists for 4 days or more | high temperature Increased liklihood of heat liness sysptoms inpeople who are either exposed to sun for a prolonged period or doing heavy work.High Health concern for valnerable people e.g. infants,elderly,People with chronic diseases | (a) Avoid heat exposer - keep cool. Avoid dehydration (b) Bear lightweight, light-coloured,loose,cotton clothes (c) Cover your head (d) Drink Sufficient water-even if not thisty (e) Use ORS, homemade drink like lassi,torani (rice water), lemon water, buttermilk,etc.to keep yourself hydrated (f) Avoid alcohala,tea,coffee and corbonated soft drinks,Which dehydrates the body (g) Take bath in cold water frequently.<br><u>In case of SUNSTROKE%</u><br>Lay the Person in a cool place,under ashade. Wipe her/him with a wet cloth/wash the body |

|                         |                                |                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                         |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                |                                                                                                                                    |                                                                            | frequently.Pour Normal temperature water on the head the main thing is to bring down the body temperature.Consult a doctor immediately. |
| Red Alert (Take Action) | Extreme haet Alert for the day | (i) Server heat wave condition persists for more than 2 days,<br>(ii) Total number of heat/server heat wave days exceeding 6 days. | very high liklihood of developing heat liness and heat stroke in all ages. | Along with suggested action for orange Alert,Extreme care needed for vulnerable prople.                                                 |

### कार्ययोजना के मुख्य बिन्दु :-

#### हीट वेव कंट्रोल रूम की स्थापना :-

जिला स्तर पर हीट वेव से संबंधित किसी भी आपातकालीन स्थित से निपटने हेतु एक कंट्रोल रूम की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें त्वरित चिकित्सा व्यवस्था हेतु चिकित्सीय दल एवं सभी आवश्यक औषधियाँ तैयारियां 24x7 मौजूद रहेंगी। जिसमें 2 चिकित्सा अधिकारी, 2 पेरा मेडिकल स्टाफ एवं 3 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त रहेंगे जो कि नियमित 24 घंटे चक्रवार ड्यूटी करते रहेंगे।

चिकित्सा इकाइयों (जिला चिकित्सालय /सामु0 प्राथ0 स्वास्थ्य केन्द्रो) मे चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु शैय्या आरक्षित की जाएंगी। कंट्रोल रूम प्रभारी जिला सर्विलांस अधिकारी – आई0डी0एस0पी0 होंगे मो0नं0 8006036304 को जिला हेल्प लाइन नंबर के रूप में उपयोग कर प्रचार प्रसार किया जाएगा एवं राज्य स्तर से जारी हेल्प लाइन नंबर जो कि 18001805145 को भी प्रसारित किया जाएगा एवं कंट्रोल रूम मे मंचितरिकरण के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों पर निगरानी बनाये रखे जायेगी।

#### त्वरित कार्यवाही :-

त्वरित कार्यवाही हेतु जनपद स्तर रैपिड रिस्पॉन्स टीम का गठन कर लिया गया है। जिसमे एक जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ/एपिडिमोलॉजिस्ट एक वरिष्ठ फिजीशियन/बाल रोग विशेषज्ञ एक चिकित्सा अधिकारी पैरामेडिकल स्टाफ स्वास्थ्य पर्यवेक्षक एवं एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल होगा जो कि प्रभारी अधिकारी के नेतृत्व मे हीट वेव से संबंधित/ग्रसित मरीजों की सूचना विभाग को प्राप्त होते ही त्वरित कार्यवाही करते हुए वेव प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण/निरीक्षण कर हीट वेव से प्रभावितों की पहचान हुई मृत्यु का सत्यापन कर प्रभावी निरोधात्मक एवं प्राथमिक उपचार सहित आई0ई0सी0 माध्यमों का उपयोग कर जन जागरूकता

फैलाने का कार्य कर मुख्य चिकित्सा अधिकारी/नोडल अधिकारी आई0डी0एस0पी0 को कृत कार्यवाही से अवगत कराएंगे।

स्वास्थ्य केन्द्रों में उक्त तालिकानुसार औषाधियों की उपलब्धता सुनिश्चित किया जायें।

| क्रम संख्या | दवाईयों के नाम                                                                                                                                                                                         | उपकेन्द्र | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र | जिला चिकित्सालय (पु0 /महि0 /मण्ड0 /संयु0) |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| 1           | इन्जे, नार्मल सलाइन                                                                                                                                                                                    |           | 25                         | 500                         | 1000                                      |
| 2           | इन्जे, डी.एन.एस. 500 एम. एल.                                                                                                                                                                           |           | 25                         | 500                         | 1000                                      |
| 3           | इन्जे, आर.एल.500 एम. एल.                                                                                                                                                                               |           | 25                         | 500                         | 1000                                      |
| 4           | इन्जे डेक्सा, 10 प्रतिशत                                                                                                                                                                               |           | 25                         | 100                         | 1000                                      |
| 5           | इन्जे सिप्रोफलाक्सासिन 100 एम.एल.                                                                                                                                                                      |           | 25                         | 100                         | 1000                                      |
| 6           | ओ.आर.एस.                                                                                                                                                                                               | 10        | 200                        | 1000                        | 2000                                      |
| 7           | टेब. पी.सी0एम.                                                                                                                                                                                         | 20        | 1000                       | 2000                        | 4000                                      |
| 8           | टेब, डाइक्लोफेनेक सोडियम 50 एम.जी.                                                                                                                                                                     |           | 500                        | 1000                        | 2000                                      |
| 9           | टेब, मेट्रोनिडाजोल 400 एम.जी.                                                                                                                                                                          |           | 1000                       | 2000                        | 4000                                      |
| 10          | टेब, ओपलाक्सासिन 400 एम.जी.                                                                                                                                                                            |           | 500                        | 1000                        | 4000                                      |
| 11          | आई.व्ही. सेट                                                                                                                                                                                           |           | 250                        | 500                         | 1000                                      |
| 12          | आई.व्ही. कैन्नुला                                                                                                                                                                                      |           | 200                        | 500                         | 1000                                      |
| 13          | स्वास्थ्य केन्द्रों में शुद्ध एवं शीतल पेयजल की व्यवस्था किया जाये।                                                                                                                                    |           |                            |                             |                                           |
| 14          | समस्त स्वास्थ्य इकाईयों में कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जाये, जिसमें 24 x 7 सेवा हेतु स्वास्थ्यकर्मों की रोस्टर अनुसार ड्यूटी लगाई जाये। कन्ट्रोल रूम के दूरभाष नम्बर का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये। |           |                            |                             |                                           |

**जनपद—बुलन्दशहर, सामु0/ प्रा0स्वा0केन्द्र के अधीक्षक/ प्र0चिकि0अधि0 के मोबाइल नम्बर**

| क्रम सं0 | प्रभारी का नाम     | पदनाम         | मो0 नम्बर  | कार्यालय का पता              |
|----------|--------------------|---------------|------------|------------------------------|
| 1        | डा0 मनोज चौधरी     | अधीक्षक       | 8126003109 | सी0एच0सी0, पहासू             |
| 2        | डा0 शशि शेखर       | अधीक्षक       | 9451732862 | सी0एच0सी0, शिकारपुर          |
| 3        | डा0 आशीष मुदगल     | अधीक्षक       | 8881695377 | सी0एच0सी0, जहांगीराबाद       |
| 4        | डा0 पी0के0मिश्रा   | अधीक्षक       | 7703852644 | सी0एच0सी0, अनूपशहर           |
| 5        | डा0 अमित कुमार     | अधीक्षक       | 9412471312 | सी0एच0सी0, स्याना            |
| 6        | डा0 योगेश शर्मा    | अधीक्षक       | 9821783343 | सी0एच0सी0, बी0बी0नगर         |
| 7        | डा0 हेमन्त कुमार   | अधीक्षक       | 8449730167 | सी0एच0सी0, डिबाई             |
| 8        | डा0 पवन कुमार      | अधीक्षक       | 9910119069 | सी0एच0सी0, गुलावटी           |
| 9        | डा0 सोवीर सिंह     | अधीक्षक       | 9027812831 | सी0एच0सी0, ऊँचागांव          |
| 10       | डा0 नवल किशोर      | अधीक्षक       | 8630523490 | सी0एच0सी0, दानपुर            |
| 11       | डा0 विकास राय      | अधीक्षक       | 9810971321 | सी0एच0सी0, मुनि              |
| 12       | डा0 हरेन्द्र कुमार | अधीक्षक       | 9899816606 | सी0एच0सी0, लखावटी            |
| 13       | डा0 आशीष गुप्ता    | अधीक्षक       | 8810582817 | सी0एच0सी0, अगौता             |
| 14       | डा0 शाह आलम        | प्र0चिकि0अधि0 | 9711297886 | ब्लॉक पी0एच0सी0,<br>मालागढ   |
| 15       | डा0 पियुष त्रिपाठी | प्र0चिकि0अधि0 | 8527967102 | ब्लॉक पी0एच0सी0, तौली        |
| 16       | डा0 भूपेन्द्र सिंह | प्र0चिकि0अधि0 | 9412466188 | ब्लॉक पी0एच0सी0,<br>कसेरकलां |
| 17       | डा0 प्रवीण कुमार   | प्र0चिकि0अधि0 | 8394955033 | ब्लॉक पी0एच0सी0, धरपा        |
| 18       | डा0 सचिन कुमार     | प्र0चिकि0अधि0 | 9310717100 | ब्लॉक पी0एच0सी0, वैर         |
| 19       | डा0 गौरव सक्सैना   | प्र0चिकि0अधि0 | 9927309146 | महिला चिकि0, खुर्जा          |
| 20       | डा0 राजेश कुमार    | अधीक्षक       | 8384020855 | संयु0चिकि0, सिकन्दरबाद       |

## (2) हीट वेव (लू) एक्शन प्लान 2025, कृषि विभाग, बुलन्दशहर

हीट वेव (लू) असामान्य रूप से उच्चतम तापमान की वह अवधि है जब तापमान सामान्य तापमान से अधिक दर्ज किया जाता है यह सामान्य तौर पर मार्च से जून माह के बीच होता है परन्तु कुछ विषम परिस्थितियों में फरवरी से जुलाई तक भी होता है उच्च आर्द्रता तथा वायुमण्डलीय परिस्थितियों के कारण उच्च तापमान इन क्षेत्रों में कृषि को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।

### हीट वेव (लू) का फसलों पर प्रभाव

मानव जीवन को प्रभावित करने के अलावा हीट वेव (लू) फसल उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता दोनों को अत्यधिक प्रभावित करती है फसल क्षति का मुख्य कारण मुख्य रूप से फूलों का गिरना और नये पौधों का मुरझा जाना है। रबी और जायद की फसलें हीट वेव (लू) से अधिक प्रभावित होती हैं, तापमान में किसी भी प्रकार का अत्यधिक परिवर्तन उत्पादकता को प्रभावित करता है।

प्रजनन चरण में बढ़ता हुआ तापमान गेहू की फसल पर जबरन पकाव, खाली दाना, बांझपन, बाली छोटी होना इत्यादि प्रकार से गेहू की फसल पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।

शारीरिक परिपक्वता की अवस्था में संरसों की उपज में हास होता है एवं चने की फसल में बीज विकसित होने में बाधा उत्पन्न होती है। बरसीम के चारे की गुणवत्ता में कमी एवं स्वाद बदलना एवं वनस्पति वृद्धि पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सब्जियों एवं फलों में नमी की कमी के कारण गुणवत्ता का क्षरण हो जाता है।

### जनपद के मूलभूत आंकड़े

**1 गेहूँ का आच्छादन 184836 है0 एवं जौ का आच्छादन 8850 है0**

### हीट वेव (लू) से बचाव के लिये क्या करें

- किसान भाईयों को सलाह दी जाती है कि गेहूँ में आवश्यकतानुसार हल्की सिंचाई करें तेज हवा चल रही हो तो सिंचाई रोक दें अन्यथा फसल गिर सकती है जिससे नुकसान होने की सम्भावना रहती है।
- जिन कृषकों के पास स्प्रिंकलर (फुव्वारा) सिंचाई की सुविधा है तापमान में वृद्धि होने की स्थिति में दोपहर के समय 30 मिनट तक स्प्रिंकलर से सिंचाई कर सकते हैं। ड्रिप सिंचाई की सुविधा हो तो गेहूँ की फसल में यथोचित नमी बनाये रखें।
- पोटेशियम क्लोराईड 0.2 प्रतिशत छिड़काव करने से अचानक तापमान में वृद्धि होने की स्थिति में गेहूँ की फसल को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है क्योंकि पोटेश पौधों में प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है और सूखे की स्थिति में पौधों को मजबूती प्रदान करता है।
- खड़ी फसलों में हल्की और लगातार सिंचाई करें।
- महत्वपूर्ण विकास चरणों में सिंचाई की आवृत्ति बढ़ायें।
- मिटटी की नमी को संरक्षित करने के लिये फसल अवशेष, पुआल/पॉलीथिन या मिटटी की मल्टिंग करें।

**(3) नलकूप खण्ड (उत्तर) बुलन्दशहर**  
**गर्मी की स्थिति से निपटने हेतु होटवेव ( लू ) प्रबन्धन कार्ययोजना –2025**

- जनपद बुलन्दशहर के नलकूप खण्ड (उत्तर) बुलन्दशहर में दिनांक 02.04.2025 के अनुसार 529 चलित राजकीय नलकूप है। सप्ताहन्त 27.03.2025 के अनुसार याँत्रिक दोष से 09 एवं विद्युत दोष से 01 कुल 10 नलकूप स्थायी रूप से खराब है। याँत्रिक दोष से बन्द नलकूपों को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत दोषमुक्त करा दिया जाता है तथा विद्युत दोष से बन्द नलकूपों को दोषमुक्त कराने हेतु संबंधित विद्युत वितरण खण्ड से समन्वय स्थापित कर दोषमुक्त करा दिया जाता है। राजकीय नलकूप अपनी अधिकतम कार्य क्षमता पर संचालित होकर कृषकों को सींच सुविधाये प्रदान कर रहे है। ताकि सूखे के प्रभाव को कम किया जा सकें।
- वर्ष 2025-26 में गर्मी की स्थिति होटवेव (लू) को दृष्टिगत रखते हुए राजकीय नलकूपों को पूर्ण क्षमता के साथ संचालित रखते हुए कृषकों को मॉग के अनुसार पानी उपलब्ध कराया जायेगा तथा केन्द्रीय कार्यशाला में अतिरिक्त सबमर्सिबल सैट/पम्प सैट की उपलब्धता बनाए रखी जायेगी ताकि नलकूपों को यांत्रिक दोष से बन्द होने पर शीघ्रता से दोषमुक्त कराते हुए सिंचाईरत कराया जायेगा । इस प्रकार गर्मी की स्थिति , होटवेव ( लू ) के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया जायेगा ।
- इस खण्ड के 529 चलित राजकीय नलकूपों में से 9 राजकीय नलकूपों के कमाण्ड एरिया में तालाब स्थित है । जिन्हें गत वर्षों की भाँति राजकीय नलकूपों से भरवाकर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी ताकि पशु –पक्षियों को पीने हेतु पेयजल उपलब्ध रहे एवं गर्मी की स्थित में होटवेव ( लू ) के प्रभाव को कम किया जा सकें ।

**हीटवेव (लू) प्रबंधन कार्ययोजना-2023 हेतु नामित नोडल अधिकारी का विवरण**

| क्रम सं० | नामित नोडल अधिकारी का नाम | पदनाम            | विभाग का नाम | मोबाइल नं० | ई-मेल |
|----------|---------------------------|------------------|--------------|------------|-------|
| 1        | विनोद कुमार सिंह          | अधिशाली अभियन्ता | सिंचाई विभाग | 9451547875 |       |

#### (4) परिवहन विभाग कार्ययोजना –2025

गर्मी की स्थिति से निपटने हेतु उत्तर परिवहन निगम, जनपद बुलन्दशहर द्वारा तैयार हीटवेव प्रबंधन कार्य योजना-2025

1.परिवहन निगम के कुल बस स्टेशनों की संख्या-04

अ-बुलन्दशहर डिपो के अन्तर्गत बस स्टेशनों की सं० 02-(नया बस स्टेशन, चौदपुर बाईपास रोड, बुलन्दशहर। 2.पुराना बस स्टेशन, बुलन्दशहर।

ब-सिकन्द्राबाद डिपो के अन्तर्गत बस स्टेशन की सं०-01।

स-खुर्जा डिपो के अन्तर्गत बस स्टेशनों की सं०-01।

द-नरौरा डिपो के अन्तर्गत बस स्टेशनों की सं०-02।

2.डिपो अनुसार दैनिक यात्रियों के आवगमन की संख्या निम्न प्रकार है-

| क्र०सं० | डिपो नाम                      | कुल बसों की संख्या | बस स्टेशनों से यात्रियों के दैनिक आवगमन की संख्या    |
|---------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| 1       | पुराना बस स्टेशन बुलन्दशहर।   | 94                 | लगभग-4500 यात्री व शिकारपुर से 50 यात्रियों का आवगमन |
| 2       | नया बस स्टेशन, चौदपुर बु०शहर। |                    | लगभग-2500 यात्री                                     |
| 3       | बस स्टेशन, अनुपशहर।           |                    | 400यात्री                                            |
| 4       | बस स्टेशन, शिकारपुर           |                    | 50 यात्री                                            |
| 5       | खुर्जा                        | 92                 | 1200                                                 |
| 6       | सिकन्द्राबाद                  | 73                 | 1000                                                 |

3.समस्त डिपो के बस स्टेशनों पर यात्रियों के ठहरने हेतु पर्याप्त टीन सैड, पंखे, शीतल पेय जल एवं उपचार हेतु फस्ट एण्ड बॉक्स की पर्याप्त व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त यात्रियों को लू से बचाव हेतु

**उद्घोषणा यंत्र व पम्पलेण्ड द्वारा निरन्तर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।**

4. डिपो की प्रत्येक बसों में आग बुझाने हेतु संचालित अग्निशमन यंत्र स्थापित है।

5.इंजन को ठंडा रखने हेतु बसों के रेडियेटर के पानी में कूलेंट मिलाया जा रहा है, ताकि बस संचालन के दौरान इंजन हीट न होने पाये।

6.बसों की दैनिक समीक्षा कर बिजली की वायरिंग की टेपिंग कराई जाती है।

7.प्रत्येक बस हेतु फस्ट-एण्ड बॉक्स निर्गत किया जा रहा है ताकि संचालन के दौरान यात्री को गर्मी के कारण लू लगने पर प्राथमिक उपचार दिया जा सकें।

8. बसों के सभी शीशों की दैनिक समीक्षा कर पूर्ण करा दिये जाते हैं।

9. बस स्टेशनों पर स्वास्थ्य टीमों की तैनात हेतु जिला चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर से संपर्क स्थापित किया गया है।

10. पुराने/नये बस स्टेशनों पर छाया एवं पानी की पूर्ण व्यवस्था कर दी गयी है।

11. विभागीय स्तर पर लू प्रकोप से बचाव एवं राहत आयुक्त कार्य हेतु पम्पलेट एवं उदघोषणा के माध्यम से 'क्या करे, क्या न करे' का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है।

### हीटवेव (लू) प्रबंधन कार्य योजना-2025 नामित अधिकारियों का विवरण

| क्र०सं० | नामित नोडल अधिकारी का नाम       | पद नाम          | विभाग का नाम                            | मो०न०                    | ई०मेल०                                                             |
|---------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1       | श्री रविन्द्र सिंह वरिष्ठ लिपिक | केन्द्र प्रभारी | उ० प्र० परि० नि० सिकन्द्राबाद डिपो।     | 9719308122               | armsik@upsrtc.com                                                  |
| 3       | सुरेन्द्र सिंह                  | बुकिंग लिपिक    | उ० प्र० परि० नि० बस डिपों।              | 6397339907               | armsik@upsrtc.com                                                  |
| 4       | राकेश कुमार शर्मा               | स०क्षे०प्र०     | उ० प्र० परि० नि० नि० सिकन्द्राबाद डिपो। | 8926465961               | <a href="mailto:armskdupsrtc@gmail.com">armskdupsrtc@gmail.com</a> |
| 5       | मनोज कुमार                      | स०क्षे०प्र०     | उ० प्र० परि० नि० नि० खुर्जा डिपो।       | 8929809525               | armkhj@gmail.com                                                   |
| 6       | ऋषिपाल सिंह                     | केन्द्र प्रभारी | उ० प्र० परि० नि० नि० नरौरा डिपो।        | 9719514312<br>8534800940 | armnarupsrtc@gmail.com                                             |

## **(5) अग्निशमन विभाग कार्ययोजना –2025**

माह मार्च से माह जून तक प्रत्येक वर्ष अग्निकाण्डों की बहुलता होती है। जिसमें अधिकांश अग्निकाण्ड ग्रामीण क्षेत्रों व औद्योगिक क्षेत्रों में घटित होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बुर्जी बिटोरे, छप्पर आदि का नुकसान होता है तथा अधिक गर्मी पड़ने पर तापमान में वृद्धि के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में आग लगने की सम्भावनाएँ अधिक बनी रहती हैं।

01. अग्नि से बचाव हेतु उचित विद्यालयों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों आदि में अग्नि से बचाव के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की जाती है, तथा फायर एक्सटिंग्यूशरों के संचालन व रखरखाव की जानकारी प्रदान की जाती है।
02. लू-प्रकोप से बचाव हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में गाँवों में स्थित तालाब/पोखरो आदि में पानी भरे रखने व गाँव के नजदीकी पम्पिंग सेट को सदैव कार्यशील रखा जाना आवश्यक है।
03. नगर पंचायत/नगर पालिका क्षेत्र में अग्निशमन वाहनों को पानी उपलब्ध कराने हेतु नलकूपों के आउटलेट पर लगी फायर कम्पलींग/फलैन्च को कार्यशील दशा में रखा जाना नितान्त आवश्यक है।
04. पुलिस महानिदेशक फायर सर्विस महोदय के निर्देशानुसार अग्नि सचेतक योजना के अन्तर्गत जनपद के प्रत्येक ब्लॉक में न्यूनतम 100 व्यक्तियों (जनपद में कुल 1638 व्यक्तियों को) को अग्नि सुरक्षा का 03 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान कराया गया है।

अग्निशमन विभाग जनपद बुलन्दशहर के समस्त फायर स्टेशनो का विस्तृत विवरण निम्न है:-

**(A) नोडल अधिकारी श्री प्रमोद शर्मा- मुख्य अग्निशमन अधिकारी, बुलन्दशहर –9454418358**

**फायर स्टेशन प्रभारियों के नाम एवं मोबाइल नं०:-**

- |                               |   |                                                 |
|-------------------------------|---|-------------------------------------------------|
| 01. श्री सुरेश चन्द्र         | — | अग्निशमन अधिकारी, सिकन्दाबाद –9454418776        |
| 02. श्री चन्द्र प्रकाश        | — | प्रभारी फायर स्टेशन, बुलन्दशहर –9454418770      |
| 03. श्री अवधेश सिंह           | — | अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, खुर्जा –9454418772    |
| 04. श्री ध्यानपाल             | — | प्रभारी फायर स्टेशन, डिबाई –9454418774          |
| 05. श्री गजेन्द्र सिंह        | — | प्रभारी फायर स्टेशन, गहना गोर्धनपुर –7839861661 |
| 06. श्री दिनेश चन्द उपाध्याय- | — | प्रभारी फायर स्टेशन, शिकारपुर –7839861663       |

**(B) कार्यशील फायर स्टेशनो के नियन्त्रण कक्ष पर उपलब्ध संचार व्यवस्था:-**

| क्र० सं० | फायर स्टेशन का नाम | कार्य क्षेत्र (तहसीलवार) | मोबाइल/दूरभाष नं०            | आर०टी०सेट (स्टेटिक सेट) |
|----------|--------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 01.      | सिकन्दाबाद         | सिकन्दाबाद               | 9454418776                   | उपलब्ध है।              |
| 02.      | बुलन्दशहर          | बुलन्दशहर सदर,स्याना     | 9454418771,05732-286488, 101 | उपलब्ध है।              |
| 03.      | खुर्जा             | खुर्जा                   | 9454418772,05738-233192      | उपलब्ध है।              |
| 04.      | डिबाई              | डिबाई                    | 9454418774,05734-249278      | उपलब्ध है।              |

|     |                             |          |            |            |
|-----|-----------------------------|----------|------------|------------|
| 05. | गहना गोवर्धनपुर,<br>अनूपशहर | अनूपशहर  | 7839861662 | उपलब्ध है। |
| 06. | शिकारपुर                    | शिकारपुर | 7839861664 | उपलब्ध है। |

**(C)-जनपद में उपलब्ध/स्वीकृत अधिकारी/कर्मचारियों का विवरण:-**

| क्र० सं० | पद                       | स्वी० | उपलब्ध | रिक्त | अन्य अभियुक्ति                                                                                   |
|----------|--------------------------|-------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.      | मुख्य अग्निशमन अधिकारी   | 01    | 01     | —     |                                                                                                  |
| 02.      | अग्निशमन अधिकारी         | 07    | 01     | 06    |                                                                                                  |
| 03.      | अग्निशमन द्वितीय अधिकारी | 08    | 03     | 05    |                                                                                                  |
| 04.      | लीडिंग फायरमैन           | 15    | 09     | 06    |                                                                                                  |
| 05.      | फायर सर्विस चालक         | 15    | 08     | 07    |                                                                                                  |
| 06.      | फायरमैन                  | 117   | 79     | 38    | उपलब्ध 79 फायरमैनों में से 01 रिक्त फायरमैन (मृतक आश्रित) की आमद दिनांक 28-09-2022 को की गयी है। |

**(D) जनपद में उपलब्ध मोटर फायर इंजनों व वाहनों का विवरण:-**

| क्र०सं० | मोटर फायर इंजन                  | उपलब्ध |
|---------|---------------------------------|--------|
| 01.     | मोटर फायर इंजन क्षमता 5000 ली०  | 05     |
| 02.     | मोटर फायर इंजन क्षमता 2500 ली०  | 02     |
| 03.     | मिनी वाटर मिक्सड क्षमता 400 ली० | 02     |

## अन्य वाहन

| क्र०सं० | उपलब्ध वाहनों का विवरण                                                   | उपलब्ध |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| 04.     | पम्प यूनिट (पोर्टेबिल पम्प मय बोलेरो केम्पर) खुले पानी से अग्निशमन कार्य | 03     |
| 05.     | बोलेरो(बी 4) (मुख्य अग्निशमन अधिकारी के प्रयोग हेतु)                     | 01     |
| 06.     | टाटा सूमो (अग्निशमन अधिकारी के प्रयोग हेतु)                              | 01     |
| 07.     | एम्बुलेंस                                                                | 01     |

प्रत्येक फायर स्टेशन पर कन्ट्रोल रूम उपलब्ध है जिस पर अग्निकाण्ड व जीव रक्षा के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर अग्निशमन वाहन मय यूनिट को तत्काल 02 मिनट के अन्दर फायर स्टेशन से उक्त घटना स्थल हेतु प्रस्थान कराया जाता है उपरोक्त के अतिरिक्त किसी प्रकार की आपदा की सूचना जनपद के किसी भी थाने/पुलिस कन्ट्रोल रूम के माध्यम से दी जा सकती है।

### (E) अग्निशमन/जीव रक्षा कार्य हेतु फायर स्टेशनवार अग्निशमन वाहनों का विवरण:-

#### 1-फायर स्टेशन बुलन्दशहर

- |                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 01. मोटर फायर इंजन क्षमता 5000 ली०                                                | -02 |
| 02. मिनी वाटर मिस्ट क्षमता 400 ली०                                                | -01 |
| 03. पम्प यूनिट (पोर्टेबिल पम्प मय बोलेरो केम्पर) खुले पानी से अग्निशमन कार्य हेतु | -01 |
| 04. बोलेरो (बी 4) (मुख्य अग्निशमन अधिकारी के प्रयोग हेतु)                         | -01 |

#### 2-फायर स्टेशन सिकन्दाबाद

- |                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| 01. मोटर फायर इंजन क्षमता 5000 ली०              | -01 |
| 02. वाटर मिक्सड क्षमता 400 ली०                  | -01 |
| 03. टाटा सूमो (अग्निशमन अधिकारी के प्रयोग हेतु) | -01 |

#### 3-फायर स्टेशन खुर्जा

- |                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 01. मोटर फायर इंजन क्षमता 5000 ली०                                                | -01 |
| 02. पम्प यूनिट (पोर्टेबिल पम्प मय बोलेरो केम्पर) खुले पानी से अग्निशमन कार्य हेतु | -01 |

#### 4-फायर स्टेशन डिबाई

- |                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 01. मोटर फायर इंजन क्षमता 5000 ली०                                                | -01 |
| 02. पम्प यूनिट (पोर्टेबिल पम्प मय बोलेरो केम्पर) खुले पानी से अग्निशमन कार्य हेतु | -01 |

#### 5-फायर स्टेशन गहना गोवर्धनपुर, अनूपशहर

- |                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 01. मोटर फायर इंजन क्षमता 2500 ली० | -01 |
|------------------------------------|-----|

## 6-फायर स्टेशन शिकारपुर

01. मोटर फायर इंजन क्षमता 2500 ली०

—01

(F) जनपद बुलन्दशहर क्षेत्र में अग्निषमन कार्य करने हेतु जल श्रोत:-

फायर स्टेशन बुलन्दशहर :-

जनपद बुलन्दशहर नगर क्षेत्र में नलकूपो के आउट लेट पर लगी फायर कपलिंग/फलैच की संख्या-36

फायर स्टेशन बुलन्दशहर परिसर में 01 स्टैटिक टैंक क्षमता 5000 ली०

फायर स्टेशन खुर्जा:-

खुर्जा क्षेत्र में नलकूपो के आउट लेट पर लगी फायर कपलिंग/फलैच की संख्या-0

खुर्जा क्षेत्र में कार्यशील फायर हाईड्रैन्टो की संख्या-01

- |                                  |   |                  |
|----------------------------------|---|------------------|
| 01. फायर स्टेशन खुर्जा परिसर में | — | 01 स्टैटिक टैंक  |
| 02. पंचवटी कालोनी खुर्जा         | — | 01 स्टैटिक टैंक। |

फायर स्टेशन सिकन्द्राबाद:-

सिकन्द्राबाद क्षेत्र में नलकूपो के आउट लेट पर लगी फायर कपलिंग/फलैच की संख्या-03

सिकन्द्राबाद क्षेत्र में कार्यशील फायर हाईड्रैन्टो की संख्या-05

- |                                                    |   |                                        |
|----------------------------------------------------|---|----------------------------------------|
| 01. यू०पी टूरेगा फाइबर ग्लास प्रा०लि०              | — | 01 यार्ड हाईड्रैन्ट व 01 स्टैटिक टैंक। |
| 02. ओरियेन्टल बैल लि० प्लाट नं०-8                  | — | 01 यार्ड हाईड्रैन्ट।                   |
| 03. जे०पी०सीमेन्ट गाइडिंग यूनिट                    | — | 01 " "                                 |
| 04. कजारिया सेरामिल्स औ०क्षे० सि०बाद               | — | 01 " "                                 |
| 05. आदि पोमिर्स प्रा०लि० सी०-59 औ०क्षे०सि०बाद      | — | 01 " "                                 |
| 06. जय दुर्गे कोल्ड स्टोरेज जी०टी०रोड सिकन्द्राबाद | — | 01स्टैटिक टैंक                         |
| 07. कोको फोम सी-75 औ०क्षे० सिकन्द्राबाद            | — | 01स्टैटिक टैंक                         |
| 08. नगर पालिका सिकन्द्राबाद                        | — | 01स्टैटिक टैंक                         |

फायर स्टेशन डिबाई:-

डिबाई क्षेत्र में नलकूपो के आउट लेट पर लगी फायर कपलिंग/फलैच की संख्या-08

कार्यशील फायर हाईड्रैन्टो की संख्या :-02

- |                                                   |   |                     |
|---------------------------------------------------|---|---------------------|
| 01. पानी की टंकी नं०-2के प्रागण में पैठ चौराहा    | — | 01यार्ड हाईड्रैन्ट। |
| 02. पैठ चौराहे के पास रामखिलाडी की दूकान के पास   | — | 01 " "              |
| 03. रेलवे रोड ज्ञान बजाज की दूकान के सामने        | — | 01 " "              |
| 04. घन्टाघर चौकी के पास चन्द्रषेखर पार्क के सामने | — | 01 " "              |
| 05. चौक जिन्दल के मकान के सामने                   | — | 01 " "              |
| 06. कर्णवास रोड मस्जिद के पास                     | — | 01 " "              |
| 07. फायर स्टेशन डिबाई परिसर में                   | — | 01 स्टैटिक टैंक     |

### फायर स्टेशन गहना गोवर्धनपुर :-

अनूपशहर क्षेत्र में नलकूपो के आउट लेट पर लगी फायर कपलिंग/पलैच की संख्या-2

अनूपशहर क्षेत्र में कार्यशील फायर हाईड्रैन्टो की संख्या-02

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| 01. आर के गेट नयी मण्डी प्रागण में       | 01यार्ड हाईड्रैन्ट । |
| 02. विवेक चन्द गुप्ता आरा मशीन के पास    | 01    "    "         |
| 03. अम्बेडकर पार्क के सामने मूर्ति पैलेस | 01    "    "         |
| 04. वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड                | 01    "    "         |

### कस्बा जहाँगीराबाद में जल श्रोत:-

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| 01. पुरानी कोतवाली के पास     | 01 हाईड्रैन्ट । |
| 02. बुलन्दशहर बस अड्डे के पास | 01    "    "    |
| 03. विमल टाकीज के पास         | 01    "    "    |

### फायर स्टेशन शिकारपुर :-

अनूपशहर क्षेत्र में नलकूपो के आउट लेट पर लगी फायर कपलिंग/पलैच की संख्या-2

## (6) जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण समय-समय पर लू (हीट-वेव) से बचाव हेतु क्या करें क्या ना करे का प्रकाशन दैनिक समाचर पत्रों में प्राथमिकता के आधार पर जनहित में प्रकाशित करना सुनिश्चित करेगा। साथ ही प्राधिकरण द्वारा शासन से प्राप्त मौसम एलर्ट का संदेश समस्त ग्रुपो में नियमित रूप से प्रेषित किया जायेगा। जिससे की जन समुदाय लू (हीट-वेव) की जानकारी एवं बचाव हेतु उपचार के तरीकों से जागरूक हो सकें।

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण समस्त विभागा से समन्वय कर हीट-वेव से बचाव हेतु कार्ययोजना का निर्माण करेगा तथा शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों को कार्य योजना मे शामिल कर समस्त विभागो के संयुक्त प्रयास से हीट-वेव प्रबंधन का कार्य करेगा।

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किये जायेंगे तथा बैठक के माध्यम से सभी विभागो को हीट-वेव की स्थिति पर अवगत कराया जायेगा।

**आटोमेटिक वेदर स्टेशन – वर्ष– 2025** में जनपद में प्रत्येक तहसील में मौसम एलर्ट/चेतावनी हेतु प्रत्येक तहसील में **आटोमेटिक वेदर स्टेशन (Automatic Weather Station)** की स्थापना की गयी है। जनपद में कुल 09 आटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित है ।

**आटोमेटिक रैन गेज–** वर्षा की सूचना हेतु जनपद में प्रत्येक ब्लॉक में 3 आटोमेटिक रैन गेज की स्थापना की गयी है। जनपद में कुल 48 आटोमेटिक रैन गेज स्थापित है ।

**आपदा मित्र –** जनपद में आपदा के प्रचार –प्रसार हेतु 487 आपदा मित्र तैनात हैं। उक्त आपदा मित्रों के माध्यम से जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार किया जाता है।

### (7) नागरिक सुरक्षा, नरौरा हीटवेव कार्ययोजना

- 1- नागरिक सुरक्षा, नरौरा वालियंट्स द्वारा गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिये वृक्षारोपण कार्यक्रम में बढ चढकर भाग लिया जाता है।
- 2- वालियंट्स द्वारा जागरूकता हेतु रैली का आयोजन किया जाता है।
- 3- गर्मी से लोगो को राहत पहुचाने हेतु स्वयंसेवी संगठनो के साथ प्याऊ लगाये जाते है।
- 4- गर्मी से बचाव हेतु 'क्या करें एवं क्या न करें' का प्रचार –प्रसार किया जाता है।

#### हीटवेव (लू) प्रबंधन कार्ययोजना-2023 हेतु नामित नोडल अधिकारी का विवरण

| क्रम सं० | नामित नोडल अधिकारी का नाम | पदनाम                  | विभाग का नाम                     | मोबाइल नं० | ई-मेल                                                                |
|----------|---------------------------|------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1        | श्री उमेश चन्द्र अवस्थी   | भण्डार अधीक्षक-द्वितीय | नागरिक सुरक्षा, नरौरा, बुलन्दशहर | 9917435621 | <a href="mailto:cdnarora05734@gmail.com">cdnarora05734@gmail.com</a> |

**(8) जिला कार्यक्रम अधिकारी, बुलन्दशहर**

जनपद में 3967 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं जिनके द्वारा गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, 07 माह से 03 वर्ष तथा 03-06 वर्ष के बच्चों को सेवाएं दी जाती हैं। लू के दौरान निम्न कार्ययोजना प्रस्तावित हैं।

| क्रम सं० | विभाग का नाम                                      | कार्यवाइयां               | लाइन विभाग एजेण्डा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग (आई०सी०डी०एस०) | लू के पूर्व (जनवरी-मार्च) | बच्चों के माता-पिता अभिभावकों को लू से बचाव के बारे में जागरूक करना।<br>1. बच्चों को किसी छाया और ठंडी जगह में रखें।<br>2. हवादार जगह पर बच्चों को बैठाने की व्यवस्था।<br>3. समय-समय पर बच्चों को शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था।<br>4. बच्चों को खाली पेट न रखें।<br>5. ओ०आर०एस० का प्रयोग।<br>6. वी०एच०एस०एन०डी० में बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच तथा चिकित्सीय परामर्श। |
| 2        |                                                   | लू के दौरान (अप्रैल-जून)  | ज्यादा लू के दौरान आंगनबाड़ी केन्द्रों का (3-6 वर्ष के बच्चों के लिए) अवकाश किया जाना उचित रहेगा तथा वी०एच०एस०एन०डी० में बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच तथा चिकित्सीय परामर्श।                                                                                                                                                                                            |
| 3        |                                                   | लू के बाद (जुलाई-दिसम्बर) | वी०एच०एस०एन०डी० में बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच तथा चिकित्सीय परामर्श।                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**हीटवेव (लू) प्रबंधन कार्ययोजना-2025 हेतु नामित नोडल अधिकारी का विवरण**

| क्रम सं० | नामित नोडल अधिकारी का नाम | पदनाम | विभाग का नाम | मोबाइल नं० | ई-मेल |
|----------|---------------------------|-------|--------------|------------|-------|
|----------|---------------------------|-------|--------------|------------|-------|

|   |                |             |              |            |                             |
|---|----------------|-------------|--------------|------------|-----------------------------|
| 1 | श्री राधेश्याम | सी0डी0पी0ओ0 | आई0सी0डी0एस0 | 9457963023 | radheshyamicds899@gmail.com |
|---|----------------|-------------|--------------|------------|-----------------------------|

### (9) जिला उद्यान अधिकारी-2025

हीटवेव प्रबन्धन हेतु वृक्षारोपण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अतः बुलन्दशहर सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर के अन्तर्गत वर्ष-2024 में भी बड़े हर्ष उल्लास के साथ वृक्षारोपण अभियान आयोजित किये गये। जिसे सफल बनाने हेतु विभिन्न विभागों द्वारा भी अपने लक्ष्य अनुसार वृक्षारोपण किया गया तथा जन सहभागिता के माध्यम से वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाने के पूरे प्रयास किये गये। वृक्षारोपण अभियान जलवायु परिवर्तन के प्रबन्धन हेतु अत्यन्त आवश्यक है तथा वृक्षारोपण के माध्यम से लू-प्रबन्धन करना भी जलवायु परिवर्तन के प्रबंधन का एक साधन है। वर्ष 2024-25 में वृक्षारोपण अभियान के अन्तर्गत लू-प्रबन्धन हेतु सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर द्वारा किये गये वृक्षारोपण के आकड़े निम्नवत हैं:-

| क्र० सं० | जनपद      | विभाग      | वार्षिक लक्ष्य | अग्रिम गड्डा/मिट्टी खुदान की स्थिति |                    |         | गड्डा खुदान कर प्रतिशत | वृक्षारोपण की स्थिति |                    |         | वृक्षारोपण का प्रतिशत |
|----------|-----------|------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|---------|------------------------|----------------------|--------------------|---------|-----------------------|
|          |           |            |                | गत सप्ताह में                       | वर्तमान सप्ताह में | क्रमिक  |                        | गत सप्ताह में        | वर्तमान सप्ताह में | क्रमिक  |                       |
| 1.       | बुलन्दशहर | वन विभाग   | 374236         | 374736                              | —                  | 374736  | 100.13                 | 374736               | —                  | 374736  | 100.13                |
|          |           | अन्य विभाग | 4120191        | 4123871                             | —                  | 4123871 | 100.09                 | 4123871              | —                  | 4123871 | 100.09                |
| योग      |           |            | 4494427        | 4498607                             |                    | 4498607 | 100.09                 | 4498607              |                    | 4498607 | 100.09                |

सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर के अन्तर्गत विकास खण्डों में कराये गये वृक्षारोपण के आकड़े निम्नवत हैं-

| क्र०सं० | कार्यदायी विभाग | गतिविधि    | विकास खण्ड का नाम | कुल लक्ष्य |                 | अभ्युक्ति |
|---------|-----------------|------------|-------------------|------------|-----------------|-----------|
|         |                 |            |                   | संख्या     | क्षेत्रफल (हे०) |           |
| 1       | 2               | 3          | 4                 | 5          | 6               | 7         |
| 1       | वन विभाग        | वृक्षारोपण | अनूपशहर           | 36230      | 22.55           |           |
| 2       |                 |            | जहांगीराबाद       | 25000      | 10.00           |           |
| 3       |                 |            | ऊंचागांव          | 38400      | 24.00           |           |
| 4       |                 |            | खुर्जा            | 58900      | 23.50           |           |
| 5       |                 |            | अर्निया           | 95652      | 41.36           |           |

|     |  |  |              |               |               |  |
|-----|--|--|--------------|---------------|---------------|--|
| 6   |  |  | गुलावठी      | 17850         | 10.00         |  |
| 7   |  |  | सिकन्द्राबाद | 12000         | 4.80          |  |
| 8   |  |  | शिकारपुर     | 40970         | 16.41         |  |
| 9   |  |  | डिबाई        | 49584         | 30.00         |  |
|     |  |  | बुलन्दशहर    | 150           | 1.50          |  |
| योग |  |  |              | <b>374736</b> | <b>184.12</b> |  |

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर द्वारा लू-प्रबंधन हेतु नामित नोडल अधिकारी का विवरण:-

| क्र०सं० | विभाग का नाम | नामित नोडल का नाम      | पदनाम                                     | मोबाईल नम्बर | ई-मेल            |
|---------|--------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------|------------------|
| 1.      | वन विभाग     | श्रीमती प्रियंका शर्मा | उप प्रभागीय वनाधिकारी<br>बुलन्दशहर/खुर्जा | 8630940377   | dfobsr@gmail.com |

### (11) पशुपालन विभाग, बुलन्दशहर

प्रत्येक वर्ष माह अप्रैल से जून माह के मध्य वातावरण का तापमान बढ़ जाने से मानव स्वास्थ्य के साथ-साथ पशु स्वास्थ्य पर भी कुप्रभाव पड़ता है । जून, 2023 में, देश का औसत तापमान 1901 के बाद से सातवां सबसे अधिक था। नासा के वैश्विक तापमान विश्लेषण के अनुसार, वैश्विक स्तर पर, 2023 में जून रिकॉर्ड पर सबसे गर्म रहा । भारत में हीट वेव के कारण पशु पक्षियों और मुर्गियों की मृत्यु होने की सम्भावना बनी रहती है । किसी स्थान विशेष का दैनिक तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक 02 दिन तक लगातार बना रहे, हीट वेव (लू) की दशा मानी जाती है लू की स्थिति में पशु शरीर वातावरण की हीट को ग्रहण करने लगता है, जिससे शरीर की ताप नियंत्रण प्रणाली पर कुप्रभाव पड़ता है, शरीर के बढ़े तापमान को सामान्य लाने हेतु तत्काल उचित चिकित्सा/राहत न मिल पाने की स्थिति में मृत्यु होना स्वाभाविक है ।

हीट वेव के कारण पानी के अभाव में पशुओं के चारे की फसलें भी नष्ट हो जाती हैं , जिसके कारण पशुओं के चारे की कमी एवं स्वच्छ पीने योग्य पानी की उपलब्धता भी कम हो जाती है । पशुओं में विभिन्न संक्रामक रोगों एवं पारजैविक प्रकोपों एवं अन्य बीमारियों से ग्रस्त होने की प्रबल सम्भावना बढ़ जाती है ।

जनपद में 20 वीं0 पशुगणना के आधार पर 1463128 कुल पशुधन सम्पदा है (अनुच्छेद-1), जिसके किसी भी आपदा से प्रभावित होने की सदैव आशंका रहती है । ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पशुधन एक सशक्त स्रोत है, जिसके आपदा प्रभावित होने पर उत्पादकता पर कुप्रभाव पड़ता है । ग्रीष्मकाल में पशु उत्पाद यथा दुग्ध, मॉस, ऊन एवं पक्षी उत्पाद अण्डा एवं मॉस का उत्पादन क्षमता का 50 प्रतिशत ही होता है, हीट वेव के कारण यह और भी कम हो जाता है ।

#### जनपद में 20 वीं0 पशुगणना के आधार पर निम्न पशुधन है ।

|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| 1—गोवंशीय पशु   | — | 304321 |
| 2—महिषवंशीय पशु | — | 972027 |
| 3—भेड़          | — | 3793   |
| 4—बकरी          | — | 127975 |
| 5—सूकर          | — | 6332   |
| 6—कुक्कुट       | — | 32046  |
| 7—आवारा पशु     | — | 16634  |

---

योग— 14,63,128—00

---

## पशुपालन विभाग हीट वेव कार्ययोजना वर्ष 2025

वर्ष 2025 की कार्ययोजना निम्नवत प्रस्तावित है—

### 1. चेतावनी तंत्र की स्थापना—

सोशल मीडिया के माध्यम से हीट वेव जनित पशु स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभावों की जानकारी प्रदान करने की व्यवस्था की जायेगी तथा इस सूचना के आधार पर जनपद स्तर पर डा० सुमेश चन्द्र गुप्ता, उप—मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, सदर बुलन्दशहर प्रभारी अधिकारी स्थापित नियंत्रण केन्द्र मो०नं०—7017826294 द्वारा विकास खण्ड स्तरीय पशुचिकित्साधिकारियों/नोडल अधिकारियों को तत्काल सूचित किया जायेगा । (अनु०—2)

विकास खण्ड स्तरीय नोडल अधिकारी के द्वारा हीट वेव प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल प्रभावित पशुओं को पशुचिकित्सा राहत मुहैया करायी जायेगी । साथ ही पशुओं की हीट वेव से सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रचार—प्रसार हेतु विभागीय मानव संसाधन एवं अन्य संस्थाओं से समन्वय स्थापित करते हुये सहयोग लिया जायेगा ।

### अनुच्छेद—2

विकास खण्ड स्तर पर नामित नोडल अधिकारियों का नाम व मोबाइल नम्बर की सूचना

| क्र०<br>स० | विकास खण्ड   | विकास खण्ड स्तर पर नोडल<br>अधिकारी का नाम | मोबाइल नम्बर |
|------------|--------------|-------------------------------------------|--------------|
| 1          | अनूपशहर      | डा० चन्द्रपाल सिंह                        | 9536213623   |
| 2          | जहाँगीराबाद  | डा० सौरभ यादव                             | 9634808889   |
| 3          | अगौता        | डा० अमरेश कुमार सिंह                      | 9358585106   |
| 4          | बुलन्दशहर    | डा० सुमेश चन्द्र गुप्ता                   | 7017826294   |
| 5          | गुलावठी      | डा० गौतम कुमार तिवारी                     | 7310521828   |
| 6          | लखावटी       | डा० मोहन सिंह                             | 9528438723   |
| 7          | दानपुर       | डा० सतेन्द्र कुमार                        | 9457669234   |
| 8          | डिबाई        | डा० राम कुमार सिंह                        | 9411239329   |
| 9          | अरनियाँ      | डा० दिनेश कुमार                           | 7351989672   |
| 10         | पहासू        | डा० धीरेन्द्र सिंह                        | 6396127884   |
| 11         | सिकन्द्राबाद | डा० तुष्टि                                | 9412484536   |
| 12         | बी०बी० नगर   | डा० प्रदीप कुमार                          | 8922835153   |
| 13         | ऊँचागाँव     | डा० संदीप कुमार                           | 9358801928   |

|    |          |                    |            |
|----|----------|--------------------|------------|
| 14 | स्याना   | डा0 के0के0 सारस्वत | 9368236474 |
| 15 | शिकारपुर | डा0 मनीष मिश्रा    | 8279532342 |
| 16 | खुर्जा   | डा0 चन्द्रपाल सिंह | 9456436430 |

## 2. हीट वेव के प्रभावी प्रबन्धन हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय

हीट वेव के कारण पशु शरीर में पानी की कमी होने से विभिन्न पशु रोग पनपने लगते हैं एवं पशु चारे की कमी हो जाने के कारण पशुओं के पलायन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । इन समस्याओं से निपटने में विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित कर सहयोग प्राप्त किया जायेगा यथा—

| क्र० सं० | विभाग       | अपेक्षित सहयोग                                                                 |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | कृषि        | कृषि प्रक्षेत्रों पर उपलब्ध पशुचारा एवं पशु राशन निर्माण हेतु अनाज की व्यवस्था |
| 2        | सिंचाई      | नहरों द्वारा पानी रहित तालाबों में पानी की उपलब्धता की व्यवस्था                |
| 3        | जल निगम     | स्वच्छ पेयजल व्यवस्था                                                          |
| 4        | पंचायती राज | ग्रामीण क्षेत्रों में अधिष्ठापित रिबोर योग्य हैण्ड पम्प                        |
| 5        | नलकूप       | खराब नलकूपों का सुधार                                                          |

हीट वेव के कुप्रभावों से पशुधन को बचाने हेतु उपरोक्त समस्त विभागों का यथासमय समन्वय स्थापित करते हुये पूर्ण सहायोग प्राप्त किया जायेगा ।

### 2. फील्ड स्टाफ की क्षमता विकास

1. पशुपालन विभाग कार्मिकों एवं विभिन्न योजनाओं अन्तर्गत कार्यरत पैरावेट्स को सेंसेटाइज करने हेतु कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा। कार्यशाला के माध्यम से हीट वेव के कारण पशु मृत्यु की घटनाओं को रोकने एवं पशु उत्पादकता में ह्रास के न्यूनीकरण के उपायों की तकनीकी जानकारी से अपडेट किया जायेगा ।
2. विकास खण्ड स्तरीय पशुचिकित्साधिकारी द्वारा क्षेत्र में हीट वेव के कारण हो रही पशु मृत्यु की घटनाओं की सूचना जनपद मुख्यालय पर स्थापित नियंत्रण कक्ष को दी जायेगी एवं प्रभावित पशुओं को तत्काल उपचार सहायता उपलब्ध करायेंगे ।
3. विभिन्न संस्थाओं के मध्य हीट वेव के प्रति सतर्कता(हीट वेव एलर्ट) हेतु समन्वय स्थापित किया जायेगा, जैसे—कृषि, सिंचाई, जल निगम, नगर निगम एवं नगर पालिका, ग्राम पंचायत आदि ।
4. नयी पोर्टेशियल/क्षमतावान संस्थाओं को चिन्हित कर सहयोग प्राप्त किया जायेगा जैसे—पशु पैंठ बाजार, पशु परिवहन में लिफ्ट ऐजेन्सी ।
5. समस्त पशुचिकित्सा सुविधाओं को औषधियों की सतत आपूर्ति, उपकरण एवं पर्याप्त स्टाफ से सुदृढ़ीकरण किया जायेगा ।

### 3. हीट वेव एक्सपोजर जनित दुष्प्रभावों का न्यूनीकरण

1. शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेय जल के स्रोतों में वृद्धि।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित जल विहीन तालाबों को जल प्लावित करना।
3. पशु शालाओं एवं पशु बाड़ों में गर्म हवाओं के सीधे प्रवेश को रोकने के लिये मुख्य द्वारों व जालीदार दीवारों पर गीले टाटों के परदों का प्रयोग एवं पानी छिड़ककर ठण्डा करना।
4. हीट वेव के दौरान दोपहर 12.00 से सायं 4.00 बजे तक पशुओं के फील्ड में न चरने जाने की सावधानी।
5. किटीकल हीट वेव पीरियड में पशुओं को कम से कम दो बार नहलाना व गुड़ एवं नमक का शीतल जल पिलाना जिससे निर्जलीकरण की रोकथाम होगी।
6. तेज धूप से काम करके आये पशुओं को आधा घण्टा सुस्ताने के बाद पानी पिलायें।

### 4. पशु चिकित्सा सेवाओं का प्रबन्धन

हीट वेव की स्थिति में पशु शरीर का तीव्र गति से निर्जलीकरण शुरू हो जाता है जिसके कारण असामायिक पशु मृत्यु हो जाती है जिससे पशुपालक को आर्थिक क्षति होने के साथ-साथ जीविकोपार्जन करना कठिन हो जाता है, ऐसी स्थिति से निपटने हेतु निम्न व्यवस्था की गयी है—

1. **आपात पशुचिकित्सा व्यवस्था—** जनपद स्तर पर डा० सुमेश चन्द्र गुप्ता, उप-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी सदर एवं विकास खण्ड स्तर पर समस्त प्रभारी पशुचिकित्साधिकारी के नेतृत्व में 16 पशुचिकित्सा टीम गठित की गयी हैं।

**अ—** पशुओं में विषाणु जन्य खुरपका-मुँहपका रोग के नियंत्रण हेतु दिनांक 15-03-2025 से 30-04-2025 तक सघन टीकाकरण अभियान चलाकर 1148700 पशुओं को टीकाकृत किया जा रहा है।

**ब—** पशुओं में बैक्टीरिया जन्य गलाघोंटू रोग के नियंत्रण हेतु दिनांक 15-06-2025 से 30-07-2025 तक सघन टीकाकरण अभियान चलाकर 990000 पशुओं को टीकाकृत किया जायेगा

**स—** पशुबांझपन चिकित्सा— विकास खण्डवार प्रत्येक माह 02 शिविर आयोजित कर बांझ पशु चिकित्सा की जायेगी।

**द—** गर्मी के मौसम में होने वाले पशु रोग—

- अत्यधिक गर्मी के कारण लू लगना।
- गर्मी के कारण स्ट्रेस यानी व्यकुलता।
- पशुओं में वाहीय परजीवी जैसे किलनी जूँ आदि का लगना।
- पशुओं में आन्तरिक परिजीवी कीड़ों का प्रकोप।
- पशुओं को दस्त एवं डिहाईड्रेशन यानि शरीर में पानी की कमी होना।
- पानी की कमी के कारण सामान्य रूप से पूरी तरह न बढ़ पाये जहरीले चारे को खा लेने से विषाक्तता होना।

ध- चारा विषाक्तता की रोकथाम- भीषण गर्मी के कारण पशुचारे के विषैले होने की सम्भावना बढ़ जाती है जिसकी प्रभावित पशु उचित रोकथाम चिकित्सा व्यवस्था हेतु सोडियम थायोसल्फेट प्रत्येक संस्था पर उपलब्ध करा दिया गया है ।

2. **राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना-** पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालकों के द्वारा पाले जा रहे दुधारु 05 पशुओं को निर्धारित दर के कुल प्रीमियम के 25 प्रतिशत धनराशि पर पशु बीमा कराने की व्यवस्था की गयी है । पशु मृत्यु होने की दशा में पशुपालक को आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति बीमा कम्पनी द्वारा की जायेगी ।
3. **भूसा/चारा की व्यवस्था-** जनपद में पशु चारा व्यापारियों से सम्पर्क कर भूसा/चारा के बफर स्टॉक रखने हेतु सूखा आपात स्थिति से निपटने बावत भूसा/चारा की मात्रा का आंकलन कर सम्बन्धित प्रतिष्ठानों पर उक्त मात्रा में भूसा/चारा बफर स्टॉक के रूप में संरक्षित किया जायेगा । भूसा व्यापारियों को चिन्हित कर भूसे का बफर स्टॉक रखने हेतु निर्देशित किया गया है (अनु0-3)
4. **हीट वेव से निपटने हेतु आवश्यक औषधियों/वैक्सीन की व्यवस्था-** हीट वेव के लगातार चलने की स्थिति में आसन्न सूखे से निपटने के लिये जीवन रक्षक दवाईयाँ वैक्सीन, फीड सप्लीमेन्ट आदि के क्रय हेतु लगभग 90 लाख रुपये की धनराशि की माँग प्रेषित है । औषधि फीड सप्लीमेन्ट की माँग का निर्धारण इस आधार पर किया गया है कि एक प्रतिशत बड़े पशु हीट वेव से प्रभावित हो सकते हैं । जिसके लिये आवश्यक रसायन/औषधि व अन्य सामग्री अतिरिक्त रूप से व्यवस्था की जायेगी । (अनु0-4)

विकास खण्ड वार भूसा व्यापारियों की सूची जनपद-बुलन्दशह

| क्र०<br>स०               | तहसील<br>का नाम              | विकास<br>खण्ड<br>का नाम | भूसा व्यवसायी का<br>नाम व पता | मो०नम्बर   | उपलब्ध भूसे<br>की मात्रा<br>कुन्तल में | दर प्रति<br>कुन्तल | नोडल<br>अधिकारी                                                              |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------|----------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1                        | डिबाई                        | डिबाई                   | श्री बलवीर सिंह, डिबाई        | 9719353886 | 80                                     | 700—800            | डा० मनोज<br>कुमार,<br>पशुचिकित्साधिका<br>री, नरौरा                           |
|                          |                              |                         | श्री मोनू, डिबाई              | 9719958271 | 50                                     | 700—800            |                                                                              |
|                          |                              |                         | श्री उदयवीर सिंह, नरौरा       | 9759167850 | 20                                     | 700—800            |                                                                              |
|                          |                              | दानपुर                  | श्री लाल सिंह, डिबाई          | 9758706204 | मोंग के अनुसार                         | 700—800            | डा० सतेन्द्र सिंह,<br>पशुचिकित्साधिका<br>री, दानपुर                          |
| 2                        | अनूपशहर                      | अनूपशहर                 | मो० अलाउददीन,<br>अनूपशहर      | 6395654948 | मोंग के अनुसार                         | 700—800            | डा० चन्द्रपाल<br>सिंह, प्रभारी<br>उप—मुख्य<br>पशुचिकित्साधिका<br>री, अनूपशहर |
|                          |                              |                         | मो० फुरकान, अनूपशहर           | 8954965015 | मोंग के अनुसार                         | 700—800            |                                                                              |
|                          |                              |                         | मो० जाकिर, नौवतपुर            | 8859955261 | मोंग के अनुसार                         | 700—800            |                                                                              |
|                          |                              |                         | जावेदन, नौवतपुर               | 9012779650 | मोंग के अनुसार                         | 700—800            |                                                                              |
|                          |                              |                         | श्री राजीव शर्मा,<br>कतियावली | 7668302252 | मोंग के अनुसार                         | 700—800            |                                                                              |
|                          |                              | जहांगीराबा<br>द         | श्री कपिल, असावरी             | 6397852602 | मोंग के अनुसार                         | 700—800            | डा० सौरभ यादव,<br>प्रभारी<br>पशुचिकित्साधिका<br>री, जहाँगीराबाद              |
|                          |                              |                         | श्री जितेन्द्र, असावरी        | 7248655465 | मोंग के अनुसार                         | 700—800            |                                                                              |
|                          |                              |                         | श्री गुड्डू, जिनाई            | 9756848066 | मोंग के अनुसार                         | 700—800            |                                                                              |
|                          |                              | 3                       | शिकारपुर                      | शिकारपुर   | श्री प्रमोद, असावरी                    | 8859464452         | मोंग के अनुसार                                                               |
| मो० सकील, लाल<br>देवराला | 9761410625                   |                         |                               |            | मोंग के अनुसार                         | 700—800            |                                                                              |
| मो० समीम, सरावा          | 6398467495                   |                         |                               |            | मोंग के अनुसार                         | 700—800            |                                                                              |
| मो० सकील, गिनौरी         | 9761765757                   |                         |                               |            | मोंग के अनुसार                         | 700—800            |                                                                              |
| पहासू                    | श्री काली, पहासू             |                         |                               | 8126306257 | 70                                     | 700—800            | डा० धीरेन्द्र सिंह,<br>पशुचिकित्साधिका<br>री, पहासू                          |
|                          | श्री सुखवीर सिंह, पहासू      |                         |                               | 9720808039 | 20                                     | 700—800            |                                                                              |
|                          | श्री धर्मपाल सिंह, प्रानगढ़  |                         |                               | 8006293034 | 32                                     | 700—800            |                                                                              |
|                          | श्री नरेन्द्र कुमार, गंगागढ़ |                         |                               | 8938201456 | 10                                     | 700—800            |                                                                              |

|   |              |              |                                        |            |               |         |                                                                  |
|---|--------------|--------------|----------------------------------------|------------|---------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 4 | खुर्जा       | खुर्जा       | श्री बिल्लू तायल, कबाड़ी बाजार, खुर्जा | 8273535161 | 25            | 700—800 | डा० चन्द्रपाल सिंह, प्रभारी, उप—मुख्य पशुचिकित्साधिका री, खुर्जा |
|   |              |              | श्री तायल, ककराला खुर्जा               | 9410672214 | 20            | 700—800 |                                                                  |
|   |              |              | श्री धर्मेन्द्र, कबाड़ी बाजार, खुर्जा  | 6395676274 | मॉग के अनुसार | 700—800 |                                                                  |
|   |              |              | मो० फरीद खॉ, रिफायाम इ०का०, खुर्जा     | —          | मॉग के अनुसार | 700—800 |                                                                  |
|   |              |              | श्री करन, पंजाबियान कालौनी, खुर्जा     | —          | मॉग के अनुसार | 700—800 |                                                                  |
|   |              | अरनिया       | मो० अंसार, अगौरा                       | 9837159893 | मॉग के अनुसार | 700—800 | डा० दिनेश कुमार, पशुचिकित्साधिका री, अरनियाँ                     |
|   |              |              | श्री विनोद शर्मा, खुटैना               | 7505512670 | मॉग के अनुसार | 700—800 |                                                                  |
| 5 | सिकन्द्राबाद | सिकन्द्राबाद | मो० अलाउददीन, सिकन्द्राबाद             | 9756298877 | 12000         | 700—800 | डा० तुष्टि, उप—मुख्य पशुचिकित्साधिका री, सिकन्द्राबाद            |
|   |              |              | मो० अब्दुल, सिकन्द्राबाद               | 8449305144 | मॉग के अनुसार | 700—800 |                                                                  |
|   |              |              | मो० जहीर पहलवान, सिकन्द्राबाद          | 9927345339 | मॉग के अनुसार | 700—800 |                                                                  |
|   |              |              | मो० नदीम , सिकन्द्राबाद                | 8057479760 | मॉग के अनुसार | 700—800 |                                                                  |
|   |              |              | मो० जहीर गाजी, सिकन्द्राबाद            | 9358890223 | मॉग के अनुसार | 700—800 |                                                                  |
|   |              |              | मो० आसिफ, बिरौडी फौलादपुर              | 7818015336 | मॉग के अनुसार | 700—800 |                                                                  |
|   |              |              | श्री सुखपाल, बिरौडी फौलादपुर           | 8474962512 | मॉग के अनुसार | 700—800 |                                                                  |
|   |              |              | मो० शकील, बिरौडी फौलादपुर              | 8057808823 | मॉग के अनुसार | 700—800 |                                                                  |
|   |              |              | मो० असलू, बिरौडी फौलादपुर              | 8006982820 | मॉग के अनुसार | 700—800 |                                                                  |
| 6 | बुलन्दशहर    | लखावटी       | श्री संजय, नौवतपुर                     | 9149170673 | मॉग के अनुसार | 700—800 | डा० मोहन सिंह, प्रभारी पशुचिकित्साधिका री, लखावटी                |
|   |              |              | श्री कलुआ, नौवतपुर                     | 9690894196 | मॉग के अनुसार | 700—800 |                                                                  |
|   |              |              | मो० इन्साद, नौवतपुर                    | 9917507531 | मॉग के अनुसार | 700—800 |                                                                  |
|   |              |              | मो० जाबिद, नौवतपुर                     | 9012779650 | मॉग के अनुसार | 1200    |                                                                  |
|   |              |              | मो० अहमद शहीद, नौवतपुर                 | 9690571599 | मॉग के अनुसार | 1200    |                                                                  |

|   |        |            |                                |            |               |      |                                                                     |
|---|--------|------------|--------------------------------|------------|---------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| 7 | स्याना |            | मो0 ताहिर, नौवतपुर             | 9837633206 | मॉग के अनुसार | 1200 |                                                                     |
|   |        |            | मो0 जुमा, नौवतपुर              | 9536104499 | मॉग के अनुसार | 1200 |                                                                     |
|   |        | बुलन्दशहर  | श्री राजीव कुमार, बुलन्दशहर    | 8433193365 | मॉग के अनुसार | 1200 | डा0 सुमेश चन्द्र गुप्ता, उप-मुख्य पशुचिकित्साधिका री, सदर बुलन्दशहर |
|   |        |            | श्री लाखन सिंह, बुलन्दशहर      | 9675095976 | मॉग के अनुसार | 1200 |                                                                     |
|   |        | अगौता      | मो0 नईम, जहरा                  | 9536315185 | मॉग के अनुसार | 1200 | डा0 अमरेश कुमार सिंह, प्रभारी पशुचिकित्साधिका री, अगौता             |
|   |        |            | मो0 हासम, जहरा                 | 8859700343 | मॉग के अनुसार | 1200 |                                                                     |
|   |        | गुलावठी    | श्री गजराज, गुलावठी            | 8534930582 | मॉग के अनुसार | 1200 | डा0 गौतम तिवारी, पशुचिकित्साधिका री, गुलावठी                        |
|   |        |            | मो0 साकिर, गुलावठी             | 6397080533 | मॉग के अनुसार | 1200 |                                                                     |
|   |        |            | मो0 सददाम, गुलावठी             | —          | मॉग के अनुसार | 1200 |                                                                     |
|   |        |            | मो0 इकबाल, गुलावठी             | —          | मॉग के अनुसार | 1200 |                                                                     |
|   |        | स्याना     | श्री विष्णु कुमार, स्याना      | 9568090692 | 15            | 1200 | डा0 कृष्ण कुमार सारस्वत, उप-मुख्य पशुचिकित्साधिका री, स्याना        |
|   |        |            | मो0 जाकिर, स्याना              | 9639591441 | 16            | 1200 |                                                                     |
|   |        |            | मो0 इश्तकार, स्याना            | 8273243792 | मॉग के अनुसार | 1200 |                                                                     |
|   |        |            | मो0 मौसीन, स्याना              | 9520106930 | मॉग के अनुसार | 1200 |                                                                     |
|   |        | बी0बी0 नगर | श्री रोहताश , रंजीतपुरा कुचेसर | 8449777569 | मॉग के अनुसार | 1200 | डा0 प्रदीप कुमार, पशुचिकित्साधिका री, बी0बी0नगर                     |
|   |        |            | मो0 साबिर, बड़ौदा              | 9897999402 | मॉग के अनुसार | 1200 |                                                                     |
|   |        |            | मो0 सिकन्दर, बड़ौदा            | 8126821954 | मॉग के अनुसार | 1200 |                                                                     |
|   |        | ऊँचागॉव    | श्री सचिन कुमार, ऊँचागॉव       | 9719427064 | 3             | 1200 | डा0 नवनीत सिंह, प्रभारी पशुचिकित्साधिका री, ऊँचागॉव                 |
|   |        |            | श्री अनिल शर्मा, अमरगढ़        | 7248697003 | 2             | 1200 |                                                                     |
|   |        |            | श्री हेमवीर सिंह               | 6397130595 | 2             | 1200 |                                                                     |

### औषधियों/वैक्सीन की सूची

| क्र0सं0 | औषधि | मात्रा |
|---------|------|--------|
|---------|------|--------|

|    |                                   |                            |
|----|-----------------------------------|----------------------------|
| 1  | . सोडियम थायोसल्फेट               | 500gm x 2000Nos.           |
| 2  | मल्टीविटामिन                      | (tribivet)30 ml x 1000Nos. |
| 3  | डैक्सोना                          | 10ml x 2000Nos.            |
| 4  | एविल                              | 30ml x 1000Nos.            |
| 5  | डी0एन0एस0—20 %                    | 1000ml(1L) x 1000Nos       |
| 6  | रिंगर लैक्टेट                     | 500ml(1/2L) x 1000Nos.     |
| 7  | नार्मल सैलाइन                     | 1000ml(1L) x 1000Nos.      |
| 8  | कैटिल फीड सप्लीमेन्ट ब्रीडमिन     | 1kg x 7000Nos.             |
| 9  | एनरोफ्लोक्सासिन                   | 100ml x 1000Nos            |
| 10 | निडिल डिस्पोजल                    | 18 gauge x 2000Nos         |
| 11 | क्लीनिकल थर्मामीटर                | 2000Nos.                   |
| 12 | थर्मस, वैक्सीन कैरीयर्स व लाईनर्स | 1000Nos each               |

### जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत नगर पालिकाओं की कार्ययोजना

1- कार्यालय नगर पालिका परिषद – गुलावठी जनपद, बुलन्दशहर

बिन्दु सं01 – नगर गुलावठी में स्लम बस्ती नहीं है, नगर की सभी क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था है।  
 बिन्दु सं 02–नगर क्षेत्र गुलावठी के पार्को में छाया की समुचित व्यवस्था हैं।  
 बिन्दु सं 03– पालिका द्वारा पानी के टैंकर से सड़क पर छिड़काव कराया जाता हैं।  
 बिन्दु सं 04–नगर क्षेत्र में नयी इमारतों के निर्माण हेतु प्रयोग की जानें वाली सामग्री की जानें वाली सामग्री को हरें नेट (जाली) से कवर दिया जाता है।  
 बिन्दु सं 05–पालिका द्वारा नगर क्षेत्र में कई ग्रीन बैल्ट का निर्माण कराया गया है।

#### जल कल व्यवस्था

1. भीषण गर्मी/लू से बचाव हेतु, नगर में पानी का छिड़काव कराया जाना–पालिका के पास 02 नग टैंकर छिड़काव हेतु उपलब्ध है, जिन से नगर में नागरिकों को भीषण गर्मी/लूसेबचावहेतु, आवश्यकतानुसार भिन्न-2 स्थानों पर पानी का छिड़काव कराया जायेगा।
2. पेय जल हेतु टैंकर की व्यवस्था– पालिका के पास 04 नग टैंकर पीने के पानी हेतु उपलब्ध है, जिन से नगर मे नागरिकों को भीषण गर्मी/लू से बचाव हेतु, आवश्यकतानुसार भिन्न-2 स्थानो पर पेय जलापूर्ति हेतु प्रेषित किये जा सकते है।
3. पेयजल की व्यवस्था– पालिका द्वारा नगर में, भिन्न-2 स्थानों पर, 10 शीतल जल वाटर कूलर स्थापित कराये गये है, जिनसे भीषण गर्मी/लू से बचाव हेतु, नागरिको को राहत मिलेगी।
4. हैण्डपम्पो की व्यवस्था– पालिका द्वारा नगर में 152 हैण्ड पम्प चालू स्थिति में उपलब्ध है, जिनसे भीषणगर्मी/लू से बचाव हेतु, नागरिको को राहत मिलेगी।
5. पेयजल का क्लोरिनेशन–पालिका के पास 07 नलकूप है तथा 03 शिरोपरि जलाशय है। पालिका द्वारा पेय जलापूर्ति का प्रतिदिन क्लोरिनेशन कराया जाता है।
6. पेयजल पाइपलाइन में लिकेज मरम्मत–पालिका द्वारा नगर में पेय जल पाइप लाइन में लिकेज हो जाने पर, मरम्मत हेतु, टीम गठित की गयी है, जिसमें श्री करतार सिंह (फिटर ठेका प्रथा, मो0नं0– 9897995624) तथा गैंग मेन श्री अजीमुद्दीन (मो0नं0– 9528358145) व श्री धीर सिंह (मो0नं0– 8126671626) है। उनके द्वारा किसी भी लिकेज होने पर तत्काल उसकी मरम्मत की जायेगी।

#### हीटवेव (लू) प्रबन्धन कार्ययोजना-2025 हेतु नामित नोडल अधिकारी का विवरण

| क्र0सं0 | नामित नोडल अधिकारी का नाम | पदनाम        | विभाग का नाम             | मोबाईल नं0 | ई-मेल              |
|---------|---------------------------|--------------|--------------------------|------------|--------------------|
| 1       | श्री जयपाल सिंह           | जलकल प्रभारी | नगर पालिका परिषद गुलावठी | 8791788783 | nppg bsr@gmail.com |

2– कार्यालय नगर पालिका परिषद – अनुपशहर, जनपद बुलन्दशहर

**1. भीषण गर्मी/लू से बचाव हेतु, नगर में पानी का छिड़काव कराया जाना**—पालिका के पास 02 नग टैंकर छिड़काव हेतु उपलब्ध है, जिनसे नगर में नागरिकों को भीषण गर्मी/लू से बचाव हेतु, आवश्यकतानुसार भिन्न-2 स्थानों पर पानी का छिड़काव कराया जायेगा।

**2. पेयजल हेतु टैंकर की व्यवस्था**—पालिका के पास 02 नद नग टैंकर पीने के पानी हेतु उपलब्ध है, जिनसे नगर में नागरिकों को भीषण गर्मी/लू से बचाव हेतु, आवश्यकतानुसार भिन्न-2 स्थानों पर पेयजलापूर्ति हेतु प्रेषित किये जा सकते हैं।

**3. पेयजल की व्यवस्था**—पालिका द्वारा नगर में, भिन्न-2 स्थानों पर, 42 शीतल जल वाटर कूलर स्थापित कराये गये हैं, जिनसे भीषण गर्मी/लू से बचाव हेतु, नागरिकों को राहत मिलेगी।

**4. हैण्डपम्पो की व्यवस्था**—पालिका द्वारा नगर में 252 हैण्डपम्प चालू स्थिति में उपलब्ध हैं, जिनसे भीषण गर्मी/लू से बचाव हेतु, नागरिकों को राहत मिलेगी।

**5. पेयजल का क्लोरिनेशन**—पालिका के पास 05 नलकूप हैं तथा 02 शिरोपरि जलाशय हैं। पालिका द्वारा पेयजलापूर्ति का प्रतिदिन क्लोरिनेशन कराया जाता है।

**6. पेयजल पाइपलाइन में लिकेज मरम्मत**—पालिका द्वारा नगर में पेयजल पाइप लाइन में लिकेज हो जाने पर, मरम्मत हेतु, टीम गठित की गयी है, जिसमें श्री राजकिशोर (फिटर ठेका प्रथा, मो0नं0— 9258892275) हैं। उनके द्वारा किसी भी लिकेज होने पर तत्काल उसकी मरम्मत की जायेगी।

#### **सफाई व्यवस्था**

**1. सफाई झाड़ू/नाली**—पालिका द्वारा सफाई कर्मचारियों से 02 पारियों में सफाई कार्य कराया जाता है। प्रथम पारी में कर्मचारियों द्वारा अपने निश्चित स्थान पर सफाई झाड़ू/नाली का कार्य किया जाता है, तथा द्वितीय पारी में आवश्यकतानुसार भिन्न-2 स्थानों पर सफाई कार्य कराया जाता है।

**2. वाहनो द्वारा नगर का कूड़ा उठाना**—पालिका द्वारा डोर-टू-डोर कलैक्शन के अन्तर्गत घरों का कूड़ा-कचरा प्रतिदिन ट्रैक्टर-ट्रॉली, मैजिक टाटा, हाथ ठेली इत्यादि से एकत्रित कर, निस्तारण करा दिया जाता है।

**3. कीटनाशक दबाईयों का छिड़काव**—पालिका द्वारा सायं कालीन पारी में नगर की नालियों एवं गंदे स्थानों पर कीटनाशक दबाईयों का छिड़काव स्प्रे मशीन द्वारा कराया जायेगा।

**4. फॉगिंग**—पालिका के पास फॉगिंग मशीन उपलब्ध है, जिससे जनता को मच्छरों के प्रकोप से बचाये जाने हेतु, सायं के समय प्रतिदिन फॉगिंग करायी जायेगी।

**5. कलई-चूना का छिड़काव**—पालिका द्वारा नगर में गंदे स्थानों की सफाई कराकर कलई-चूने का छिड़काव कराया जाता है।

**6. नगर पालिका परिषद् अनुपशहर के पब्लिक एड्रेस सिस्टम व डोर-टू-डोर वाहनो पर लगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम से नगर में लू-प्रकोप (Heat Wave) बचाव एवं राहत हेतु 'क्या करें, क्या न करें' का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा तथा विभिन्न स्थानों पर पोस्टर भी चस्पा कराये जा रहें।**

## हीटवेव (लू) प्रबन्धन कार्ययोजना-2025 हेतु नामित नोडल अधिकारी का विवरण

| क्र०सं० | नामित नोडल अधिकारी का नाम | पदनाम           | विभाग का नाम             | मोबाईल नं० | ई-मेल                                    |
|---------|---------------------------|-----------------|--------------------------|------------|------------------------------------------|
| 1       | श्री राजकिशोर             | प्रकाश निरीक्षक | नगर पालिका परिषद अनूपशहर | 9258892275 | nagarpalikaparisha danupshahr@gmail .com |

### 3- कार्यालय नगर पालिका परिषद – शिकारपुर, जनपद बुलन्दशहर

#### हीटवेव (लू) प्रबंधन कार्य योजना-2025

##### जलकल व्यवस्था

1. भीषण गर्मी/लू से बचाव हेतु, नगर में पानी का छिड़काव कराया जाना—पालिका के पास 02 नग टैंकर छिड़काव हेतु उपलब्ध है, जिनसे नगर में नागरिकों को भीषण गर्मी/लू से बचाव हेतु, आवश्यकतानुसार भिन्न-2 स्थानों पर पानी का छिड़काव कराया जायेगा।

2. पेयजल हेतु टैंकर की व्यवस्था—पालिका के पास 03 नग टैंकर पीने के पानी हेतु उपलब्ध है, जिनसे नगर में नागरिकों को भीषण गर्मी/लू से बचाव हेतु, आवश्यकतानुसार भिन्न-2 स्थानों पर पेयजलापूर्ति हेतु प्रेषित किये जा सकते हैं।

3. पेयजल की व्यवस्था—पालिका द्वारा नगर में, भिन्न-2 स्थानों पर, 15 शीतल जल वाटर कूलर स्थापित कराये गये हैं, जिनसे भीषण गर्मी/लू से बचाव हेतु, नागरिकों को राहत मिलेगी।

4. हैण्डपम्पो की व्यवस्था—पालिका द्वारा नगर में 142 हैण्डपम्प चालू स्थिति में उपलब्ध हैं, जिनसे भीषण गर्मी/लू से बचाव हेतु, नागरिकों को राहत मिलेगी।

5. पेयजल का क्लोरिनेशन—पालिका के पास 05 नलकूप हैं तथा 01 शिरोपरि जलाशय है। पालिका द्वारा पेयजलापूर्ति का प्रतिदिन क्लोरिनेशन कराया जाता है।

6. पेयजल पाइपलाइन में लिकेज मरम्मत—पालिका द्वारा नगर में पेयजल पाइप लाइन में लिकेज हो जाने पर, मरम्मत हेतु, टीम गठित की गयी है, जिसमें श्री श्यामबाबू (फिटर ठेका प्रथा, मो०नं०— 9761304445) तथा गैंगमेन श्री हसन अली शर्मा हैं। उनके द्वारा किसी भी लिकेज होने पर तत्काल उसकी मरम्मत की जायेगी।

##### सफाई व्यवस्था

1. सफाई झाड़ू/नाली—पालिका द्वारा सफाई कर्मचारियों से 02 पारियों में सफाई कार्य कराया जाता है। प्रथम पारी में कर्मचारियों द्वारा अपने निश्चित स्थान पर सफाई झाड़ू/नाली का कार्य किया जाता है, तथा द्वितीय पारी में आवश्यकतानुसार भिन्न-2 स्थानों पर सफाई कार्य कराया जाता है।

2. वाहनो द्वारा नगर का कूड़ा उठाना—पालिका द्वारा डोर-टू-डोर कलैक्शन के अन्तर्गत घरों का कूड़ा-कचरा प्रतिदिन ट्रैक्टर-ट्रॉली, मैजिक टाटा, हाथ ठेली इत्यादि से एकत्रित कर, निस्तारण करा दिया जाता है।

3. कीटनाशक दबाईयों का छिड़काव—पालिका द्वारा सायं कालीन पारी में नगर की नालियों एवं गंदे स्थानों पर कीटनाशक दबाईयों का छिड़काव स्प्रे मशीन द्वारा कराया जायेगा।

4. फॉगिंग—पालिका के पास फॉगिंग मशीन उपलब्ध है, जिससे जनता को मच्छरों के प्रकोप से बचाये जाने हेतु, सायं के समय प्रतिदिन फॉगिंग करायी जायेगी।

5. कलई-चूना का छिड़काव—पालिका द्वारा नगर में गंदे स्थानों की सफाई कराकर कलई-चूने का छिड़काव कराया जाता है।

6. नगर में लू प्रकोप बचाव एवं राहत हेतु 'क्या करें, क्या न करें' का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है।

#### आवारा पशुओं हेतु व्यवस्था

1. पालिका द्वारा सड़को पर घूमनेवाले आवारा पशुओं को नियंत्रित कर, पालिका द्वारा संचालित अस्थायी गौशाला नई मण्डी में संरक्षित किया जाता है, जिनका पशुधन चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिदिन स्वास्थ्य परीक्षण कर इलाज किया जाता है। भीषण गर्मी में यदि इस प्रकार का कोई पशु घूमता हुआ पाया जाता है तो, उसे नियंत्रित कर अस्थायी गौशाला में संरक्षित किये जाने की व्यवस्था है।

#### हीटवेव (लू) प्रबंधन-2025 हेतु नामित नोडल अधिकारी का विवरण:

| क्र० सं० | नमित नोडल अधिकारी का नाम | पदनाम | विभाग का नाम              | मोबाईल नम्बर | ई-मेल                  |
|----------|--------------------------|-------|---------------------------|--------------|------------------------|
| 01       | श्री धीरज कुमार शर्मा    | लिपिक | नगर पालिका परिषद शिकारपुर | 9557234950   | nppshikarpur@gmail.com |

#### **4- कार्यालय नगरपालिका परिषद – सिकंदराबाद, बुलन्दशहर**

गर्मी की स्थिति से निपटने हेतु हीटवेव प्रबन्ध कार्ययोजना एक्शन प्लान- 2023 निम्नवत है:-

1. इण्डिया मार्क II हैण्डपम्प — 409
2. ट्यूबवैल — 17 (35 एच०पी० 10 नग, 15एच०पी० 07 नग)
3. ओवर हैड टैंक — 03 (1- 2300 K.L. 2- 2000 K.L. 3- 1100 K.L.)
4. वाटर कूलर — 33
5. वाटर टैंकर — 08 (01 नग 5000 Ltr, 07 नग 3000 Ltr)

हीटवेव (लू) प्रबंधन –2025 हेतु नामित नोडल अधिकारी का विवरण:

| क्र० सं० | नामित नोडल अधिकारी का नाम | पदनाम                | विभाग का नाम                   | मो०नं०     | ई-मेल                    |
|----------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|
| 1        | सचिन कुमार                | अवर अभियन्ता         | नगर पालिका परिषद, सिकन्द्राबाद | 9410002602 | nppsikandrabad@gmail.com |
| 1        | सलीमुद्दीन                | कार्यवाहक जलकल लिपिक | नगर पालिका परिषद, सिकन्द्राबाद | 9927179369 | nppsikandrabad@gmail.com |

- मन्दिरों/लोकभवन में कूलिंग सेन्टर स्वयं संचालित किये जाते हैं।
- नगर पालिका परिषद सिकन्द्राबाद में सब्जी मण्डी/चौराहों व सार्वजनिक स्थलों पर शीतल जल की समुचित व्यवस्था तथा नगर के दूर-दराज क्षेत्रों में पानी व्यवस्था हेतु पालिका द्वारा 33 नग वाटर कूलर स्थापित किये गये हैं तथा 8 पानी के टैंकर उपलब्ध हैं।
- नगर पालिका परिषद सिकन्द्राबाद में कार्य स्थलों पर लू-प्रकोप (Heat wave) से बचाव एवं राहत हेतु “ क्या करें, क्या न करें” का व्यापक प्रचार-प्रसार सफाई वाहनों द्वारा कराने की व्यवस्था है।

## 5. कार्यालय नगर पालिका परिषद – खुर्जा, बुलन्दशहर

गर्मी की स्थिति से निपटने हेतु हीटवेव प्लान कार्ययोजना एक्शन प्लान- 2025 निम्नवत है:-

1. इण्डियन मार्क II हैण्डपम्प – 371
2. नलकूप – 18
3. ओवर हैड टैंक – 06
4. वाटर कूलर – 23
5. वाटर टैंकर – 06
6. एन्टीस्मॉग गन – 02
7. फायर हाइड्रेंट – 04

### हीटवेव (लू) प्रबंधन कार्य योजना-2025

#### जलकल व्यवस्था

1. भीषण गर्मी/लू से बचाव हेतु, नगर में पानी का छिड़काव कराया जाना— नगर में नागरिकों को भीषण गर्मी/लू से बचाव हेतु, आवश्यकतानुसार भिन्न-2 स्थानों पर पानी का छिड़काव कराया जायेगा।
2. पेयजल हेतु टैंकर की व्यवस्था—पालिका के पास 06 नग टैंकर पीने के पानी हेतु उपलब्ध है, जिनसे नगर में नागरिकों को भीषण गर्मी/लू से बचाव हेतु, आवश्यकतानुसार भिन्न-2 स्थानों पर पेयजलापूर्ति हेतु प्रेषित किये जा सकते हैं।

**3. पेयजल की व्यवस्था**—पालिका द्वारा नगर में, भिन्न-2 स्थानों पर 23 शीतल जल वाटर कूलर स्थापित कराये गये हैं, जिनसे भीषण गर्मी/लू से बचाव हेतु, नागरिकों को राहत मिलेगी।

**4. हैण्डपम्पों की व्यवस्था**— पालिका द्वारा नगर में 371 हैण्डपम्प चालू स्थिति में उपलब्ध है, जिनसे भीषण गर्मी/लू से बचाव हेतु, नागरिकों को राहत मिलेगी।

**6. पेयजल पाइपलाइन में लिकेज मरम्मत**—पालिका द्वारा नगर में पेयजल पाइप लाइन में लिकेज हो जाने पर, मरम्मत हेतु, टीम गठित की गयी है, जिसमें श्री शहजाद खान (मो0नं0— 9058173720) तथा गैंगमेन श्री मोहित कुमार (9639151104) है। उनके द्वारा किसी भी लिकेज होने पर तत्काल उसकी मरम्मत की जायेगी।

**5. फायर हाइड्रेंट**—भीषण गर्मी व अन्य कारणों से लगने वाले आग से निपटने हेतु नगर क्षेत्र के मुख्य मार्गों पर स्थापित 04 नलकूपों पर फायर हाइड्रेंट की व्यवस्था की गयी है।

**हीटवेव (लू) प्रबंधन –2025 हेतु नामित नोडल अधिकारी का विवरण:**

| क्र0<br>सं0 | नमित नोडल<br>अधिकारी का नाम | पदनाम                     | विभाग का नाम               | मोबाईल<br>नम्बर | ई-मेल                           |
|-------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 01          | श्री मिथुन कुमार            | अवर<br>अभियंता<br>(जल कल) | नगर पालिका परिषद<br>खुर्जा | 7078068429      | nagarpalikakhurja<br>@gmail.com |

## 6- कार्यालय नगर पालिका परिषद – जहाँगीराबाद, बुलन्दशहर

- नगर पालिका परिषद जहाँगीराबाद द्वारा 20 स्थानों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगे हुये हैं, जिनका संचालन पुरानी नगर पालिका कार्यालय के द्वारा किया जा रहा है, जो पूरी तरह से क्रियाशील है तथा पूरे शहर में संचालित है, जिनके माध्यम से लू से बचाव एवं सुरक्षा हेतु शासन के द्वारा निर्गत निर्देश यथा “क्या करें” “क्या न करें” का प्रचार-प्रसार जन सामान्य में किया जायेगा।
- नगर पालिका परिषद जहाँगीराबाद द्वारा लालकुआं के निकट पुरानी नगर पालिका में जन सामान्य के ठहरने हेतु रैन बसेरे का संचालन किया गया है, जिसमें समरसेविल पम्प सुचारु है, तथा पीने हेतु पानी और स्नान हेतु स्नानागार बने हुये हैं।
- नगर पालिका परिषद जहाँगीराबाद द्वारा गर्मी से बचाव हेतु छायादार एवं फलदार वृक्षों को रोपित कर वृक्षारोपण किया गया है, तथा पूर्व में रोपित किये गये पौधे वर्तमान में छायादार है, गर्मी से बचाव हेतु सहायक है।
- नगर पालिका परिषद जहाँगीराबाद द्वारा ग्रीष्म ऋतु व हीट वेव से बचाव हेतु नगर में आवश्यक स्थानों व बाजारों पर पेयजल में हेतु  $243+50 = 293$  इण्डिया मार्क हैण्डपम्प तथा  $10+8 = 18$  वाटर कूलर नगर में विभिन्न स्थानों पर पूर्व से स्थापित और सुचारु हैं तथा 33 स्थानों पर वाटर कूलर स्थापन का कार्य प्रगति पर है, इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों पर स्टैण्ड पोस्ट स्थापित हैं।
- नगर पालिका परिषद जहाँगीराबाद के अन्तर्गत द्वारा 11 ट्यूबवैलों स्थापित हैं, जिन पर डोजरों के माध्यम से क्लोरिनेशन किया जा रहा है पूर्व में स्थापित ओवरहैड टैंकों की सफाई करा दी गयी है। सभी पम्पों पर निर्बाध विधुत हेतु जेनेरेटर स्थापित हैं।

7. नगर पालिका परिषद जहाँगीराबाद के अन्तर्गत 3 ओवर हैड टैंक स्थापित हैं।
8. नगर पालिका परिषद जहाँगीराबाद द्वारा क्षतिग्रस्त पाइप लाइन व लीकेज को तत्काल ठीक किये जाने हेतु पूर्व टीम का गठन किया गया है, जिनके द्वारा कहीं भी लिकेज होने पर उसे तुरन्त सही करा दिया जाता है तथा जनसामान्य को स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जा रही है।
8. बुलन्दशहर बस स्टैण्ड पर स्थापित टयूवैल पर फायर हाईड्रेंट की सुविधा है, जहां भारी वाहनों के आवागमन हेतु पर्याप्त एवं सुगम मार्ग स्थल है।
9. नगर पालिका में 07 पानी के टैंकर हैं जो सभी चालू हालत में हैं जिनसे आवश्यकतानुसार पेय जलापूर्ति करायी जाती है तथा 02 टैंकर छिड़काव हेतु तथा एक स्प्रे टैंकर/एण्टीफॉग मशीन है।

## **हीटवेब (लू) प्रबंधन कार्ययोजना-2025 हेतु नामित नोडल अधिकारी का विवरण**

| क्र० सं० | नामित नोडल अधिकारी का नाम | पदनाम                   | विभाग का नाम                 | मोबाईल नं० | ई-मेल                                                                    |
|----------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1        | श्री राकेश कुमार          | सफाई एवं खाद्य निरीक्षक | नगर पालिका परिषद जहाँगीराबाद | 9720490405 | <a href="mailto:nppjahangirabad@gmail.com">nppjahangirabad@gmail.com</a> |
| 2        | श्री सईद अहमद             | जल-कल लिपिक             | नगर पालिका परिषद जहाँगीराबाद | 8791329759 | <a href="mailto:nppjahangirabad@gmail.com">nppjahangirabad@gmail.com</a> |

### **7- कार्यालय नगरपालिका परिषद – बुलन्दशहर, जनपद बुलन्दशहर**

**1- भीषण गर्मी/लू से बचाव हेतु, नगर में पानी का छिड़काव कराया जाना-**पालिका के पास 02 नग टैंकर छिड़काव हेतु उपलब्ध हैं, जिनसे नगर के नागरिकों को भीषण गर्मी/लू से बचाव हेतु, आवश्यकतानुसार भिन्न-2 स्थानों पर पानी का छिड़काव कराया जायेगा।

**2-पेय जल हेतु टैंकर की व्यवस्था-** पालिका के पास 04 नग टैंकर पीने के पानी हेतु उपलब्ध हैं, जिन से नगर में नागरिकों को भीषण गर्मी/लू से बचाव हेतु, आवश्यकतानुसार भिन्न-2 स्थानों पर पेय जलापूर्ति हेतु प्रेषित किये जा सकते हैं।

**3-पेयजल की व्यवस्था-** पालिका द्वारा नगर में, भिन्न-2 स्थानों पर, 04 शीतल जल वाटर कूलर स्थापित कराये गये हैं, जिनसे भीषण गर्मी/लू से बचाव हेतु, नागरिकों को राहत मिलेगी।

**4-हैण्डपम्पों की व्यवस्था-** पालिका द्वारा नगर में 918 हैण्ड पम्प चालू स्थिति में उपलब्ध हैं, जिनसे भीषण गर्मी/लू से बचाव हेतु, नागरिकों को राहत मिलेगी।

**5-पेयजल का क्लोरिनेशन-**पालिका के पास 39 नलकूप हैं तथा 12 शिरोपरि जलाशय हैं। पालिका द्वारा पेय जलापूर्ति का प्रतिदिन क्लोरिनेशन कराया जाता है।

**6-पेयजल पाइपलाइन में लिंकेज मरम्मत**—पालिका द्वारा नगर में पेय जल पाइपलाइन में लिंकेज हो जाने पर, मरम्मत हेतु, टीमगठित की गयी है, जिसका सुपरविजन श्री जगवीर सिंह, के द्वारा किया जा रहा है, किसी भी लिंकेज हाने पर तत्काल उसकी मरम्मत की जायेगी।

#### **सफाई व्यवस्था**

**1-सफाई झाड़ू/नाली**—पालिका द्वारा सफाई कर्मचारियों से 02 पारियों में सफाई कार्य कराया जाता है। प्रथम पारी में कर्मचारियों द्वारा अपनेनिश्चित स्थान पर सफाई झाड़ू/नाली का कार्य किया जाता है, तथा द्वितीय पारी में आवश्यकतानुसार भिन्न-2 स्थानों पर सफाई कार्य कराया जाता है।

**2-वाहनो द्वारा नगर का कूड़ा उठाना**— पालिका द्वारा डोर-टू-डोरकलैक्शन के अन्तर्गत घरों का कूड़ा-कचरा प्रतिदिन ट्रैक्टर-ट्रॉली, मैजिकटाटा, ई-रिक्शा, हाथ ठेली इत्यादि से एकत्रित कर, निस्तारण करा दिया जाता है।

**3-कीटनाशक दबाईयों का छिड़काव**—पालिका द्वारा सायंकालीन पारी में नगर की नालियों एवं गंदे स्थानों पर कीटनाशक दबाईयों का छिड़काव स्प्रे मशीन द्वारा कराया जायेगा।

**4-फॉगिंग**—पालिका के पास फॉगिंग मशीन उपलब्ध है, जिससे जनता को मच्छरों के प्रकोप से बचाये जाने हेतु, सायं के समय प्रतिदिन फॉगिंग करायी जायेगी।

**5-कली-चूना का छिड़काव**—पालिका द्वारा नगर में गंदे स्थानों की सफाई करा कर कली-चूने का छिड़काव कराया जाता है।

#### **आवारा पशुओं हेतु व्यवस्था**

पालिका द्वारा सड़कों पर घूमनेवाले आवारा पशुओं को नियंत्रित कर, पालिका द्वारा संचालित अस्थायी गौशाला नई मण्डी में संरक्षित किया जाता है, जिनका पशुधन चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिदिन स्वास्थ्य परीक्षण कर इलाज किया जाता है। भीषण गर्मी में यदि इस प्रकार का कोई पशु घूमता हुआ पाया जाता है तो, उसे नियंत्रित कर अस्थायी गौशाला में संरक्षित किये जाने की व्यवस्था है।

### **8- कार्यालय नगर पालिका – डिबाई, बुलन्दशहर**

**1- भीषण गर्मी/लू से बचाव हेतु, नगर में पानी का छिड़काव कराया जाना**—पालिका के पास 03 नग टैंकर छिड़काव हेतु उपलब्ध हैं, जिनसे नगर के नागरिकों को भीषण गर्मी/लू से बचाव हेतु, आवश्यकतानुसार भिन्न-2 स्थानों पर पानी का छिड़काव कराया जायेगा तथा नगर में मुख्य मार्गों /चौराहों पर ठण्डे पानी हेतु वाटर कुलर भी लगावाये गये हैं।

**2-पेय जल हेतु टैंकर की व्यवस्था**— पालिका के पास 06 नग टैंकर पीने के पानी हेतु उपलब्ध हैं, जिन से नगर में नागरिकों को भीषण गर्मी/लू से बचाव हेतु, आवश्यकतानुसार भिन्न-2 स्थानों पर पेय जलापूर्ति की जाती है।

**3-पेयजल की व्यवस्था**— पालिका द्वारा नगर में, भिन्न-2 स्थानों पर, 17 शीतल जल वाटर कूलर स्थापित कराये गये हैं, जो चालू स्थिति में हैं जिनसे भीषण गर्मी/लू से बचाव हेतु, नागरिकों को राहत मिलती है।

**4-हैण्डपम्पों की व्यवस्था**— पालिका द्वारा नगर में 365 हैण्ड पम्प चालू स्थिति में उपलब्ध हैं, जिनसे भीषण गर्मी/लू से बचाव हेतु, नागरिकों को राहत मिलती है।

**5-पेयजल का क्लोरिनेशन**—पालिका के पास 8 नलकूप हैं तथा 02 शिरोपरि जलाशय क्षमता 2250 किलो लीटर हैं। पालिका द्वारा पेयजल का प्रतिदिन क्लोरिनेशन कराया जाता है।

**6-पेयजल पाइपलाइन में लिंकेज मरम्मत**—पालिका द्वारा नगर में पेय जल पाइपलाइन में लिंकेज हो जाने पर, मरम्मत हेतु, टीम गठित की गयी है, जिसमें श्री सुपरविजन श्री जयवीर सिंह, फिटर मो0 नं0 9761465896 हैं। उनके द्वारा किसी भी लिंकेज होने पर तत्काल उसकी मरम्मत करायी जाती है।

### सफाई व्यवस्था

**1-सफाई झाड़ू/नाली-**पालिका द्वारा सफाई कर्मचारियों से 02 पारियों में सफाई कार्य कराया जाता है। प्रथम पारी में कर्मचारियों द्वारा अपनेनिश्चित स्थान पर सफाई झाड़ू/नाली का कार्य किया जाता है, तथा द्वितीय पारी में आवश्यकतानुसार भिन्न-2 स्थानों पर सफाई कार्य कराया जाता है।

**2-वाहनो द्वारा नगर का कूड़ा उठाना-** पालिका द्वारा डोर-टू-डोरकलैक्शन के अन्तर्गत घरो का कूड़ा-कचरा प्रतिदिन ट्रैक्टर-ट्रॉली, मैजिकटाटा, ई-रिक्शा, हाथ ठेली इत्यादि से एकत्रित कर, निस्तारण करा दिया जाता है।

**3-कीटनाशक दबाईयों का छिड़काव-**पालिका द्वारा सायंकालीन पारी में नगर की नालियों एवं गंदे स्थानों पर कीटनाशक दबाईयों का छिड़काव स्प्रे मशीन द्वारा कराया जायेगा।

**4-फॉगिंग-**पालिका के पास फॉगिंग मशीन उपलब्ध है, जिससे जनता को मच्छरो के प्रकोप से बचाये जाने हेतु, सायं के समय प्रतिदिन फॉगिंग करायी जायेगी।

**5-कली-चूना का छिड़काव-**पालिका द्वारा नगर में गंदे स्थानों की सफाई करा कर कली-चूने का छिड़काव कराया जाता है।

**6- नगर में लू प्रकोप (Heat Wave) बचाव एवं राहत हेतु 'क्या करे, क्या न करें' का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है।**

### आवारा पशुओं हेतु व्यवस्था

1. पालिका द्वारा सड़को पर घूमनेवाले आवारा पशुओं को नियंत्रित कर, पालिका द्वारा संचालित अस्थायी गौशाला नई मण्डी में संरक्षित किया जाता है, जिनका पशुधन चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिदिन स्वास्थ्य परीक्षण कर इलाज किया जाता है। भीषण गर्मी में यदि इस प्रकार का कोई पशु घूमता हुआ पाया जाता है तो, उसे नियंत्रित कर अस्थायी गौशाला में संरक्षित किये जाने की व्यवस्था है।

**गर्मी की स्थिति से निपटने हेतु हीटवेव प्लान कार्ययोजना एक्शन प्लान- 2025 निम्नवत: है:-**

- |    |                            |       |
|----|----------------------------|-------|
| 1. | इण्डियन मार्क II हैण्डपम्प | - 365 |
| 2. | नलकूप                      | - 09  |
| 3. | ओवर हैड टैंक               | - 02  |
| 4. | वाटर कूलर                  | - 17  |
| 5. | वाटर टैंकर                 | - 06  |

**हीटवेव (लू) प्रबंधन -2024 हेतु नामित नोडल अधिकारी का विवरण:**

| क्र० सं० | नमित नोडल अधिकारी का नाम | पदनाम       | विभाग का नाम           | मोबाईल नम्बर | ई-मेल              |
|----------|--------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 01       | श्री शमशाद गोविन्द कुमार | अवर अभियंता | नगर पालिका परिषद डिबाई | 7054376869   | nppdibai@gmail.com |

## 9- कार्यालय नगरपालिका परिषद – स्याना, बुलन्दशहर

गर्मी की स्थिति से निपटने हेतु हीटवेव प्लम्ब कार्ययोजना एक्शन प्लान- 2025 निम्नवतः है:-

1. इण्डियन मार्क II हैण्डपम्प – 182
2. नलकूप – 06
3. ओवर हैड टैंक – 01
4. वाटर कूलर – 31
5. वाटर टैंकर – 04

हीटवेव (लू) प्रबंधन –2025 हेतु नामित नोडल अधिकारी का विवरणः

| क्र० सं० | नामित नोडल अधिकारी का नाम | पदनाम             | विभाग का नाम            | मोबाईल नम्बर | ई-मेल                 |
|----------|---------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|
| 01       | श्री सनी कुमार            | अवर अभियन्ता (जल) | नगर पालिका परिषद स्याना | 8923880106,  | nppsiyana55@gmail.com |
| 02       | श्री मयंक कुमार           | लिपिक             | नगर पालिका परिषद स्याना | 9411231191   | nppsiyana55@gmail.com |

## जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत नगर पंचायतों की कार्ययोजना-2025

### 1- नगर पंचायत – औरंगाबाद

गर्मी की स्थिति से निपटने हेतु हीटवेव प्रबन्ध कार्ययोजना एक्शन प्लान निम्नवत् है:-

1. इण्डिया मार्क II हैण्डपम्प – 82
2. ट्यूबवेल – 03
3. ओवर हैड टैंक – 01
4. वाटर कूलर – 18
5. वाटर टैंकर – 08

हीटवेव (लू) प्रबंधन कार्ययोजना-2025 हेतु नामित नोडल अधिकारी का विवरण

| क्र०स० | नामित नोडल अधिकारी का नाम | पदनाम                | विभाग का नाम        | मो०नं०     | ई-मेल                                                              |
|--------|---------------------------|----------------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1      | श्री सुशील कुमार          | अवर अभियन्ता (सिविल) | नगर पंचायत औरंगाबाद | 9719559811 | aurangabadnp@gmail.com                                             |
| 2      | श्री रूपवेश वर्मा         | अवर अभियन्ता (जलकल)  | नगर पंचायत औरंगाबाद | 7017723855 | <a href="mailto:aurangabadnp@gmail.com">aurangabadnp@gmail.com</a> |
| 3      | श्री नेमपाल सिंह          | टैक्स कलेक्टर        | नगर पंचायत औरंगाबाद | 8189077923 | <a href="mailto:aurangabadnp@gmail.com">aurangabadnp@gmail.com</a> |

### 2- नगर पंचायत – बुगरासी

गर्मी की स्थिति से निपटने हेतु हीटवेव प्रबन्ध कार्ययोजना एक्शन प्लान निम्नवत् है:-

1. इण्डिया मार्क II हैण्डपम्प – 127
2. ट्यूबवेल – 03
3. ओवर हैड टैंक – 03
4. वाटर कूलर – 12
5. वाटर टैंकर – 04
6. समर सेबिल – 04

हीटवेव (लू) प्रबंधन कार्ययोजना-2025 हेतु नामित नोडल अधिकारी का विवरण

| क्र०स० | नामित नोडल अधिकारी का नाम | पदनाम                  | विभाग का नाम       | मो०नं०     | ई-मेल                                                                                  |
|--------|---------------------------|------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | श्री प्रेम सिंह           | अवर अभियन्ता           | नगर पंचायत बुगरासी | 8650043789 | <a href="mailto:nagarpanchayatbugrashi@gmail.com">nagarpanchayatbugrashi@gmail.com</a> |
| 2      | श्री हुकुम सिंह           | कार्यवाहक जलकल प्रभारी | नगर पंचायत बुगरासी | 8445388372 | <a href="mailto:nagarpanchayatbugrashi@gmail.com">nagarpanchayatbugrashi@gmail.com</a> |
| 3      | श्री कमल किशोर            | सहायक जलकल प्रभारी     | नगर पंचायत बुगरासी | 7251004856 | <a href="mailto:nagarpanchayatbugrashi@gmail.com">nagarpanchayatbugrashi@gmail.com</a> |

### 3 - नगर पंचायत - ककोड

गर्मी की स्थिति से निपटने हेतु हीटवेव प्रबन्ध कार्ययोजना एक्शन प्लान निम्नवत् है:-

1. इण्डिया मार्क II हैण्डपम्प — 117
2. टयूबवेल — 01
3. ओवर हैड टैंक — 01
4. वाटर कूलर — 05
5. वाटर टैंकर — 02

हीट-वेव (लू) प्रबंधन कार्य योजना-2025 हेतु नामित नोडल अधिकारी का विवरण:-

| क्र०स० | नामित नोडल अधिकारी का नाम | पदनाम        | विभाग का नाम    | मो०नं०     | ई-मेल                                                                  |
|--------|---------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1      | श्री मनोज पाल             | अवर अभियन्ता | नगर पंचायत ककोड | 94100026   | <a href="mailto:npkakore203203@gmail.com">npkakore203203@gmail.com</a> |
| 2      | श्री वि कुमार             | लिपिक        | नगर पंचायत ककोड | 8218797407 | <a href="mailto:npkakore203203@gmail.com">npkakore203203@gmail.com</a> |

#### 4 - नगर पंचायत – खानपुर

1. इण्डिया मार्क II हैण्डपम्प – 98
2. ट्यूबवेल – 04
3. ओवर हैड टैंक – 03
4. वाटर कूलर – 20
5. वाटर टैंकर – 04

हीट-वेव (लू) प्रबंधन कार्य योजना-2025 हेतु नामित नोडल अधिकारी का विवरण:-

| क्र०स० | नामित नोडल अधिकारी का नाम | पदनाम                   | विभाग का नाम      | मो०नं०     | ई-मेल                                                                                |
|--------|---------------------------|-------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | श्री मनोज पाल             | अवर अभियन्ता            | नगर पंचायत खानपुर | 9997889072 | <a href="mailto:khanpurnagarpanchayat@gmail.com">khanpurnagarpanchayat@gmail.com</a> |
| 2      | श्री विवेक कुमार          | कार्यवाहक जल कल प्रभारी | नगर पंचायत खानपुर | 8630453843 |                                                                                      |
| 3      | श्री बिजेन्द्र सिंह       | सहायक जलकल प्रभारी      | नगर पंचायत खानपुर | 9548573707 |                                                                                      |

#### 5 - नगर पंचायत – नरौरा

##### जलकल व्यवस्था

1. भीषण गर्मी/लू से बचाव हेतु, नगर में पानी का छिड़काव कराया जाना:- पंचायत के पास 02 नग टैंकर छिड़काव हेतु उपलब्ध है, जिनसे नगर में नागरिकों को भीषण गर्मी/लू से बचाव हेतु, आवश्यकतानुसार भिन्न-2 स्थानों पर पानी का छिड़काव कराया जायेगा।
2. पेयजल हेतू टैंकर की व्यवस्था:- पंचायत के पास 04 नग टैंकर पीने के पानी हेतु उपलब्ध है, जिनसे नगर में नागरिकों को भीषण गर्मी/लू से बचाव हेतु आवश्यकतानुसार भिन्न-2 स्थानों पर पेयजलापूर्ति हेतु प्रेषित किये जा सकते हैं।
3. पेयजल की व्यवस्था:- पंचायत द्वारा नगर में, भिन्न-2 स्थानों पर, 12 शीतल जल वाटर कूलर स्थापित कराये गये हैं, जिनसे भीषण गर्मी/लू से बचाव हेतु, नागरिकों को राहत मिलेगी।
4. हैण्ड पम्पों की व्यवस्था:- पंचायत द्वारा नगर में 132 हैण्ड पम्प चालू स्थिति में उपलब्ध हैं, जिनसे भीषण गर्मी/लू से बचाव हेतु, नागरिकों को राहत मिलेगी।

5. पेयजल का क्लोरिनेशन:- पंचायत के पास 04 नलकूप है तथा 01 शिरोपरि जलाशय है। पालिका द्वारा पेयजलापूर्ति का प्रतिदिन क्लोरिनेशन कराया जाता है।
6. पेयजल पाईप लाईन में लीकेज मरम्मत:- पंचायत द्वारा नगर में पेयजल पाईप लाईन में लीकेज होने पर, मरम्मत हेतु टीम गठित की गयी है, जिसमें श्री वीरेन्द्र कुमार (मो0न0-9627907293) तथा गैंगमेन श्री कोमल सिंह (मो0न0-9720347676) है। उनके द्वारा किसी भी लीकेज होने पर तत्काल उसकी मरम्मत की जायेगी।
- हीटवेब (लू) प्रबंधन कार्ययोजना-2023 हेतु नामित नोडल अधिकारी का विवरण:

| क्र०<br>स० | नामित नोडल<br>अधिकारी का<br>नाम | पदनाम           | विभाग का नाम     | मोबाईल नम्बर | ई-मेल                          |
|------------|---------------------------------|-----------------|------------------|--------------|--------------------------------|
| 01         | श्री हरीश<br>कुमार              | अवर<br>अभियन्ता | नगर पंचायत नरौरा | 8864912357   | nagarpanchayatnarora@gmail.com |
| 02         | श्री सईद<br>अहमद                | लिपिक           | नगर पंचायत नरौरा | 8791329759   | nagarpanchayatnarora@gmail.com |

## 6- नगर पंचायत – पहासू

- |                            |     |
|----------------------------|-----|
| 1. इण्डिया मार्क हैण्डपम्प | 111 |
| 2. ट्यूबवैल                | 02  |
| 3. टोवर हैड टैंक           | 01  |
| 4. वाटर कूलर               | 06  |
| 5. वाटर टैंकर              | 02  |

## 7- नगर पंचायत – अरनियां

- |                            |      |
|----------------------------|------|
| 1. इण्डिया मार्क हैण्डपम्प | 2056 |
| 2. राजकीय नलकूप            | 17   |
| 3. ओवरहैड टैंक             | —    |

| क्र०स० | नामित नोडल अधिकारी का नाम | पदनाम                   | विभाग का नाम       | मो०नं०     | ई-मेल              |
|--------|---------------------------|-------------------------|--------------------|------------|--------------------|
| 1      | श्री सत्येन्द्र कुमार     | अवर अभियन्ता लघु सिंचाई | विकास खण्ड अरनियाँ | 9456465345 | avaniyab@gmail-com |

## 8- नगर पंचायत – बी०बी नगर

- |                            |    |
|----------------------------|----|
| 1. इण्डिया मार्क हैण्डपम्प | 69 |
| 2. ट्यूबवैल                | 02 |
| 3. टोवर हैड टैंक           | 01 |
| 4. वाटर कूलर               | 15 |
| 5. वाटर सेबिल              | 03 |
| 6. वाटर टैंकर              | 03 |

| क्र०स० | नामित नोडल अधिकारी का नाम | पदनाम        | विभाग का नाम     | मोबाईल नम्बर | ई-मेल                                                                              |
|--------|---------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 01     | श्री किशकुमार             | लिपिक        | नगर पंचायत नरौरा | 8864912357   | nagarpanchayatnarora@gmail.com                                                     |
| 02     | श्री सईद अहमद             | अवर अभियन्ता | नगर पंचायत नरौरा | 8791329759   | <a href="mailto:nagarpanchayatnarora@gmail.com">nagarpanchayatnarora@gmail.com</a> |
| 03     |                           | चपरासी       |                  |              |                                                                                    |

**Annexure-I****लू (हीट वेव) प्रबंधन हेतु जनपद में ब्लॉक स्तर पर तैयारियाँ**

| क्र०सं० | ब्लॉक का नाम | इण्डिया मार्क<br>हैण्डपम्प | राजकीय नलकूप | ओवर हैड टैंक | अन्य               |
|---------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 1       | अरनियों      | 2257                       | 18           | 02           |                    |
| 2       | डिबाई        | 2283                       | 25           | 05           |                    |
| 3       | दानपुर       | 2435                       | 59           | 05           |                    |
| 4       | शिकारपुर     | 2448                       | 48           | 05           |                    |
| 5       | अगौता        | 1706                       | 28           | 04           |                    |
| 6       | बी०बी०नगर    | 1253                       | 27           | 05           |                    |
| 7       | खुर्जा       | 2606                       | 17           | 02           |                    |
| 8       | बुलन्दशहर    | 2365                       | 19           | 03           |                    |
| 9       | स्याना       | 1243                       | 16           | 01           |                    |
| 10      | ऊचागाँव      | 1976                       | 37           | 03           |                    |
| 11      | अनुपशहर      | 2293                       | 38           | 13           | जलायुक्त तालाब –65 |
| 12      | लखावटी       | 1327                       | 38           | 0            |                    |
| 13      | गुलावटी      | 1473                       | 02           | 02           |                    |
| 14      | जहाँगीराबाद  | 2031                       | 35           | 5            |                    |
| 15      | पहासू        | 2911                       | 42           | 15           | जलायुक्त तालाब –63 |
| 16      | सिकंदराबाद   | 3031                       | 61           | 19           |                    |
| कुल सं० |              | 33638                      | 510          | 89           | 128                |

**Annexure-II****हीटवेव (लू) प्रबंधन कार्य योजना-2025 महत्वपूर्ण अधिकारिया / नोडल अधिकारियोंका  
विवरण**

| क्र०सं० | अधिकारी का नाम             | पद नाम                                   | विभाग का नाम | मो०न०      | ई०मेल०       |
|---------|----------------------------|------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 1       | श्री चन्द्रप्रकाश सिंह     | जिलाधिकारी,<br>बुलन्दशहर।                | राजस्व       | 9454417563 | dmbul@nic.in |
| 2       | श्री विवेक कुमार मिश्र     | अपर जिलाधिकारी<br>(वि०रा०)<br>बुलन्दशहर। | राजस्व       | 9454419072 |              |
| 3       | श्री प्रशांत कुमार         | अपर जिलाधिकारी<br>(प्रशासन)              | राजस्व       | 9454416725 |              |
| 4       | श्रीमति रेणू राणा          | उपजिलाधिकारी,<br>सिकंद्राबाद।            | राजस्व       | 9454416729 |              |
| 5       | श्री कमलेश कुमार<br>गोयल   | उपजिलाधिकारी,<br>खुर्जा।                 | राजस्व       | 9454416728 |              |
| 6       | श्री देवेन्द्र पाल सिंह    | उपजिलाधिकारी<br>स्याना।                  | राजस्व       | 9454416733 |              |
| 7       | सुश्री प्रियंका कुमारी     | उपजिलाधिकारी<br>शिकारपुर                 | राजस्व       | 9454416730 |              |
| 8       | डा० दिव्या मिश्रा          | उपजिलाधिकारी<br>सदर।                     | राजस्व       | 9454416727 |              |
| 9       | श्री नवीन कुमार            | उपजिलाधिकारी,<br>अनुपशहर।                | राजस्व       | 9454416732 |              |
| 10      | श्री बालेन्दुभूषण          | तहसीलदार<br>सिकंद्राबाद।                 | राजस्व       | 9454416745 |              |
| 11      | श्री भानू प्रताप सिंह      | तहसीलदार खुर्जा।                         | राजस्व       | 9454416737 |              |
| 12      | श्री चन्द्र प्रकाश पाण्डेय | तहसीलदार स्याना।                         | राजस्व       | 9454416742 |              |
| 13      | श्रीमति ज्योत्सना          | तहसीलदार<br>शिकारपुर।                    | राजस्व       | 9454416739 |              |

|    |                      |                                              |                                                          |            |                                                                      |
|----|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 14 | श्री मनोज कुमार रावत | तहसीलदार सदर।                                | राजस्व                                                   | 9454416736 |                                                                      |
| 15 | श्री अजय कुमार रावत  | तहसीलदार<br>अनुपशहर।                         | राजस्व                                                   | 9454416741 |                                                                      |
| 16 | श्री धर्मवीर भारती   | तहसीलदार डिबाई                               | राजस्व                                                   | 9454416740 |                                                                      |
| 17 | डा० राजीव प्रसाद,    | मुख्य<br>चिकित्साधिकारी<br>बुलन्दशहर         | स्वास्थ्य विभाग<br>बुलन्दशहर।                            | 9454455186 |                                                                      |
| 18 | डा० अनिल कुमार शर्मा | मुख्य<br>पशुचिकित्साधिकारी<br>बुलन्दशहर      | पशुधन विभाग<br>बुलन्दशहर।                                | 7300808325 |                                                                      |
| 19 | श्री प्रमोद शर्मा    | मुख्य अग्निशमन<br>अधिकारी                    | अग्निशमन विभाग<br>बुलन्दशहर।                             | 9760880022 |                                                                      |
| 20 | कुसुम कुमारी,        | केन्द्र प्रभारी,                             | उ० प्र० परि० नि०<br>बु०षहर डिपो।                         | 9719524312 | armbsr50@gmail.com                                                   |
| 21 | गोकरन सिंह           | स० क्षे० प्र०                                | उ० प्र० परि० नि०<br>नि० सिकन्द्राबाद<br>डिपो।            | 8929465961 | armskdupsrtc@gmail.com                                               |
| 22 | उमेश चन्द आर्य       | स०क्षे० प्र०                                 | उ० प्र० परि० नि०<br>नि० खुर्जा डिपो।                     | 8929809525 | armkhj@gmail.com                                                     |
| 23 | राकेश कुमार          | स०क्षे० प्र०                                 | उ० प्र० परि० नि०<br>नि० नरौरा डिपो।                      | 9235062222 | armnarupsrtc@gmail.com                                               |
| 24 | श्री पंकज कुदेषिया   | सहायक उपनियंत्रक                             | नागरिक सुरक्षा,<br>नरौरा, बुलन्दशहर                      | 8630259961 | <a href="mailto:cdnarora05734@gmail.com">cdnarora05734@gmail.com</a> |
| 25 | श्री राधेश्याम       | सी०डी०पी०ओ०                                  | जिला कार्यक्रम<br>अधिकारी, बुलन्दशहर                     | 9457963023 | radheshyamicds899@gmail.com                                          |
| 26 | श्री राधेश्याम       | उपप्रभागीय<br>वनाधिकारी,<br>बुलन्दशहर/खुर्जा | प्रभागीय निदेशक,<br>सामाजिक वानिकी<br>प्रभाग, बुलन्दशहर। | 7017603304 | <a href="mailto:dfobsr@gmail.com">dfobsr@gmail.com</a>               |
| 27 | विनोद कुमार सिंह     | अधिशाली अभियन्ता                             | सिंचाई विभाग                                             | 9451547875 |                                                                      |
| 28 | श्री भूपेन्द्र सिंह  | खण्ड शिक्षा<br>अधिकारी<br>बुलन्दशहर          | बेसिक शिक्षा<br>विभाग।                                   | 7068341355 |                                                                      |

|    |                       |                            |                                    |                           |                                                                          |
|----|-----------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 29 | श्री अमित गौतम        | सहायक अभियन्ता<br>(जल)     | नगर पालिका परिषद<br>बुलन्दशहर।     | 9058199820                | nagarpalika.bsr@gmail.com                                                |
| 30 | श्री सनी कुमार        | अवर अभियन्ता               | नगर पालिका परिषद<br>स्याना।        | 8923880106                | nppsiyana55@gmail.com                                                    |
| 31 | श्री मयंक कुमार       | लिपिक                      | नगर पालिका परिषद<br>स्याना।        | 941131191                 | nppsiyana55@gmail.com                                                    |
| 32 | श्री राकेश कुमार      | सफाई एवं खाद्य<br>निरीक्षक | नगर पालिका परिषद<br>जहाँगीराबाद।   | 9720490405                | <a href="mailto:nppjahangirabad@gmail.com">nppjahangirabad@gmail.com</a> |
| 33 | श्री सईद अहमद         | जल-कल लिपिक                | नगर पालिका परिषद<br>जहाँगीराबाद।   | 8791329759                | <a href="mailto:nppjahangirabad@gmail.com">nppjahangirabad@gmail.com</a> |
| 34 | श्री नवनीत गुप्ता     | अवर अभियन्ता<br>(जल)       | नगर पालिका परिषद<br>खुर्जा।        | 8423841685                | nagarpalikakhrja@gmail.com                                               |
| 35 | सचिन कुमार            | अवर अभियन्ता               | नगर पालिका<br>परिषद, सिकन्द्राबाद। | 9410002602                | nppsikandrabad@gmail.com                                                 |
| 36 | सलीमुद्दीन            | कार्यवाहक जलकल<br>लिपिक    | नगर पालिका<br>परिषद, सिकन्द्राबाद। | 9927179369                | nppsikandrabad@gmail.com                                                 |
| 37 | श्री राजकिशोर         | प्रकाश निरीक्षक            | नगर पालिका परिषद<br>अनूपशहर।       | 9258892275                | nppasr@gmail.com                                                         |
| 38 | श्री कृष्ण कुमार गर्ग | लिपिक                      | नगर पालिका परिषद<br>गुलावठी।       | 9149026476                | <a href="mailto:nppgbsr@gmail.com">nppgbsr@gmail.com</a>                 |
| 39 | श्री धीरज कुमार शर्मा | लिपिक                      | नगर पालिका परिषद<br>शिकारपुर।      | 9557234950                | nppshikarpur@gmail.com                                                   |
| 40 | श्री सनी कुमार        | अवर अभियन्ता<br>(जल)       | नगर पालिका परिषद<br>स्याना         | 8923880106,               | nppsiyana55@gmail.com                                                    |
| 41 | श्री मयंक कुमार       | लिपिक                      | नगर पालिका परिषद<br>स्याना         | 9411231191                | nppsiyana55@gmail.com                                                    |
| 42 | श्री शमशाद अहमद       | सफाई एवं खाद्य<br>निरक्षक  | नगर पालिका परिषद<br>डिबाई          | 8923880106,<br>9761465896 | nppdibai@gmail.com                                                       |
| 43 | सुशील कुमार           | अवर अभियन्ता               | नगर पंचायत<br>औरंगाबाद।            | 9719559811                | aurangabadnp@gmail.com                                                   |
| 44 | श्री योगपाल सिंह      | लिपिक                      | नगर पंचायत<br>औरंगाबाद।            | 7252978236                | aurangabadnp@gmail.com                                                   |

|    |                        |                              |                         |            |                                                                                        |
|----|------------------------|------------------------------|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 45 | श्री लालता प्रसाद      | अवर अभियन्ता                 | नगर पंचायत<br>बुगरासी । | 8218506453 | <a href="mailto:nagarpanchayatbugrashi@gmail.com">nagarpanchayatbugrashi@gmail.com</a> |
| 46 | श्री दिलसाद आफरीदी     | कार्यवाहक जलकल<br>प्रभारी    | नगर पंचायत<br>बुगरासी । | 8218797407 | <a href="mailto:nagarpanchayatbugrashi@gmail.com">nagarpanchayatbugrashi@gmail.com</a> |
| 47 | श्री कमल किशोर         | सहायक जलकल<br>प्रभारी        | नगर पंचायत<br>बुगरासी । | 8445388372 | <a href="mailto:nagarpanchayatbugrashi@gmail.com">nagarpanchayatbugrashi@gmail.com</a> |
| 48 | श्री सचिन कुमार        | अवर अभियन्ता                 | नगर पंचायत<br>ककोड ।    | 94100026   | <a href="mailto:npkakore203203@gmail.com">npkakore203203@gmail.com</a>                 |
| 49 | श्री शिकुमार           | लिपिक                        | नगर पंचायत<br>ककोड ।    | 8218797407 | <a href="mailto:npkakore203203@gmail.com">npkakore203203@gmail.com</a>                 |
| 50 | श्री योगपाल सिंह       | लिपिक                        | नगर पंचायत<br>खानपुर ।  | 945613769  | <a href="mailto:yogpalsinghkhannapur@yahoo.in">yogpalsinghkhannapur@yahoo.in</a>       |
| 51 | श्री दिनेश कुमार       | टी0सी0                       | नगर पंचायत<br>खानपुर ।  | 9870830013 | <a href="mailto:yogpalsinghkhannapur@yahoo.in">yogpalsinghkhannapur@yahoo.in</a>       |
| 52 | श्री हरीश कुमार        | अवर अभियन्ता                 | नगर पंचायत<br>नरौरा ।   | 8864912357 | <a href="mailto:nagarpanchayatnarora@gmail.com">nagarpanchayatnarora@gmail.com</a>     |
| 53 | श्री सईद अहमद          | लिपिक                        | नगर पंचायत नरौरा ।      | 8791329759 | <a href="mailto:nagarpanchayatnarora@gmail.com">nagarpanchayatnarora@gmail.com</a>     |
| 54 | श्री सत्येन्द्र कुमार  | अवर अभियन्ता<br>लघु सिंचाई   | विकास खण्ड<br>अरनियों   | 9456465345 | <a href="mailto:avaniyab@gmail.com">avaniyab@gmail.com</a>                             |
| 55 | श्री राम नरेश          | अवर अभियन्ता<br>लघु सिंचाई   | डिबाई ब्लॉक ।           | 9758265827 | <a href="mailto:Naresh97kumar59265827@gmail.com">Naresh97kumar59265827@gmail.com</a>   |
| 56 | श्री अब्दुल हन्नान खान | अवर अभियन्ता<br>लघु सिंचाई   | दानपुर ब्लॉक ।          | 9760444418 | <a href="mailto:narpsingh2023@gmail.com">narpsingh2023@gmail.com</a>                   |
| 57 | श्री शनि शर्मा         | अवर अभियन्ता<br>लघु सिंचाई   | शिकारपुर ब्लॉक ।        | 9990076333 | <a href="mailto:Rohi1977@gmail.com">Rohi1977@gmail.com</a>                             |
| 58 | श्री विशम्बर कुमार     | अवर अभियन्ता<br>लघु सिंचाई । | अगौता ब्लॉक ।           | 8859437500 | <a href="mailto:j.ebishamver@gmail.com">j.ebishamver@gmail.com</a>                     |
| 59 | श्री जुगेन्द्र सिंह    | अवर अभियन्ता<br>लघु सिंचाई । | बी0बी0नगर ब्लॉक ।       | 8859285458 | <a href="mailto:jugendramahor92@gmail.com">jugendramahor92@gmail.com</a>               |

|    |                           |                              |                       |            |                                                                                   |
|----|---------------------------|------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 60 | श्री विनय कुमार<br>अवस्थी | अवर अभियन्ता<br>लघु सिंचाई । | खुर्जा ब्लॉक ।        | 7895922635 | <a href="mailto:kumarvinay94026@gmail.com">kumarvinay94026@gmail.com</a>          |
| 61 | श्री विशम्बर सिंह         | अवर अभियन्ता<br>लघु सिंचाई । | बुलन्दशहर ब्लॉक ।     | 8859437500 | j.ebishamver@gmail.com                                                            |
| 62 | श्री अश्वनी त्यागी        | अवर अभियन्ता<br>लघु सिंचाई । | लखावटी ब्लॉक ।        | 9458077389 | <a href="mailto:ashwanityagi419@gmail.com">ashwanityagi419@gmail.com</a>          |
| 63 | श्री अरविन्द कुमार        | अवर अभियन्ता<br>लघु सिंचाई । | विकास खण्ड<br>ऊचागाँव | 9720003814 | 72159@gmail.com                                                                   |
| 64 | श्री विशम्बर कुमार        | अवर अभियन्ता<br>लघु सिंचाई । | गुलावटी ब्लॉक ।       | 8859437500 | j.ebishamvwer@gmail.com                                                           |
| 65 | श्री रोहताश               | अवर अभियन्ता<br>लघु सिंचाई । | अनुपशहर ब्लॉक ।       | 9411465414 | <a href="mailto:anupshahrbk@gmail.com">anupshahrbk@gmail.com</a>                  |
| 66 | श्री संजीव कुमार          | बी0टी0                       | स्याना ब्लॉक ।        | 9027583627 | <a href="mailto:Syanablk@gmail.com">Syanablk@gmail.com</a><br>sk7162492@gmail.com |
| 67 | श्री लाखन सिंह            | बी0टी0                       | जहाँगीराबाद ब्लॉक ।   | 9759966330 | -                                                                                 |
| 68 | श्री बंटी सिंह            | अवर अभियन्ता<br>लघु सिंचाई । | पहासू ब्लॉक ।         | 9027595244 | <a href="mailto:banti7081@gmail.com">banti7081@gmail.com</a>                      |
| 69 | श्री श्यामलाल             | अवर अभियन्ता<br>लघु सिंचाई । | सिकंद्राबाद ब्लॉक ।   | 8052303044 | -                                                                                 |

-1-

Temperature Record

Daily Temp. of District Bulandshahr

| S.NO | Date       | Max Temp. °C |
|------|------------|--------------|
| 1    | 01-03-2023 | 28.7         |
| 2    | 02-03-2023 | 29.7         |
| 3    | 03-03-2023 | 29.9         |
| 4    | 04-03-2023 | 27.4         |
| 5    | 05-03-2023 | 29.2         |
| 6    | 06-03-2023 | 28.7         |
| 7    | 07-03-2023 | 29.0         |
| 8    | 08-03-2023 | 29.2         |
| 9    | 09-03-2023 | 28.8         |
| 10   | 10-03-2023 | 28.8         |
| 11   | 11-03-2023 | 30.0         |
| 12   | 12-03-2023 | 31.7         |
| 13   | 13-03-2023 | 30.9         |
| 14   | 14-03-2023 | 31.5         |
| 15   | 15-03-2023 | 32.5         |
| 16   | 16-03-2023 | 30.4         |
| 17   | 17-03-2023 | 28.1         |
| 18   | 18-03-2023 | 25.6         |
| 19   | 19-03-2023 | 26.5         |
| 20   | 20-03-2023 | 24.1         |
| 21   | 21-03-2023 | 24.0         |
| 22   | 22-03-2023 | 26.7         |
| 23   | 23-03-2023 | 29.0         |
| 24   | 24-03-2023 | 25.6         |
| 25   | 25-03-2023 | 28.4         |
| 26   | 26-03-2023 | 29.7         |
| 27   | 27-03-2023 | 28.4         |
| 28   | 28-03-2023 | 30.5         |

Source: KVK Bulandshahr

March-2022 - August-2022  
T. max, T. min data

| March-2022 |             |       | Apr-22    |             |       |
|------------|-------------|-------|-----------|-------------|-------|
| DATE       | Temperature |       | DATE      | Temperature |       |
|            | T.Max       | T.Min |           | T.Max       | T.Min |
| 1/3/2022   | 25.2        | 9.8   | 1/4/2022  | 36.7        | 20.9  |
| 2/3/2022   | 26.3        | 10.9  | 2/4/2022  | 39.7        | 16    |
| 3/3/2022   | 28.3        | 12.6  | 3/4/2022  | 39.7        | 22.6  |
| 4/3/2022   | 25.7        | 13.7  | 4/4/2022  | 38.9        | 16.1  |
| 5/3/2022   | 26.7        | 12.9  | 5/4/2022  | 38.9        | 17.5  |
| 6/3/2022   | 28.6        | 13.1  | 6/4/2022  | 39.8        | 18.4  |
| 7/3/2022   | 28.2        | 12.6  | 7/4/2022  | 40.2        | 18    |
| 8/3/2022   | 29.7        | 13.8  | 8/4/2022  | 41.3        | 20.4  |
| 9/3/2022   | 30.2        | 14.7  | 9/4/2022  | 42.2        | 20.2  |
| 10/3/2022  | 29.1        | 17.7  | 10/4/2022 | 41.1        | 22.6  |
| 11/3/2022  | 28.6        | 15    | 11/4/2022 | 41.5        | 22.3  |
| 12/3/2022  | 29.7        | 15.2  | 12/4/2022 | 39.4        | 21    |
| 13/3/2022  | 31.4        | 16    | 13/4/2022 | 40.3        | 20    |
| 14/3/2022  | 32.2        | 15.9  | 14/4/2022 | 39.3        | 21    |
| 15/3/2022  | 33.1        | 18    | 15/4/2022 | 39.4        | 21.4  |
| 16/3/2022  | 34          | 20    | 16/4/2022 | 40.3        | 20.7  |
| 17/3/2022  | 32.9        | 18.6  | 17/4/2022 | 41.4        | 20.2  |
| 18/3/2022  | 34.2        | 21.5  | 18/4/2022 | 41.9        | 20.8  |
| 19/3/2022  | 35.9        | 18.2  | 19/4/2022 | 42.2        | 23.4  |
| 20/3/2022  | 36.6        | 20.5  | 20/4/2022 | 41.2        | 26.2  |
| 21/3/2022  | 35.6        | 19.9  | 21/4/2022 | 36.3        | 23.9  |
| 22/3/2022  | 34.6        | 19.7  | 22/4/2022 | 38.2        | 22    |
| 23/3/2022  | 34.7        | 17.6  | 23/4/2022 | 39.5        | 19.9  |
| 24/3/2022  | 34.6        | 17.6  | 24/4/2022 | 39          | 24.2  |
| 25/3/2022  | 34.7        | 18.9  | 25/4/2022 | 39.8        | 23.6  |
| 26/3/2022  | 34.1        | 18.6  | 26/4/2022 | 40.3        | 24.9  |
| 27/3/2022  | 36          | 18.6  | 27/4/2022 | 40.9        | 23.7  |
| 28/3/2022  | 38.1        | 16.5  | 28/4/2022 | 42.7        | 23    |
| 29/3/2022  | 38.8        | 17    | 29/4/2022 | 43.5        | 24.1  |
| 30/3/2022  | 40.8        | 19.2  | 30/4/2022 | 43.6        | 26.6  |
| 31/3/2022  | 39.5        | 18.2  |           |             |       |
| May-22     |             |       | Jun-22    |             |       |
| DATE       | Temperature |       | DATE      | Temperature |       |
|            | T.Max       | T.Min |           | T.Max       | T.Min |

| 11/5/2022 | 38.5        | 26.5  | 11/6/2022 | 43.1        | 26.1  |
|-----------|-------------|-------|-----------|-------------|-------|
| 12/5/2022 | 40          | 28.2  | 12/6/2022 | 42.8        | 26.5  |
| 13/5/2022 | 40.8        | 27.7  | 13/6/2022 | 42.5        | 29.7  |
| 14/5/2022 | 43.6        | 29.4  | 14/6/2022 | 40.4        | 30.2  |
| 15/5/2022 | 44.5        | 25.4  | 15/6/2022 | 41.3        | 29.2  |
| 16/5/2022 | 41.2        | 28.3  | 16/6/2022 | 38.9        | 28.8  |
| 17/5/2022 | 38.8        | 24.9  | 17/6/2022 | 34.6        | 23.9  |
| 18/5/2022 | 39.5        | 27.8  | 18/6/2022 | 31.6        | 22.9  |
| 19/5/2022 | 41.7        | 24.8  | 19/6/2022 | 29.5        | 24.5  |
| 20/5/2022 | 42.2        | 28.4  | 20/6/2022 | 32.2        | 24.4  |
| 21/5/2022 | 41.2        | 31    | 21/6/2022 | 34.4        | 23.8  |
| 22/5/2022 | 38.5        | 24.1  | 22/6/2022 | 35.6        | 26.5  |
| 23/5/2022 | 27.4        | 18.3  | 23/6/2022 | 37.2        | 25.4  |
| 24/5/2022 | 31          | 19.9  | 24/6/2022 | 39          | 21.4  |
| 25/5/2022 | 34          | 23.3  | 25/6/2022 | 39.6        | 23.4  |
| 26/5/2022 | 35          | 23.6  | 26/6/2022 | 38.2        | 28.4  |
| 27/5/2022 | 38          | 24.2  | 27/6/2022 | 38.6        | 29.3  |
| 28/5/2022 | 38.8        | 25.5  | 28/6/2022 | 39          | 30.3  |
| 29/5/2022 | 37.7        | 25.6  | 29/6/2022 | 34.8        | 28.1  |
| 30/5/2022 | 38          | 26.6  | 30/6/2022 | 28.3        | 24.7  |
| 31/5/2022 | 37.8        | 24.7  |           |             |       |
| Jul-22    |             |       | Aug-22    |             |       |
| DATE      | Temperature |       | DATE      | Temperature |       |
|           | T.Max       | T.Min |           | T.Max       | T.Min |
| 1/7/2022  | o           | 25.8  | 1/8/2022  | 34.3        | 25.6  |
| 2/7/2022  | 34.1        | 26.5  | 2/8/2022  | 35.5        | 27.1  |
| 3/7/2022  | 35.3        | 26.6  | 3/8/2022  | 34.2        | 27.2  |
| 4/7/2022  | 36.2        | 27.6  | 4/8/2022  | 33.4        | 26.7  |
| 5/7/2022  | 37.5        | 29.36 | 5/8/2022  | 33          | 27.2  |
| 6/7/2022  | 37.4        | 28.9  | 6/8/2022  | 34.1        | 27.5  |
| 7/7/2022  | 37.5        | 29.8  | 7/8/2022  | 29.6        | 25.1  |
| 8/7/2022  | 38.6        | 29.1  | 8/8/2022  | 35.5        | 25.2  |
| 9/7/2022  | 30.7        | 29.5  | 9/8/2022  | 36.9        | 27.5  |
| 10/7/2022 | 35.9        | 27    | 10/8/2022 | 35.9        | 27.5  |
| 11/7/2022 | 38.5        | 27    | 11/8/2022 | 31.4        | 27    |
| 12/7/2022 | 35.5        | 27.6  | 12/8/2022 | 34.8        | 25.6  |
| 13/7/2022 | 36.6        | 25.7  | 13/8/2022 | 34.6        | 26.5  |
| 14/7/2022 | 36.9        | 28    | 14/8/2022 | 31.6        | 28    |

Apr-23

| DATE      | Temperature |       |
|-----------|-------------|-------|
|           | T.Max       | T.Min |
| 1/4/2023  | 28.4        | 14.9  |
| 2/4/2023  | 29.4        | 14.6  |
| 3/4/2023  | 33.1        | 16.6  |
| 4/4/2023  | 31.1        | 18.1  |
| 5/4/2023  | 31.8        | 16.1  |
| 6/4/2023  | 32.4        | 17.4  |
| 7/4/2023  | 33.2        | 16    |
| 8/4/2023  | 33.8        | 14.5  |
| 9/4/2023  | 34.8        | 15.3  |
| 10/4/2023 | 35.3        | 15    |
| 11/4/2023 | 36.3        | 18    |

|           |      |      |           |      |
|-----------|------|------|-----------|------|
| 24/7/2022 | 34.9 | 26.3 | 24/8/2022 | 31.9 |
| 25/7/2022 | 33.8 | 26.6 | 25/8/2022 | 37.7 |
| 26/7/2022 | 33.1 | 26.7 | 26/8/2022 | 35.8 |
| 27/7/2022 | 32.2 | 27.4 | 27/8/2022 | 35.3 |
| 28/7/2022 | 34.2 | 26.1 | 28/8/2022 | 35   |
| 29/7/2022 | 31.6 | 26.2 | 29/8/2022 | 36.7 |
| 30/7/2022 | 32.1 | 25.8 | 30/8/2022 | 36   |
| 31/7/2022 | 33.6 | 25.5 | 31/8/2022 | 36.3 |

## कार्यालय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर

पत्रांक :- माल0/संचारी अभियान/2022-23

दिनांक

1. पुलिस अधीक्षक यातायात, बुलन्दशहर।
  2. समस्त अपर/उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर।
  3. मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर।
  4. जिला विद्यालय निरीक्षक, बुलन्दशहर।
  5. जिला पंचायत राज अधिकारी, बुलन्दशहर।
  6. जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी, बुलन्दशहर।
  7. जिला कार्यक्रम अधिकारी आई0सी0डी0एस0, बुलन्दशहर।
  8. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर।
  9. जिला कृषि अधिकारी, बुलन्दशहर।
  10. जिला मनोरंजन/वाणिज्य कर अधिकारी, बुलन्दशहर।
  11. जिला सूचना अधिकारी, बुलन्दशहर।
  12. जिला उद्यान अधिकारी, बुलन्दशहर।
  13. जिला कार्यक्रम अधिकारी, बुलन्दशहर।
  14. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, बुलन्दशहर।
  15. क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी, बुलन्दशहर।
  16. जिला खाद्य एवं औषधि निरीक्षक, बुलन्दशहर।
  17. जिला वन अधिकारी, बुलन्दशहर।
  18. उप सम्भागीय परिवहन प्रशासन अधिकारी, बुलन्दशहर।
  19. अध्यक्ष कृषि विज्ञान केन्द्र/प्रध्यापक, बुलन्दशहर।
  20. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बुलन्दशहर।
  21. समस्त अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामु0/प्रा0स्वा0/नगरीय प्रा0स्वा0 केन्द्र, बुलन्दशहर।
  22. जिला क्षय रोग अधिकारी, बुलन्दशहर।
  23. समस्त अधिशासी अधिकारी नगरपालिका/नगर पंचायत जनपद- बुलन्दशहर।
  24. एस0एम0ओ0 डब्लू0एच0ओ0, यूनिट- बुलन्दशहर।
  25. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला लेखा प्रबन्धक, एन0एच0एम0 यूनिट- बुलन्दशहर।
  26. डी0एम0सी0, यूनिट, बुलन्दशहर।
- विषय :-** संचारी रोग नियंत्रण/दस्तक अभियान दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से दिनांक 30 एच हीटवेव हेतु जिला स्तरीय साप्ताहिक अन्तर्विभागीय बैठक के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 17.04.2023 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आयोजित अन्तर्विभागीय समन्वय समिति की बैठक कलैक्ट्रेट सभागार में सायं 4.00 बजे आहूत की जायेगी। समस्त सूचनाओं सहित बैठक में ससमय प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

जिला महोदय, अधिकारी

बुलन्दशहर

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को अवलोकनार्थ प्रेषित:-

मुख्य चिकित्सा  
बुलन्दशहर

## हीट वेव प्रबंधन पर आयोजित कार्यक्रम का विवरण वर्ष -2023



दिनांक: 12 व 18 मार्च, 2023 को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा एन0सी0सी0, एन0एस0एस, भारत स्काउट और गाइड, सिविल डिफेंस, होम गार्ड आपदा मित्रों को हीट वेव की स्थिति से निपटने के लिये तथा आम-जन को जागरूक किये जाने हेतु प्रचार प्रसार करने के लिये प्रशिक्षित किया गया।



दिनांक: 14 अप्रैल, 2023 को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बुलन्दशहर द्वारा कॉलिज के छात्रों को हीट वेव के प्रचार-प्रसार हेतु प्रशिक्षण दिया गया।

## दिनांक: 22 मार्च 2024 को जिलाधिकारी कार्यालय में हीट-वेव की तैयारी पर बैठक

दिनांक: 22 मार्च 2024, जिलाधिकारी कार्यालय में हीट-वेव पर बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जलावयु परिवर्तन एवं हीट-वेव की स्थिति के प्रभाव एवं प्रबंधन पर **Power Point Presentation** के माध्यम से प्रस्तुतीकरण किया गया। विभागवार दायित्वों के निर्वाहन हेतु चर्चा की गयी। जगह-जगह यात्री शैड के पुनर्स्थापना, प्याऊ, नल के मरम्मत इत्यादि की चर्चा की गयी। हीट-वेव के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता के कार्यक्रम को अधिक से अधिक स्थानों पर आपदा मित्रों, आशा तथा आगनवाडी के माध्यम से आयोजित कराने हेतु भी चर्चा की गयी।

हीट-वेव के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों तथा बचावों हेतु “क्या करें, क्या न करें” को साझा किया गया।

हीट-वेव से पशुओं के बचाव हेतु “क्या करें, क्या न करें” को साझा किया गया।

हीट-वेव से कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव एवं किसानों को सूखे की स्थिति से निपटने एवं फसलों के बचाव तथा महत्वपूर्ण सुझावों को अपनाने हेतु कृषि विभाग द्वारा “क्या करें, क्या न करें” पर व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराये जाने पर बल दिया गया।

हीट-वेव के प्रभाव को कम करने के लिये तालाबों में जल की स्थिति सुनिश्चित करने तथा अधिक से अधिक से वृक्षारोपण कराये जाने पर भर चर्चा की गयी।

हीट-वेव की वार्निंग को वाट्स ग्रुप के माध्यम से सभी विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ साझा करने तथा आगे उसे तहसील, नगर पालिका परिषद, ब्लॉक, ग्राम स्तर तक सभी लोगों तक पहुँचाये जा सकें एवं हीट-वेव के प्रभाव को कम किया जा सकें।



## हीट-वेव का बैनर एवं हार्डिंग के माध्यम से जनपद बुलन्दशहर में प्रचार-प्रसार



वर्ष-2023 में हीट-वेव का जनपद बुलन्दशहर में प्रचार-प्रसार

## वर्ष 2023 में हीट-वेव का प्रभाव को कम करने के लिये किये जा रहे उत्कृष्ट कार्य

जनपद बलन्दशहर में हीट-वेव के प्रभाव को कम करने के लिये प्रतिकूल स्थलों का कार्यालय किया जा रहा है।



## वर्ष 2024 में विश्व/देश में हीट-वेव का प्रभाव सक सम्बंधित समाचार





## Uttar Pradesh State Heat Action Plan

शरीर अधिक गर्म  
लगने पर स्नान करें

अत्यधिक गर्मी के  
दिनों में दोपहर में बाहर  
निकलने से बचें

चाय, कॉफी  
अधिक मसालेदार  
पदार्थ

हल्के/सफेद रंग तथा  
ढीले कपड़े पहनें

अधिक परिश्रम के  
बीच में आराम भी करें

लू / ऊष्माघात  
से बचाव के उपाय





## Uttar Pradesh State Heat Action Plan

### लू-तापघात के लक्षण

अधिक गर्मी एवं लू के कारण होने वाली बीमारियाँ मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं—  
हीट इग्जॉस्चन एवं हीट स्ट्रोक

| हीट इग्जॉस्चन के लक्षण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | हीट स्ट्रोक लक्षण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>अत्यधिक प्यास</li><li>शरीर का तापमान बढ़ा हुआ (<math>100.4^{\circ}\text{F}</math> से <math>&lt; 104^{\circ}\text{F}</math>)</li><li>मांसपेशियों में ऐंठन</li><li>जी मिचलाना/उलटी होना</li><li>सिर का भारीपन/सिरदर्द</li><li>रक्त चाप का कम होना</li><li>चक्कर आना</li><li>भ्रांति/उलझन में होना</li><li>अल्पमूत्रता/पेशाब का कम आना</li><li>अधिक पसीना एवं चिपचिपी त्वचा</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>शरीर का तापमान बढ़ा हुआ (<math>&gt; 104^{\circ}\text{F}</math>)</li><li>पसीना आना बंद होना/पसीने की ग्रंथियाँ बंद होना</li><li>मांसपेशियों में ऐंठन, चिपचिपी त्वचा</li><li>त्वचा एवं शरीर का लाल होना</li><li>जी मिचलाना/उलटी होना, चक्कर आना</li><li>सिर का भारीपन/सिरदर्द, चक्कर आना</li><li>भ्रांति/उलझन में होना</li><li>अल्पमूत्रता/पेशाब का कम आना</li><li>मानसिक असंतुलन</li><li>साँस की समस्या, श्वसन प्रक्रिया तथा</li></ul> |
| प्राथमिक उपचार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | उपचार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>व्यक्ति को तुरंत पंखे के नीचे तथा छायादार ठण्डे स्थान पर ले जाये.</li><li>कपड़ों को ढीला करें.</li><li>शरीर को गीले कपड़े से स्पंज करे.</li><li>ओ आर एस का घोल पिलाये.</li><li>निम्बू का पानी नमक के साथ पिलाये.</li><li>मांसपेशियों पर दबाव डालें तथा हल्की मालिश करें</li></ul>                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>मरीज को तुरंत नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र/हॉस्पिटल को ले जायें.</li><li>तुरंत पंखे के नीचे तथा छायादार ठण्डे स्थान पर ले जायें.</li><li>शरीर को गीले कपड़े से स्पंज करे.</li><li>अगर मरीज कुछ पीने की अवस्था में हो तो शीतल पेय पिलायें .</li><li>ओ आर एस का घोल पिलायें</li></ul>                                                                                                                                                      |



## Uttar Pradesh State Heat Action Plan

# हारेगी गर्मी जीतेगा उत्तर

लू/उष्माघात जानलेवा हो सकता है, इससे बचाव ही उप



### REST

अधिक परिश्रम के  
मध्य विश्राम अवश्य करें

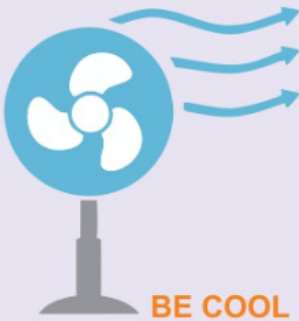


### AVOID

चाय, कॉफी  
एवं शराब न पियें

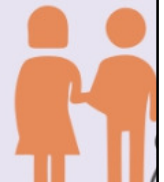
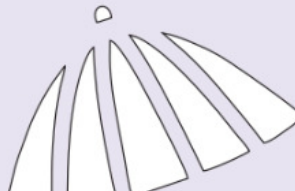
प्यास की इच्छा  
न होने पर भी  
पानी पीये

Drink  
More  
Water



### BE COOL

अधिक धूप में बाहर  
ना जाये तथा  
पंखे के नीचे बैठें



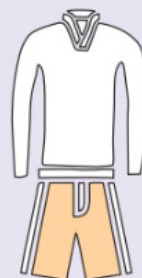


## Uttar Pradesh State Heat Action Plan

लू-तापघात जानलेवा हो सकता है, इससे बचाव ही उ



ठंडक प्रदान करने वाले  
पेय पदार्थ पियें



सफेद या हल्के  
कपड़े पहनें



अधिक गर्मी में घर से  
बाहर न निकलें



छाया में बैठकर



बुजुर्गों, बच्चों एवं गर्भवती  
महिलाओं का विशेष ध्यान रखें



घर की छत पर  
चूने/सफेद रंग का पेन्ट का उपयोग करें



विद्युत फैन की मदद से ठंडक



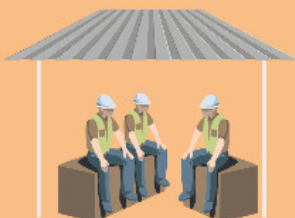


## UTTAR PRADESH STATE HEAT ACTION PLAN

### श्रमिकों को तापघात से बचायें ।



#### श्रमिकों को सुरक्षित वातावरण प्रदान कराना हमारी जिम्मेदारी है



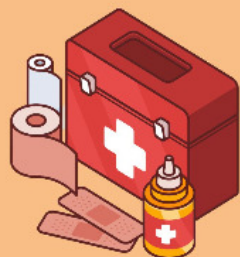
कार्य के बीच-बीच में विश्राम दें ।



रेड अलर्ट के समय कार्य का समय बदलें ।



कार्य स्थल पर पानी की व्यवस्था करें ।



कार्यस्थल पर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करें ।



अधिक गर्म होने वाले उपकरणों को ठण्डा करने की व्यवस्था करें ।



श्रमिकों के बर्तन ठण्डे एवं आराम के कमरे की व्यवस्था करें ।

**भारत सरकार द्वारा निर्गत विभिन्न प्रारूप (Various Format Released by Govt of India)**

**DEATHS DUE TO HEAT RELATED ILLNESS State .....**

**(To be cumulated at the State Level and sent to Central Government)**

**DATE:** \_\_\_\_\_

| S. No.       | Name of the district<br>(Name of all districts) | New cases admitted due to Heat Related Illness since the last reporting period | Cumulative no of cases admitted due to Heat Related Illness since 1st April ..... | Deaths due to Heat Related Illness since the last reporting period | Cumulative no of deaths due to Heat Related Illness since 1st April .... | Remarks (If any shortage of ORS IV fluids/ Treatment facilities etc...) |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1            |                                                 |                                                                                |                                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                                                         |
| 2            |                                                 |                                                                                |                                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                                                         |
| 3            |                                                 |                                                                                |                                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                                                         |
| 4            |                                                 |                                                                                |                                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                                                         |
| 5            |                                                 |                                                                                |                                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                                                         |
| 6            |                                                 |                                                                                |                                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                                                         |
| 7            |                                                 |                                                                                |                                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                                                         |
| 8            |                                                 |                                                                                |                                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                                                         |
| 9            |                                                 |                                                                                |                                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                                                         |
| 10           |                                                 |                                                                                |                                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                                                         |
| <b>TOTAL</b> |                                                 |                                                                                |                                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                                                         |

[illegible]

NATIONAL DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY

Format B: Details of the death reported due to Heat-Wave (record kept with State government)

| S. No. | Name and Address | Age | Sex (M/F) | Occupation | Place of death | Date and time of death | Max Temp recorded (Rectal or Oral) | Deaths reported during heat wave period or Not | List of chronic diseases prevalent in the family (members) | Date and time of post mortem (if conducted) | Date and time of joint enquiry conducted with a revenue authority | Cause of death | Remarks                 |               |
|--------|------------------|-----|-----------|------------|----------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------|
|        |                  |     |           |            |                |                        |                                    |                                                |                                                            |                                             |                                                                   |                | Relieved from heat wave | Joint enquiry |
| 1      |                  |     |           |            |                |                        |                                    |                                                |                                                            |                                             |                                                                   |                |                         |               |
| 2      |                  |     |           |            |                |                        |                                    |                                                |                                                            |                                             |                                                                   |                |                         |               |
| 3      |                  |     |           |            |                |                        |                                    |                                                |                                                            |                                             |                                                                   |                |                         |               |
| 4      |                  |     |           |            |                |                        |                                    |                                                |                                                            |                                             |                                                                   |                |                         |               |

Name and designation of the reporting officer:

Signature with Date

34

PREVENTION AND MANAGEMENT OF HEAT WAVE

**Format A: Death reported due to Heat Wave (States report to NDMA)**

Date of Reporting:

Reporting Periods:

Year:

Name of the State:

| District    | Age Group   |  | Urban |   | Rural |   | Total |   | Occupation |           |         | Economic |     |     |       |
|-------------|-------------|--|-------|---|-------|---|-------|---|------------|-----------|---------|----------|-----|-----|-------|
|             |             |  | M     | F | M     | F | M     | F | Farmers    | Labourers | Hawkers | Total    | BPL | AFL | Total |
| District 1  | Age Group   |  |       |   |       |   |       |   |            |           |         |          |     |     |       |
|             | 0-4 years   |  |       |   |       |   |       |   |            |           |         |          |     |     |       |
|             | 7-18 years  |  |       |   |       |   |       |   |            |           |         |          |     |     |       |
|             | 19-35 years |  |       |   |       |   |       |   |            |           |         |          |     |     |       |
|             | 36-60 years |  |       |   |       |   |       |   |            |           |         |          |     |     |       |
| District 2  | 61 > above  |  |       |   |       |   |       |   |            |           |         |          |     |     |       |
|             | Sub Total   |  |       |   |       |   |       |   |            |           |         |          |     |     |       |
|             | 0-4 years   |  |       |   |       |   |       |   |            |           |         |          |     |     |       |
|             | 7-18 years  |  |       |   |       |   |       |   |            |           |         |          |     |     |       |
|             | 19-35 years |  |       |   |       |   |       |   |            |           |         |          |     |     |       |
| District 3  | 36-60 years |  |       |   |       |   |       |   |            |           |         |          |     |     |       |
|             | 61 > above  |  |       |   |       |   |       |   |            |           |         |          |     |     |       |
|             | Sub Total   |  |       |   |       |   |       |   |            |           |         |          |     |     |       |
|             | 0-4 years   |  |       |   |       |   |       |   |            |           |         |          |     |     |       |
|             | 7-18 years  |  |       |   |       |   |       |   |            |           |         |          |     |     |       |
| District 4  | 19-35 years |  |       |   |       |   |       |   |            |           |         |          |     |     |       |
|             | 36-60 years |  |       |   |       |   |       |   |            |           |         |          |     |     |       |
|             | 61 > above  |  |       |   |       |   |       |   |            |           |         |          |     |     |       |
|             | Sub Total   |  |       |   |       |   |       |   |            |           |         |          |     |     |       |
|             | 0-4 years   |  |       |   |       |   |       |   |            |           |         |          |     |     |       |
| Total State |             |  |       |   |       |   |       |   |            |           |         |          |     |     |       |

\*If any other information related to heat wave, please enclose a separate page.

Name and designation of the reporting officer:

Signature with Date

33

नई दिल्ली, बुधवार, 10 अप्रैल, 2024

**जागरण सिटी**

**बुलंदशहर**

दैनिक जागरण

लड़कियों को बता रही ऊंची उड़ान की 'युक्ति'

## जिला अस्पताल में हीट वेव के मरीजों को बेड होंगे

हीट वेव को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, एडवाइजरी जारी, विभाग ने की तैयारी

उल्टी व दस्त, बुखार, मरीज

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर : गर्मी के तेवर देखकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। शासन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है। गर्मी से लोगों को बचाने के लिए विभाग में तैयारी भी की जा रही है। शासन ने बीमारियों से बचाव और अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।

सीएमओ डा. विनय कुमार सिंह ने बताया कि अप्रैल माह में ही मई जैसा तापमान चल रहा है। आसमान से आग बरस रही है। दोपहर के समय तापमान बढ़ने से तेज गर्मी महसूस हो रही है। गर्मी के चलते हीट वेव की आशंका को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट गया है। हीट वेव से बचाव को लेकर शासन के निर्देश आ गए हैं। इस बार पिछले सालों के मुकाबले गर्मी अधिक पड़ेगी। इसलिए हीट वेव की अधिक आशंका है। ऐसे में हीट वेव का असर लोगों की सेहत पर ज्यादा पड़ेगा। खासतौर से बुजुर्ग और बच्चों पर या फिर उन्हें जिनको किसी तरह की शारीरिक दिक्कत है

जिला अस्पताल में चिकित्सक को दिखाने के लिए ओपीडी में लगी कतार

क्या करें

- जितनी बार हो सके पानी पिएं।
- धूप से बचने के लिए गमछ टोपी
- लस्सी, नमक चीनी का घोल, नींबू पानी, छाछ का सेवन करें।
- क्या न करें

दिनांक: 10 अप्रैल 2024 दैनिक जागरण

**हिन्दुस्तान**

www.livehindustan.com

**अपना**

## इस बार सभी रिकार्ड तोड़ सकती है गर्मी, जिला अस्पताल में हीट वेव को लेकर बेड होंगे

## हीटवेव को लेकर प्रशासन अलर्ट

**मौसम का मिजाज**

बुलंदशहर, संवाददाता। अप्रैल महीने में ही गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। दोपहर के समय आसमान से आग बरसने लगी है। सोमवार को तापमान भी 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। तापमान बढ़ने से तेज गर्मी का अहसास हुआ। घरों से निकलना मुश्किल हो गया।

अभी पूरा अप्रैल, मई और जून माह बाकी है। ऐसे में बढ़ती गर्मी के चलते हीट वेव की आशंका को लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। शासन के निर्देश पर सोमवार को हीट वेव से बचाव को लेकर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। डीएम और

बुलंदशहर में धूप से बचने के लिए मुंह ढककर गुजरते राहगीर।

**क्या न करें**

- बच्चों एवं पालतू जानवरों को बिना निगरानी के पार्क की गई कार में अकेला न छोड़ें, वाहन जल्दी गर्म होकर खतरनाक तापमान पैदा कर सकते हैं जो बच्चों के लिये घातक हो
- उच्च प्रोटीन वाले भोजन से बचें और दही भोजन न करें।
- शराब, चाय, कॉफी और कार्बोनेटेड शीतल पेय पदार्थों का सेवन करने से बचें क्योंकि ये शरीर को निर्जलित करते हैं।
- दोपहर में जब दिन का तापमान

**क्या करें**

- कड़ी धूप में अनावश्यक बाहर न निकलें, खासकर 12 बजे से तीन बजे तक।
- हल्के रंग के ढीले-ढाले और सूती कपड़े पहनें।
- धूप में निकलते समय अपना सिर ढककर रखें, कपड़े, टोपी या छाता का उपयोग करें।
- पर्याप्त और नियमित अन्तराल पर पानी पीते रहें। सफर में अपने साथ पीने का पानी हमेशा रखें।
- खुद को हाइड्रेट रखने के लिए ओआरएस घोल, नारियल का पानी, लस्सी, चावल का पानी, नींबू का पानी, छाछ, आम का पन्ना आदि घरेलू पेय पदार्थों को इस्तेमाल करें।
- कमजोरी, चक्कर आने या बीमार महसूस होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

दिनांक: 10 अप्रैल 2024 हिंदुस्तान

गर्मी और सूर्यदेव के तीखे तेवरों से झुलसे लोग, तापमान में उतार-चढ़ाव के साथ तेज हुआ गर्मी का अहसास

# आसमान से बरसी आग झुलस रहा जनजीवन



बुलंदशहर, संवाददाता। गर्मी चरम पर है। लू के तेवरों से जनजीवन बेहाल है। आसमान से बरस रही आग से सड़कें भी धपक रही हैं। प्रतिवार को दिनभर बाजारां और गली-मोहल्लों के साथ मुख्य सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता। जैसे-जैसे तापमान बढ़ाएसी और लू तेज हो जाया दे रहा। गर्मी में बच्चों और बुजुर्गों को काफी परेशानी हो रही है। जनजीवन प्रभावित हो गया है। अब तापमान न्यूनतम 29 डिग्री पर रिकार्ड के किया गया, जबकि अधिकतम 43 डिग्री पर रहा।

भोपाल गर्मी शुरू हो गई है। अगले पांच दिन हीट स्ट्रोक का खतरा है। रात भी ठंड नहीं लगी है। मौसम विभाग ने हीट वेव की चेतावनी भी जारी की है। दोपहर में बाहर निकलना बेहद खतरनाक हो सकता है। घर, दुकान या कार्यस्थलों पर ही रहना बेहतर होगा। रातभार को सुझाव है ही चटक धूप रही। दोपहर होने तक गर्मी का असर तेज हो गया। सूर्य देव के ताप तेवर के चलते लोगों को चक्कर तक आने लगे। गर्मी के चलते लोगों का हाल बेहाल हो गया। कृषि वैज्ञानिक डॉ विवेक राज ने बताया कि तापमान लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही। अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस पर रिकार्ड किया जाएगा।

## हीट स्ट्रोक का बना हुआ है खतरा

यह सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। 22 मई तक तापमान अधिक रहेगा और ज्यादा गर्म होगा। ऐसे में लू लगने, हीट स्ट्रोक का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। मौसमजो यो विनय कुमार सिंह ने बताया कि हीट वेव को देखते हुए जिला, ब्लॉक स्तर पर इलाज की व्यवस्थाएं की गई हैं। अस्पतालों में ओआरएस का इंतजाम कराया गया है। सीएचसी-पीएचसी पर जरूरी दवाएं भेजी गई हैं। सभी अस्पतालों में कोल्ड रूम बनाए गए हैं। मई-जून तक केंद्र अलर्ट मोड पर रहेंगे।

## बाहर निकलने से कतरा रहे लोग

लू की लपटों ने दिन में जो कहर बरपाया उसका असर रात को भी देखा गया। कुछ दिनों से रात को गर्मी से भिजने वाली गड़त शूकवार को खत्म हो गई। गर्म हवाओं के चलते लोग रात को बाहर निकलने से संकोचते दिखे। रात 8 बजे के बाद से सड़कों पर सन्नाटा की स्थिति बनने लगी।

## 22 मई तक तापमान अधिक रहेगा और ज्यादा गर्म दवाएं चलेंगी

कामगार मजदूरों के लिए आफत दिहाड़ी कामगारों की तो आफत आ गई है। आसमान से बरस रही आग के चलते काम करना तक मुश्किल हो रहा है। झुलसने वाली गर्मी में बेहाल हो रहे हैं।

## पांच-पांच बेड का बनेगा वार्ड

बुलंदशहर, संवाददाता। लू की चपेट में आने से डीहाइड्रेशन और उल्टी-दस्त के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में उल्टी-दस्त के मरीजों को राहत देने के लिए जिला अस्पताल सरेत राधी सीएचसी-पीएचसी पर ओआरएस कॉर्नर खोलें जाएंगे। साथ ही लू के मरीजों के पांच-पांच बेड का अलग वार्ड बनाया जाएगा।

निजी अस्पताल से लेकर सरकारी अस्पतालों में रोजाना डल्टी-दस्त के

मरीज भर्ती हो रहे हैं। वहीं जिला अस्पताल की ओपीडी में उल्टी-दस्त लक्षण के 250 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। इसके अलावा गर्मी की चपेट में आने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। इससे निपटने के लिए सीएमओ डॉ विनय कुमार सिंह ने सभी सरकारी अस्पतालों के अधीक्षकों को एडवाइजरी जारी कर ओआरएस कॉर्नर बनाने व लू वार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं।



बुलंदशहर में धूप से बचने के लिए छाता लगाकर गुजरते राहगीर। • हि-टुनल

## लू से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी

बुलंदशहर, संवाददाता। जिले में आगामी 24 से 48 घंटे के दौरान कुछ स्थानों पर तेज गर्म दवाएं चलने की संभावना व्यक्त की गई है। इसको लेकर हॉस्पिटल मेट्रोलीजिकल डिपार्टमेंट लखनऊ द्वारा हीट वेव को लेकर रेड

अलर्ट भी जारी किया गया है। जिसके क्रम में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा हीट वेव/लू से बचाव के लिए क्या करें, क्या न करें के संबंध में जनहित में एडवाइजरी जारी की है।

- जरूरी होले पर ही निकलें घर से बाहर
- 24 से 48 घंटे के दौरान चलेगी हीट वेव

- घरदार माध्यमों पर हीट वेव/लू की चेतावनी घर ध्यान दें।
- अधिक से अधिक पानी पीएं, यदि प्यास न लगी हो तब भी।
- हल्के रंग के पशोना पहनित करने वाले सूती वस्त्र पहनें।
- घर से बाहर निकलते समय घूब के चश्मे, छाता, टोपी व कपल का प्रयोग करें।
- अगर आप खुले में कार्य करते हैं तो सिर, चेहरा, हाथ, पैरों को गीले कपड़े से ढककर रखें तथा छाते का प्रयोग करें।
- लू से प्रभावित व्यक्ति को छाया में लिटाकर सूती गीले कपड़े से पोछें तथा ढल्लायें तथा चिकित्सक से सम्पर्क करें।
- यात्रा करते समय पीने का पानी साथ रखें।

- ओआरएस घर में बने पेय पदार्थ जैसे-लस्सी, चावल का पानी, नींबू पानी, छाछ आदि का उपयोग करें, जिससे शरीर में पानी की कमी भी भरवाई हो सके।
- हीट स्ट्रोक, हीट शे, हीट केप के लक्षणों जैसे कमजोरी, घबराहट आना, सरदर्द उबकाई, घसीना आना, बेहोशी आदि को पहचानना।
- यदि बेहोशी या बीमारी अनुभव करते हैं तो तुरन्त चिकित्सकीय सहायता लें।
- अपने घर को ठंडा रखें। फर्द, दरवाजे आदि का प्रयोग करें तथा रात व राह के समय कमरों व घर को ठंडा करने के निशे इन्हें खोल दें।

## क्या न करें

- जानवरों एवं तबकों को कभी भी बंद/खड़ी गाड़ियों में अकेला न छोड़ें।
- दोपहर 12 से 03 बजे के मध्य सूर्य की रोशनी में जाने से बचें। सूर्य के ताप से बचने के लिये जहां तक सम्भव हो, घर के निचली मंजिल पर रहें।
- गहरे रंग के भारी तथा तंग कपड़े न पहनें।
- जब बाहर का तापमान अधिक हो, तब श्रमसाध्य कार्य न करें।
- अधिक प्रोटीन तथा बासी एवं संक्रामित खाद्य व पेय पदार्थ का सेवन न करें।

दिनांक: 9 मई 2024 अमर उजाला

दिनांक 9 मई 2024 को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बुलंदशहर द्वारा लू प्रकोप से बचाव एवं जन जागरूकता हेतु जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान बुलंदशहर में B.Ed D.El.Ed के छात्रों के लिये अपर जिलाधिकारी ,विधा०द्ध बुलंदशहर के निर्देशानुसार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ द्वारा प्रदान किए गए हीट वेव से बचाव हेतु पोस्टर को छात्रों को वितरित किया गया।



हीट वेव/लू –प्रकोप से बचाव हेतु आम –जनमानस को राहत पहुंचाने हेतु विभिन्न सामाजिक स्थानों पर शीतल जल पानी पानें हेतु जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बुलन्दशहर के आपदा मित्रों के माध्यम से मटकों को रखा गया।



दिनांक 21.05.2024

॥ **दैनिक जागरण** नई दिल्ली, 22 मई, 2024

**जागरण सिटी**

## ये हैं नीर योद्धा, गर्मी में बुझाते हैं राहगीरों

**छह स्वयंसेवकों की टीम ने 30 जगह लगाई प्याऊ, युवाओं की टोली विषम परिस्थितियों में**

**जागरण संवाददाता, बुलंदशहर :** गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार हो रहा है। ऐसे में राहगीरों को गर्मी से राहत देने के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराने का बीड़ा बुलंदशहर के नीर योद्धाओं ने संभाला है। जी हां, ये नीर योद्धा जिले में गंगा किनारे के युवाओं का समूह है, जो जनसेवा में जुटा है। तापमान की तपिश से लोगों को बचाने के लिए युवाओं ने जगह-जगह मिट्टी के घड़े लगाने की शुरुआत की। जिले के अन्य हिस्सों में भी धीरे-धीरे कारवां बढ़ना शुरू हो गया है।

*हीट वेव और लू में लोगों को राहत*

**आपदा प्रबंधन प्रशिक्षित है युवाओं की टोली**

मांडू हसनगढ़ी के देवेंद्र निषाद, औरंगाबाद ताहर के चैतन्य कुमार, नरेंद्र कुमार, शफीनगर के सुमित, सचिन व नरेंद्रपुर के ललित कुमार आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित हैं। इस टोली ने आपदा मित्र के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इसी कारण वालियंटर की टीम बाढ़ हो या फिर मौसम की मार हर परिस्थिति से निपटने को अग्रिम पंक्ति में खड़ी नजर आती है। टीम अन्य लोगों के लिए भी मिसाल बनी हुई है।

दिनांक 24.05.2024 को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बुलन्दशहर के आपदा मित्रों के माध्यम से मीठे शीतल जल कैम्प लगाया गया। जिसमें करीब 1000 लोगो को भीषण गर्मी /लू से लोगो को राहत पहुँचायी।



## जागरूकता हेतु गुगल फार्म

मौसम विज्ञान द्वारा समय-समय पर लू की चेतावनी के दृष्टिगत लोगो को क्या करे, क्या न करें पर शपथ दिलाकर जागरूक किये जानें हेतु जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बुलन्दशहर द्वारा गुगल फार्म जारी किया गया। जिसमें शपथ फार्म राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बुलन्दशहर द्वारा जारी लू पर जागरूकता विडियो को अटैच किया गया। जागरूकता अभियान *हारेगी गर्मी जितेगा अपना उत्तर प्रदेश* के अन्तर्गत आयोजित किया गया।

HEAT WAVE AWARENESS CAMPAIGN  
2024

हारेगी गर्मी, जितेगा अपना, उत्तर प्रदेश । आओ हम सब मिलकर गर्मी को हराने के लिये शपथ लें।

Name/पंम

Your answer

Email Id/Mobile Number/ई मेल मोबाइल नंबर

Your answer

District /जिला

HEAT WAVE AWARENESS CAMPAIGN 2024

'हारेगी गर्मी, जितेगा अपना, उत्तर प्रदेश' । आओ हम सब मिलकर गर्मी को हराने के लिये शपथ लें।

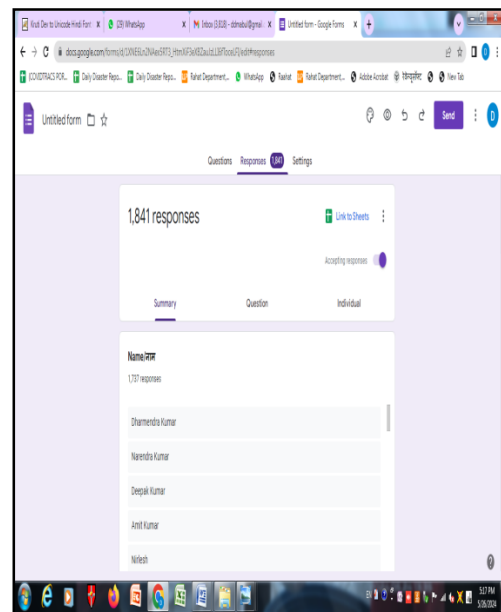
forms.gle

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बुलन्दशहर द्वारा बढ़ते लू-प्रकोप से बचाव हेतु अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत प्रत्येक नागरिक से अनुरोध है कि कृपया नीचे दिए गए लिंक से लू-प्रकोप से बचाव हेतु प्रतिज्ञा ले व अन्य व्यक्तियों को भी प्रेरित करें

<https://forms.gle/d2s3zeYqYsGVEKFB8>

यह पहल समस्त नागरिकों के द्वारा एक जागरूक व सशक्त समुदाय बनाने में आपका योगदान दर्ज करती है

आपदा में भागीदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी



HEAT WAVE AWARENESS CAMPAIGN 2024

1,841 responses

Summary Question Individual

Name/पंम

1,137 responses

Shamendra Kumar

Narendra Kumar

Deepak Kumar

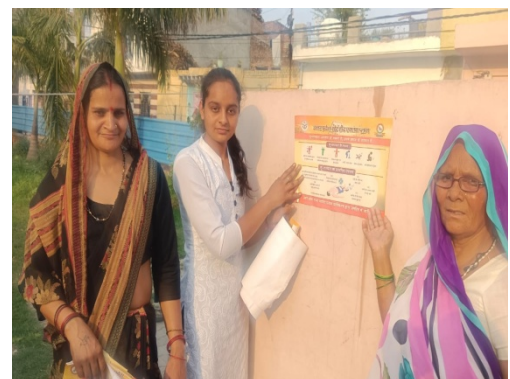
Anil Kumar

Nilash

वाट्स ग्रुप पर जारी किया गया गुगल फार्म का लिंक।



## जनपद बुलन्दशहर प्रेस विज्ञप्ति एवं जागरूकता कार्यक्रम –2025





This document was created with the Win2PDF "Print to PDF" printer available at

<https://www.win2pdf.com>

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

Visit <https://www.win2pdf.com/trial/> for a 30 day trial license.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

<https://www.win2pdf.com/purchase/>